



 **टेबमा**
शिपयार्ड्स लिमिटेड
एक कोचीन शिपयार्ड कंपनी

पुनरुज्जीवन

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

विषयवस्तु



व्यापार अवलोकन

निगमित सूचना	01
हमारे बारे में	02
अध्यक्षीय भाषण	04
प्रचालन क्षमता	06
व्यापार क्षेत्र	07
निदेशक मंडल	08

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	10
निगमित शासन पर रिपोर्ट	21
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	25

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	29
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	39
तुलन पत्र	40
लाभ और हानि विवरण	41
नकद प्रवाह विवरण	42
इक्विटी में परिवर्तन विवरण	44
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	46

सूचना

77

अस्वीकरण

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में दूरदेशी बयान शामिल हो सकते हैं। हमने इन दूरदेशी बयानों को हमारे वर्तमान विश्वासों, अपेक्षाओं और इरादों के आधार पर तथ्यों, कार्यों और घटनाओं पर आधारित किया है जो भविष्य में घटित होंगे या हो सकते हैं। ऐसे बयानों की पहचान आम तौर पर दूरदेशी शब्दों से की जाती है, जैसे विश्वास, योजना, अनुमानित, जारी, अनुमान हो सकता है, होगा या इसी तरह के अन्य शब्द। दूरदेशी बयान में मान्यताओं का बयान और दूरदेशी बयान का मुख्य आधार शामिल हो सकता है। हमने इन मान्यताओं या आधार को अच्छे विश्वास में चुना है, और हम मानते हैं कि वे सभी वस्तुगत मामलों में उचित हैं। हालांकि हम आपको सावधान करते हैं कि दूरदेशी बयान और कल्पित तथ्य या आधार लगभग हमेशा वास्तविक परिणामों से भिन्न होते हैं, और दूरदेशी बयानों और कल्पित तथ्यों या आधारों से निहित परिणामों के बीच अंतर, परिस्थितियों के आधार पर वस्तुगत रूप से परिवर्तित हो सकते हैं।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष

श्री सुरेश बाबु एन वी
गैर-कार्यपालक निदेशक
(अप्रैल 30, 2021 तक)

श्री बिजोय भास्कर
गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री जोस वी जे
गैर-कार्यपालक निदेशक

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री हरिकुमार ए
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

श्री शिवु जॉण
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पण्माथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु-603 116

सीआईएन : U27209TN1984PLC010994

सुविधाएं

माल्पे, कर्नाटक, चेंगलपेट
तमिलनाडु

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स शब्बीर एवं गणेश
सनदी लेखाकार
बालकृष्णा टाअर, प्रथम तल
कुंजीवेट्टु दूसरा क्रॉस, उडुप्पी मणिपाल रोड
मांडवी गोकुल के पास, उडुप्पी - 576102

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसईपी एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
विलिंग्ड सं. सी.सी. 56/172
के सी एब्रहाम मास्टर रोड, पनपिल्ली नगर,
कोच्ची - 682036

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक



हमारे बारे में

सितंबर 15, 2020 को टीएसएल को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था और तब से टीएसएल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) को दिनांक 09 जुलाई 1984 को एक निजी गैर-सरकारी कंपनी के रूप में 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में निगमित किया गया था। इसके बाद, कंपनी सार्वजनिक हो गई और इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया।

टीएसएल अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए जहाज निर्माण उद्योग में एक जाना माना नाम रहा है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टा से लेकर बड़े एमपीएसवी और

जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के पोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है। टीएसएल ने एक प्रमुख पोत निर्माता होने के साथ-साथ भारत में पोत मरम्मत व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

टीएसएल 2000 दशक में भारतीय पोत निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है और स्थापना के बाद से 150 से अधिक जहाजों की सुपुर्दगी कर चुका है। टीएसएल में दो सुविधाएं हैं: एक माल्पे, कर्नाटक में और दूसर चेंगलपेट, तमिलनाडु में। माल्पे में टीएसएल

सुविधा में एक उच्च अंत बुनियादी ढांचा है जिसे मध्यम आकार के शिपयार्ड के बीच देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, साथ ही हैंगरकट्टा में समान रूप से आधुनिक स्टील फैब्रिकेशन इकाई है।

टीएसएल, वर्ष 1984 में एक परामर्श कार्य कंपनी के रूप में शामिल हुआ, बाद में एक पोत निर्माता के रूप में विकसित हुआ और वर्ष 2004 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के सहयोग से अपतटीय उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इस व्यवस्था के तहत, टीएसएल ने सीएसएल,

कोच्ची में 8 प्लेटफॉर्म सप्लाय वेसल और 4 एंकर हैंडलिंग टा का निर्माण किया।

दुनिया भर में पोत परिवहन उद्योग की मंदी के कारण वित्तीय संकट से, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से कंपनी के कई आदेश रद्द हो गए, जिससे ऋणदाताओं के साथ चूक हो गई। तब से वित्तीय सुविधा की सेवा तनावपूर्ण हो गई और व्यवसाय गति खोने लगा। सितंबर, 2018 में वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कंपनी की अक्षमता के कारण, टीएसएल को दिवाला

और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में ग्रहण कराया गया था। सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुपालन में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड, ने कंपनी का अधिग्रहण किया और सितंबर 2020 में इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी और एक सरकारी कंपनी बन गई।

कंपनी इन परीक्षण समय में विजयी हुई और सभी बाधाओं के खिलाफ सीएसएल द्वारा सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से पुनरुत्थान न किया गया।

फिलहाल, टीएसएल सीएसएल ग्रुप का एक भाग है और सीएसएल द्वारा अनुभवी कार्यबल के साथ एक गतिशील प्रबंधन टीम को यार्ड के पुनरुद्धार और सीएसएल के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत नए सिरे से व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए तैनात किया गया है।

अध्यक्षीय भाषण



“**टीएसएल छोटे और मध्यम जहाजों के खंड में बाज़ार अग्रणी बनने की इच्छा रखता है और माननीय प्रधान मंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के विचारों के लिए खुद को परिकल्पित करता है।**”

प्रिय शेयरधारकों,

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) की 37वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 निरसंदेह एक आसामान्य वर्ष था, बिना किसी अपवाद के महामारी ने सभी को प्रभावित किया। फिर भी यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। सितंबर, 2018 में, कंपनी पिछले कई वर्षों से कठिन दौर से गुज़र रही थी और वित्तीय दायित्वों का सामना करने में असमर्थता के कारण, कंपनी को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए दाखिल किया गया था। दिवाला प्रक्रिया के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड, ने कंपनी को ग्रहण करने के लिए अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की और मार्च 2020 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी। कोविड-19 महामारी और उसके बाद सरकार/स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने समाधान योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। हालांकि, सितंबर, 2020 में सीएसएल ने समाधान राशि का भुगतान किया और टीएसएल को सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बना लिया और नए प्रबंधन ने कंपनी का कार्यभार संभाल लिया।

टीएसएल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में अपना नाम बनाया था और अपनी उच्च बुनियादी सुविधाओं के साथ छोटे और मध्यम आकार के जहाजों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है। हालांकि, वित्तीय कठिनाइयों और परिणाम दिवाला प्रक्रिया के कारण, कंपनी की सुविधाएं पिछले कई वर्षों से गैर-परिचालन में थीं। जैसे ही नए प्रबंधन ने कार्यभार संभाला, बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए आवश्यक गतिविधियां और कंपनी के व्यवसाय संचालन को नए सिरे से शुरू करने के लिए अपेक्षित जनशक्ति को जुटाना शुरू किया गया था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिकूलताओं के बावजूद, कंपनी जुलाई 2021 में हैंगरकट्टा सुविधा में अपना परिचालन शुरू करने का प्रबंधन कर सकती है। बाबूथोड्डा में कंपनी की वेयरहाउसिंग सुविधा को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स सुधार कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी की सुविधाएं गैर-परिचालन रही थीं और इसलिए कंपनी ने 136.04 रुपए के नुकसान रिपोर्ट किया है। हालांकि, वर्ष के दौरान, कंपनी ने 74.74 लाख रुपए की अन्य आय अर्जित की है, जो अधिकांश कंपनी के स्वामित्व वाले टग के पट्टे से है।

टीएसएल छोटे और मध्यम जहाजों के खंड में बाज़ार अग्रणी बनने की इच्छा रखता है और माननीय प्रधान मंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर

द वर्ल्ड' के विचारों के लिए खुद को परिकल्पित करता है। टीएसएल की प्रमुख व्यावसायिक योजनाओं में से एक तकनीकी रूप से उन्नत गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों का निर्माण करना है ताकि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। कंपनी टग और अन्य विशिष्ट क्राफ्टों के निर्माण के अवसर भी तलाश रही है और कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए विशेष जहाजों के निर्माण के लिए सीएसएल से एक आदेश प्राप्त किया है। कंपनी उभरते अवसरों से लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सीएसएल, होल्डिंग कंपनी के आवश्यक समर्थन के साथ वांछित परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद है।

चूंकि टीएसएल अपनी सुविधाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है और अभी तक पूरी तरह से संचालन शुरू नहीं हुआ है, कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जुलाई 08, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। फिर भी, कंपनी जहां भी संभव हो सर्वोत्तम निगमित शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन पर रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मैं इस अवसर पर टीएसएल के पुनरुत्थान में सभी संबंधितों के प्रयासों और योगदान हेतु धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारीगण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन और मेरे साथी बोर्ड सदस्यों को भी उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और एक महान संगठन के निर्माण के लिए उनके अटूट समर्थन की अपेक्षा करते हैं।

सधन्यवाद

जय हिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

प्रचालन क्षमता

टीएसएल में दो सुविधाएं हैं : एक माल्पे , कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में ।

माल्पे

क. माल्पे. हार्वर कॉम्प्लेक्स

- ▶ हल निर्माण और लॉन्चिंग के लिए 55,000 वर्गमीटर की सुविधा
- ▶ ढके हुए शेड में एक साथ 4 मध्यम आकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता
- ▶ जहाजों के निर्माण के लिए 30 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के साथ 165 मी 46 मी ढके हुए शेड
- ▶ पोत निर्माण के लिए 4,000 वर्गमीटर खुली खाड़ी
- ▶ आउटफिट और कमीशनिंग के लिए 128 मीटर 35 मीटर का गीला बेसिन
- ▶ आर्द्रता नियंत्रित समुद्री कोटिंग शॉप
- ▶ ट्रॉन्स्फर बे और विंच असिस्टेरड क्रैडल सिस्टम से सुसज्जित जो 90 मीटर 20 मीटर आकार के जहाजों को 3,500 टन के लॉन्चिंग वजन तक लॉन्च करने में सक्षम हो ।

चेंगलपेट

स्ट्रक्चरल आउटफिटिंग मद, रडर, हाइड्रोफोर यूनिट आदि के निर्माण की सुविधा ।

ख. हैगरकट्टा

- ▶ स्टील की तैयारी और ब्लॉग निर्माण के लिए 25,000 वर्गमीटर की सुविधा
- ▶ प्रति माह 1,200 टन क्षमता
- ▶ प्लाज्मा कट्टिंग मशीन (2 सं.)
- ▶ 275 टन और 375 टन बेंडिंग मशीन
- ▶ टेम्प्लेट कट्टिंग मशीन
- ▶ 50 टन तक के ब्लॉकों को संभालने के लिए 13 क्रनों के साथ ढके हुए शॉप

ग. बाबुथोट्टा

4000 वर्गमीटर ढके हुए स्टोर और डिज़ाइन केंद्र

व्यापार क्षेत्र



1

टग और तटीय जहाज



2

रक्षा के लिए मध्यम आकार के सहायक जहाज



3

मध्यम आकार के वाणिज्यिक मत्स्य पालन जहाज - मध्यम पूर्व और यूरोपीय बाजारों के लिए



4

विशिष्ट पोत/कारखाना पोत - यूरोप के लिए



5

छोटे मत्स्य ग्रहण जहाज - भारतीय मत्स्य पालन समुदाय के लिए तैयारशुदा जहाजों के रूप में 'उत्पादित मोड पर' ।



6

समुद्री उद्योग के लिए इंजीनियरिंग निर्माण परियोजनाएं



निदेशक मंडल



श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष

श्री मधु एस नायर सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक है। श्री मधु एस नायर जनवरी 01, 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टोकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जे आई सी ए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेल्लिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य हैं जिसमें दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए), भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स शामिल है, और वर्तमान में इंडो जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में लगभग 33 वर्ष का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री सुरेश बाबु एन वी
गैर-कार्यपालक निदेशक
(अप्रैल 30, 2021 तक)

श्री सुरेश बाबु एन वी, सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण केलिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक है। श्री सुरेश बाबु दिनांक अप्रैल 26, 2016 से अप्रैल 30, 2021 तक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (प्रचालन) थे। उनको केरल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मेकानिकल) में उपाधि और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डिप्लोमा है। उन्होंने कोलंबो योजना के अधीन जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेशी पोत निर्माण सहयोग केंद्र द्वारा आयोजित पोत निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण में एक साल का गृप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उन्होंने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सेकाइड, जापान, में शिपयार्ड के साथ एक प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी लिया है। इसके अलावा, उन्होंने ऑवरसीज शिपबिल्डिंग कॉऑपरेशन सेंटर में आयोजित जापानी भाषा में प्रति पूरक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उनको पोत निर्माण, सामग्री और पोत मरम्मत प्रभागों जैसे शिपयार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 36 वर्ष का कार्य अनुभव है। श्री सुरेश बाबु एन वी, सीएसएल में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 अप्रैल 2021 को कंपनी के निदेशक नहीं रहे। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में एक निदेशक भी थे, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है, जो अक्टूबर 23, 2017 से दिनांक 30 अप्रैल 2021 में निगमित हुई थी।

निदेशक मंडल



श्री बिजोय भास्कर
गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री बिजोय भास्कर, सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण केलिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक है। वे अप्रैल 05, 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेकनॉलजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेकनॉलजी (मेकानिकल) डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री जोस वी जे
गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री जोस वी जे वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण केलिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक हैं। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 30 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

- आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की छ्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ दिनांक मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है ।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने अपने सितंबर 25, 2018 के आदेश के द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कंपनी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की । कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अक्तूबर 2019 में लेनदारों की समिति (सीओसी) को कंपनी के अधिग्रहण के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की । कंपनी के लेनदारों की समिति ने उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी और बाद में दिसंबर 2019 में इसे एनसीएलटी, चेन्नई में दायर किया गया । एनसीएलटी, चेन्नई ने मार्च 04, 2020 के अपने आदेश द्वारा उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी और एनसीएलटी के आदेशानुसार, एनसीएलटी आदेश की तारीख से बोली राशि के भुगतान तक समाधान योजना के कार्यान्वयन और टीएसएल के सविराम प्रबंधन की निगरानी के लिए सीएसएल नामितों, समाधान पेशेवर और सीओसी नामितियों की एक निगरानी समिति का गठन किया गया था ।

- हालांकि, कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप और उसके बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, सीएसएल ने समाधान योजना के तहत बोली राशि के भुगतान के लिए दिनांक मार्च 15, 2020 से जून 30, 2020 तक की अवधि के छोडाव के लिए उचित आदेश प्राप्त करने के लिए एनसीएलटी, चेन्नई से संपर्क किया । एनसीएलटी ने सीएसएल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उक्त अवधि को छोडकर अगस्त 06, 2020 को अपना आदेश पारित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बोली राशि के भुगतान की अंतिम तिथि को सितंबर 17, 2020 तक संशोधित किया गया । एनसीएलटी आदेश के अनुपालन में, सीएसएल ने सितंबर 15, 2020 को कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली राशि भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई और सीएसएल द्वारा नामित नए निदेशक मंडल ने कंपनी का कार्यभार संभाल लिया । इसके अलावा, अनुमोदित समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश में उल्लिखित सीमा को छोडकर कंपनी के सभी दावे/बकाया/ देयताएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं । इसके साथ ही कंपनी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया समाप्त हो गई ।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम (श्रेणी । मिनिरत्न कंपनी) है, जिसे प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची-682015, केरल, भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय है । सीएसएल को वर्ष 1972 में एक पूर्ण स्वामित्ववाली सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और वर्षों से भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरा है और वैश्विक पोत निर्माण के मोर्चे पर एक मशहूर खिलाडी भी है । सीएसएल ने वर्ष 1975 में पोत निर्माण प्रचालन, 1978 में पोत मरम्मत, 1993 में समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण और 1999 में अपतटीय उन्नयन कार्य शुरू किया । सीएसएल 1,10,000 डीडब्ल्यूटी तक पोतों का निर्माण कर सकता है और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी तक पोतों की मरम्मत कर सकता है । सीएसएल के इतिहास में कई पडाव हैं जैसे प्रत्येक 95,000 डीडब्ल्यूटी के भारत के दो सबसे बडे डबल हल अफ्रमैक्स टैंकरों को सुपुर्द किया है और टैंकर, बल्क कैरियर, पोर्ट क्राफ्ट, यात्री जहाज आदि सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण किया है ।

- सीएसएल ने भारत में कुछ सबसे बडे पोतों का निर्माण और मरम्मत की है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक का निर्माण कर रहा है । यह एकमात्र यार्ड है जिसने भारत के विमान वाहकों के लिए सूखी गोदी की मरम्मत की है । वर्षों से, सीएसएल ने बाजारों की पोत निर्माण आवश्यकताओं में उतार-चढाव का सफलतापूर्वक जवाब दिया है और प्लैटफॉर्म सप्लाई वेसल (पीएसवी) एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई वेसल (एएचटीएस) जैसे छोटे और अधिक तकनीकी रूप से परिष्कृत जहाजों के निर्माण से थोक वाहकों के निर्माण से विकसित हुए हैं । सीएसएल ने रोल्स रॉयस मराइन (नॉरवे), जीटीटी (फ्रांस), वार्ड ग्रूप (नॉरवे) आदि सहित उद्योग में कई प्रमुख तकनीकी फर्मों के साथ काम किया है । सीएसएल ने नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क/बहामास, साउदी अरब और यूएई में कुछ सबसे अधिक मांगवाले ग्राहकों को 47 जहाजों का निर्यात किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विश्वसनीयता बढी है । सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के जहाजों के उन्नयन के साथ-साथ जहाजों का आवधिक रखरखाव, मरम्मत और जीवन विस्तार सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों की मरम्मत भी की है । सीएसएल ने पिछले कुछ वर्षों में जटिल और परिष्कृत मरम्मत कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमताएं विकसित की हैं । सीएसएल वर्तमान में भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करनेवाले शिपयार्ड में से एक है ।

प्रचालन और अग्रपथ

- टीएसएल भारत में एक प्रतिष्ठित शिपयार्ड रहा है जिसमें उच्च अंत बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, जिसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर

बडे एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जहाजों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई है । टीएसएल में दो सुविधाएं हैं, एक माल्पे, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में है । माल्पे में सुविधाएं नीचे दी गई तीन इकाइयों में फैली हुई है :

- माल्पे हार्वर कॉम्प्लेक्स - हल निर्माण और जलावतरण,
- हेंगरकट्टा - स्टील की तैयारी और ब्लॉक निर्माण, तथा
- बाबुथोड्टा - गोदाम ।

- वित्तीय कठिनाइयों और परिणामी सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के कारण, टीएसएल की सुविधाएं पिछले कई वर्षों से काम नहीं कर रही थीं । सितंबर 2020 में सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के बाद, कंपनी ने प्रचालन शुरू करने के लिए माल्पे में अपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कार्य की शुरूआत की । माल्पे में तीन सुविधाओं में से, बाबुथोड्टा गोदाम का पुनरुद्धार पूरा हो गया है और चालू है । हेंगरकट्टा इकाई का पुनरुद्धार उन्नत चरणों में है, और इसके जुलाई 2021 तक चालू होने की उम्मीद है । माल्पे हार्वर कॉम्प्लेक्स में सुधार कार्य भी प्रगति पर है । ट्रॉस्फर बे को तैयार कर लिया गया है और मुख्य नया भवन शॉप और सर्फेस ट्रीटमेंट शॉप का उद्धार अगस्त 2021 तक पूरा करने के लिए प्रगति कर रही है । आवश्यक श्रमशक्ति की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है ।

- टीएसएल ने संरचनात्मक आउटफिटिंग मद, पतवार, हाइड्रोफोर इकाइयों आदि के निर्माण के लिए चेंगलपेट सुविधा विकसित करने की योजना बनाई है और माल्पे सुविधा के चालू होने और चेंगलपेट सुविधा की व्यवहार्यता स्थापित होने के बाद इस संबंध में गतिविधियां शुरू की जाएंगी ।

वित्तीय विशिष्टताएं

क्र. सं.	विवरण	(लाख रुपए में)	
		दिनांक मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष	दिनांक मार्च 21, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	कुल आय	74.74	207.00
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास और कर पूर्व लाभ/(हानि)	(101.84)	(1309.71)
(iii)	वित्तीय लागत	(23.14)	(7.36)
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	(1284.46)	(1259.77)
(v)	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1409.44)	(2576.84)
(vi)	कर	(10.00)	-
(vii)	आसाधारण मद	1263.40	23547.89
(viii)	निवल लाभ/(हानि)	(136.04)	20971.05
(ix)	निवल मूल्य	13653.21	3455.23

शेयर पूंजी

- कंपनी के प्राधिकृत शेयर पूंजी 215,00,00,000 (रुपए दो सौ और पंद्रह करोड मात्र) है जो प्रत्येक 10 रुपए के 9,00,00,000 (नौ करोड मात्र) इक्विटी शेयरों और प्रत्येक 10 रुपए के 12,50,00,000 (बारह करोड पचास लाख मात्र) अधिमान शेयरों में विभाजित हैं । कंपनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 65,00,00,000 (रुपए पैंसठ करोड रुपए मात्र) है जो प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 (रुपए पैंसठ करोड रुपए मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं ।

- टीएसएल मत्स्य ग्रहण जहाजों (विशेष रूप से तकनीकी रूप से उन्नत गहरे समुद्र मत्स्य ग्रहण जहाज), टग और 80 मीटर लंबाई तक के विशेषीकृत क्राफ्ट बनाने पर केंद्रित है जो आनेवाले वर्षों में घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी संभावनाएं पेश करता है । शुरूआत में, कंपनी 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)', जो भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की एक आशाजनक योजना है, के तहत गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों का निर्माण करेगी । टीएसएल यार्ड को तैयार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त जहाजों का उत्पादन योजना अनुसार शुरू हो । हालांकि, जिस गति से गतिविधियों को प्रचालन शुरू करने और व्यवसायों के अवसरों को लाभ उठाने की योजना है, जारी कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है । टीएसएल मत्स्य ग्रहण जहाजों और टगों के निर्माण के लिए भी आदेश मांग रहा है ।

वित्तीय निष्पादन

- कंपनी जो अपना प्रचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है, ने पिछले वर्ष के 20971.05 लाख रुपए के बही लाभ के सामने दिनांक मार्च 21, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 136.04 लाख रुपए की हानि रिपोर्ट किया है । आगे, कंपनी ने पिछले वर्ष के 207.00 लाख रुपए के सामने दिनांक मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 74.74 लाख रुपए के कुल आय रिपोर्ट किया है ।

12. दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड (सीएसएल) द्वारा कंपनी के अधिग्रहण से पहले कंपनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 202,36,15,050 (रुपए दो सौ और दो करोड छत्तीस लाख पंद्रह हजार पचास मात्र) थे जो प्रत्येक 10 रुपए के 7,73,61,505 (रुपए सात करोड तिहत्तर लाख इकसठ हजार पांच सौ पांच मात्र) इक्विटी शेयरों और प्रत्येक 10 रुपए के 12,50,00,000 (बारह करोड पचास लाख मात्र) 6.5% अनिवार्य प्रतिदेय अधिमान शेयरों में विभाजित हैं । एनसीएलटी के आदेश के अनुसार और सितंबर 15, 2020 को सीएसएल द्वारा बोली राशि का भुगतान करने पर, लाभांश अधिकार, मतदान अधिकार और किसी भी अन्य अधिकार के साथ कंपनी की संपूर्ण जारी शेयर पूंजी (इक्विटी और अधिमान) रद्द कर दिए गए और 65 करोड रुपए के नए शेयर सीएसएल को जारी किए गए । उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई ।

लाभांश

13. किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि कंपनी वर्तमान में अपना परिचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और इसका कोई विभाज्य लाभ नहीं है ।

आरक्षित निधि में अंतरण

14. चूंकि कंपनी ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हानि हुआ है, कंपनी किसी भी राशि को आरक्षित निधि में अंतरित करने में असमर्थ है ।

राजकोष में योगदान

15. माल और सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (टीडीएस) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया कुल योगदान लगभग 14.31 लाख रुपए थे ।

श्रमशक्ति की स्थिति

16. दिनांक मार्च 31, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 48 कर्मचारी हैं, जिसमें 17 कार्यपालक, 8 पर्यवेक्षक और 23 कामगार हैं । अपेक्षित श्रमशक्ति को नियुक्ति के लिए भर्ती गतिविधियां सितंबर 2020 में शुरू की गई थीं और प्रारंभिक तौर पर कर्मचारियों को फरवरी-मार्च 2021 के दौरान तैनात किया गया था । बाकी नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है । उपरोक्त के अलावा, स्वामित्व कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी कंपनी के सुचारू परिवर्तन के लिए विशेष नियुक्ति के आधार लगे हुए हैं ।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

17. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार

एक सरकारी कंपनी है । कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है । अतः निदेशकों के पारिश्रमिक के विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

18. कंपनी अपना प्रचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है और जहां भी संभव हो ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाने का लक्ष्य रखती है, संचालन शुरू होने पर प्रौद्योगिकी अवशोषण भी हासिल होने की उम्मीद है ।

19. वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय नहीं हुआ है ।

जोखिम प्रबंधन

20. कंपनी को सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से पुनः प्रचलित किया गया है और वर्तमान में परिचालन शुरू करने के लिए आवश्यक शिपयार्ड बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की प्रक्रिया में है । निदेशक मंडल कंपनी के बुनियादी ढांचे में सुधार गतिविधियों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करता है और आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है । कंपनी जहां भी आवश्यक हो, पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का पालन करती है । फिर भी, एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी और प्रचालन शुरू होने पर उसे अपनाया जाएगा ।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

21. कंपनी कार्यबल के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा जिस वातावरण में काम किया जा रहा है, उसे अत्यधिक महत्व देती है । इस दिशा में, कंपनी ने कार्यबल के लिए समय-समय पर एचएसई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है और अपनी स्वामित्व कंपनी, सीएसएल के अनुरूप सर्वोत्तम एचएसई प्रथाओं को लागू करने की प्रक्रिया में है ।

औद्योगिक सुरक्षा

22. माल्पे और हैंगरकट्टा में कंपनी की सुविधाओं की भौतिक सुरक्षा ट्रिंग डिरेक्टिक्स एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है और चेंगलपेट सुविधा को फोर्स 2 सिक्योरिटीज को सौंपा गया है । कंपनी अपनी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए एक डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है ।

व्यापार अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण
----------------	------------------	---------------

निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

23. दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी में 4 निदेशक थे, जिनमें से सभी गैर-कार्यपालक निदेशक और 3 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेश बाबु एन वी*	07482491	निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक
5.	श्री हरिकुमार ए	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6.	श्री शिवु जॉण	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
7.	श्री अभ्धिन शर्मा एम	लागू नहीं	कंपनी सचिव

* श्री सुरेश बाबु एन वी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), स्वामित्व कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से अधिवर्षिता पर अपनी सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे ।

24. दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के प्रारंभ होने के परिणामस्वरूप दिनांक 25 सितंबर, 2018 से निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित कर दी गई थीं और उक्त शक्तियां सीआईआरपी के दौरान अंतरिम समाधान पेशेवर/समाधान पेशेवर के पास निहित होंगी ।

25. सीआईआरपी के प्रारंभ होने पर, श्री एन कुमार (पंजी.सं. आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00724/2017-18/11254) को कंपनी के अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था । दिसंबर 2018 में, श्री एन कुमार को कार्यमुक्त किया गया और श्री बालकृष्णन वेंकटाचलम (पंजी.सं. आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00229/2017-18/10458) को कंपनी समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया । समाधान योजना को मंजूरी देनेवाले एनसीएलटी के दिनांक मार्च 04, 2020 के आदेश के अनुसार, एनसीएलटी आदेश की तारीख से बोली राशि के भुगतान तक समाधान योजना के कार्यान्वयन और टीएसएल के सविराम प्रबंधन की निगरानी के लिए सीएसएल नामितों, समाधान पेशेवर और सीओसी नामितों की एक निगरानी समिति का गठन किया गया था ।

26. दिनांक 15 सितंबर 2020 को कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा बोली राशि के भुगतान के परिणामस्वरूप, निगरानी समिति भंग हो गई, तत्कालीन मौजूदा निदेशकों और केएमपीयों को हटा दिया गया और सीएसएल द्वारा नामित नए निदेशक मंडल को नियुक्त किया गया । अक्तूबर 21, 2020 को आयोजित अपनी पहली बैठक (सीआईआरपी के बाद) में पुनर्गठित बोर्ड ने कंपनी के लिए एक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और एक कंपनी सचिव को नामित किया । आगे, नवंबर 17, 2020 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक (सीआईआरपी के बाद) में पुनर्गठित बोर्ड ने कंपनी के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किया, जो जनवरी 28, 2021 को शामिल हुआ था ।

27. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	दिनांक
नियुक्ति				
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	सितंबर 15,2020
2.	श्री सुरेश बाबु एन वी	07482491	निदेशक	सितंबर 15, 2020
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशकु	सितंबर 15, 2020
4.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक	सितंबर 15, 2020
5.	श्री हरिकुमार ए	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जनवरी 28, 2021
6.	श्री शिवु जॉण	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अक्तूबर 21, 2020
7.	श्री अभ्धिन शर्मा एम	लागू नहीं	कंपनी सचिव	अक्तूबर 21, 2020
समाप्ति				
8.	श्री विजयकुमार	00726561	अध्यक्ष	सितंबर 15, 2020
9.	श्री माधवन श्रीनिवासन	02994130	निदेशक	सितंबर 15, 2020
10.	श्री पी आर कण्णन	लागू नहीं	कंपनी सचिव	सितंबर 15, 2020

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण (दिनांक 15 सितंबर, 2020 से प्रभावी)

28. कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने के परिणामस्वरूप दिनांक 15 सितंबर 2020 से निदेशक मंडल को पुनर्नियुक्त कर दिया गया था । दिनांक सितंबर 15, 2020 से मार्च 31, 2021 (वि.व. 2020-21) तक की अवधि के दौरान बोर्ड छह बैठकें हो चुकी हैं और दो बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं है । जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	अक्तूबर 21, 2020	4	4
2.	नवंबर 07, 2020	4	4
3.	नवंबर 17, 2020	4	4
4.	दिसंबर 04, 2020	4	4
5.	दिसंबर 15, 2020	4	4
6.	फरवरी 06, 2021	4	4

29. वित्तीय वर्ष 2021-21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति रिकॉर्ड निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थिति बोर्ड बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	6/6
2.	श्री सुरेश बाबु एन वी	07482491	6/6
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	6/6
4.	श्री जोस वी जे	08444440	6/6

बोर्ड की समितियां

30. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है ।

बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

31. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है । कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जून 05, 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का पालन करने से छूट दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में धारा 134 (3) (पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी की अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभावी है । इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना, सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट देती है ।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

32. कंपनी के बोर्ड में अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है । कंपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है ।

निदेशकों की जिम्मेदारी वक्तव्य

33. कंपनी को सितंबर 25, 2018 से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत रखा गया था । स्वीकृत समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश के अनुसार, सफल समाधान आवेदक यानि सीएसएल द्वारा नामित नए निदेशक मंडल को सीआईआरपी के पूरा होने के परिणामस्वरूप सितंबर 15, 2020 से नियुक्त किया गया था । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी सीआईआरपी के अधीन थी और सुविधाएं गैर-परिचालन हो गई थीं, पूरे अभिलेख/सूचना की वसूली नहीं की जा सकी । इसके अलावा, वर्तमान बोर्ड/प्रबंधन को सीआईआरपी अवधि के दौरान/पूर्व भी कंपनी के बही खाते के लेन-देन/सूचना/पूरी पहुँच और प्रचालन

के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । तदनुसार, वर्तमान बोर्ड/प्रबंधन अधिग्रहण की तारीख से पहले किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है ।

34. उपरोक्त के अधीन, आपके निदेशक यह कहते हैं कि :

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री निकास से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था ;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके ;

ग. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखरेख किया था ;

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था;

ङ. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं ।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

35. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित किया । इसके अलावा, आपके निदेशक वित्तीय विवरणों पर नोट 37 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं ।

निगमित शासन

36. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है । हालांकि, डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन पर रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है ।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

37. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत की जाती है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

38. कंपनी मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है जो नियंत्रक कंपनी, सीएसएल, के अनुरूप है, जिससे अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकता है और उनका पता लगाता है, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करके उसे प्रस्तुत करता है ।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

39. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने दिनांक अप्रैल 23, 2015 को निदेशक मंडल (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) की बैठकों पर सचिवीय मानकों को अधिसूचित किया है जो दिनांक जुलाई 01, 2015 से प्रभावी होगा । कंपनी उसीका अनुपालन कर रही है ।

सांविधिक लेखापरीक्षक

40. मेसर्स शब्बीर और गणेश (फर्म पंजीकरण सं. 0090335), सनदी लेखाकर, उडुप्पी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

41. मेसर्स शब्बीर और गणेश, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मार्च 31, 2021 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट मई 07, 2021 को प्रस्तुत की है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है ।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

42. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं ।

सचिवीय लेखापरीक्षक

43. मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं. P2019KE075600), पेशेवर कंपनी सचिव, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था ।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

44. मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक अप्रैल 28, 2021 को प्रस्तुत की थी, जिसे इस रिपोर्ट के अनुबंध में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

45. मेसर्स एएमएनएस एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं. 018825S) सनदी लेखाकार, कोची को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

अनुपूरक लेखापरीक्षा

46. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा को प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, इंडियल ऑयल भवन, 139, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई - 600 034 को सौंपा है। तथापि, उक्त कार्यालय द्वारा दिनांक मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं उठाई गई है।

सतर्कता

47. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई भी सतर्कता मामला लंबित/ निपटाया नहीं गया था।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

48. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वार्षिक विवरणी

49. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.tebma.co.in पर उपलब्ध है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

50. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

51. कंपनी अपना परिचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

52. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं है।

धारा 143 के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

53. शून्य।

वस्तुगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

54. कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले कोई वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

55. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है ;
- किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं प्रदान किया गया है; और
- जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित हो, सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं किया गया।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

56. कंपनी ने अभी तक अपना व्यापार प्रचालन शुरू नहीं किया है और व्यापार प्रचालन शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

निक्षेप

57. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय v के तहत कंपनी ने जनता से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

58. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में आदेश पारित किए हैं। नियामकों या किसी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और प्रचालन को प्रभावित करनेवाले कोई अन्य महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश पारित नहीं किए गए थे।

अन्य प्रकटीकरण

59. कंपनी अपना प्रचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और आवश्यक श्रमशक्ति भी तैनात की जा रही है। कार्यस्थल

पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन कंपनी द्वारा परिचालन शुरू करने के बाद किया जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी मामला दर्ज/निपटान नहीं किया गया है।

अभिस्वीकृति

60. निदेशक मंडल, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा दिए गए निरंतर संरक्षण और समर्थन के लिए बेहद आभारी है। बोर्ड, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार के विविध कार्यालयों, विभिन्न स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, कानूनी सलाहकारों, परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उप-ठेकेदारों और कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए अपनी आभारी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

अनुबंध ।

फार्म सं. एमआर-3

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

आचार्य श्री

सेवा में ,

सभी सदस्य

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड

एस सं. 377, पञ्चमाथुर ग्राम

पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

हमने **टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (सीआईएन : U27209TN1984PLC010994)** (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि हमें निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया ।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्यानों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते है कि हमारी राय में, कंपनी ने मार्च 31, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है :

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट जारी करने हेतु कोविड-19 और उसके बाद की लॉकडाउन स्थिति के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन और जांच की :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं ;

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

व्यापार अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण
----------------	------------------	---------------

बोर्ड के किसी भी निर्णय पर कोई असहमति नहीं थी, जैसा कि बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है ।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, को छोड़कर, इसके कोई उदाहरण नहीं थे :

- सार्वजनिक/अधिकार/शेयरों के अधिमान्य निर्गम सहित प्रतिभूतियों के निर्गमन ।
- प्रतिभूतियों का प्रतिदान/ वापसी खरीद ।
- विदेशी तकनीकी सहयोग ।
- विलय/समामेलन/निर्माण आदि ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनसीएलटी के आदेश और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, कपनी ने मौजूदा शेयरों

(इक्विटी और अधिमान) को रद्द कर दिया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सफल समाधान आवेदक, को 65,00,00,000/- रुपए की राशि के प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए ।

इस रिपोर्ट को सम तारीख के अनुबंध 'क' के साथ पढा जाना है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है ।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनीक कोड : P2019KE075600)
यूडीआईएन: F003050C000202722

सी एस पुष्पनकरा शिवकुमार
प्रबंध साझेदार
एफसीएस : F3050, सीओपी सं.2210

दिनांक : 28.04.2021

स्थान : कोच्ची

क. कारखाना अधिनियम, 1948 ;

ख. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

ग. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

घ. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ;

ङ. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008;

च. विद्युत अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विद्युत विनियम 2010

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक1 और 2 ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशक और गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन से विधिवत् गठित किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में किए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे और बैठक के पहले कार्यसूची पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण की मांग और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में एक सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

सम तिथि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध ‘क’

संक्षेप में

सेवा में ,

सभी सदस्य

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम

पुकाथुरे पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

संक्षेप में

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है ।

1) टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (इसके बाद ‘कंपनी कहा जाता है’) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जांच सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के उद्देश्य से नमूना जांच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।

2) लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टीकरण के साथ कंपनी द्वारा हमें बनाए गए और हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है ।

3) लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय और अन्य अभिलेखों, कानूनी अनुपालन तंत्र और निगमित आचरण की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

4) कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है ।

5) जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है । सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का प्रचालन किया है ।

6) अनुपालन पर एक राय बनाते समय और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने मार्च 31, 2021 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है ।

7) हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन के रूप में माना है, जहां कहीं भी कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी ।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनीक कोड : P2019KE075600)
यूडीआईएन: F003050C000202722

सी एस पुषुनकरा शिवकुमार
प्रबंध साझेदार
दिनांक : 28.04.2021
स्थान : कोच्ची
एफसीएस : F3050, सीओपी सं.2210

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन : 07376798

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत

1. टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (‘टीएसएल/ कंपनी), जो अब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अपनी सभी गतिविधियों में निगमित शासन मूल्य प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास करती है। नया प्रबंधन अच्छी निगमित शासन प्रथाओं को स्थापित करने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य व्यापार करते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) एफ.सं. 18(8)/2005-जीएम के अनुसरण में, कंपनी को निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। हालांकि कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निगमित शासन पर रिपोर्ट तैयार की है।

निदेशक मंडल

2. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने अपने सितंबर 25, 2018 के आदेश के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कंपनी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरुआत की। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल की शक्तियाँ कंपनी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के शुरू होने के परिणामस्वरूप सितंबर 25, 2018 से निलंबित कर दी गई थी और उक्त शक्तियां सीआईआरपी के दौरान अंतरिम समाधान पेशेवर / समाधान पेशेवर के पास निहित होगी।

5. मार्च 31, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में चार गैर- कार्यपालक निदेशक है। कंपनी का एक गैर - कार्यकारी अध्यक्ष है। मार्च 31, 2021 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री सुरेशबाबु एन वी *	07482491	गैर- कार्यपालक निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर- कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर- कार्यपालक निदेशक

* नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री सुरेशबाबु एन वी दिनांक मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे।

3. सीआईआरपी के प्रारंभ होने पर, श्री एन कुमार (पंजीकरण सं. आईबीबीआई/आईपीए-001/ आईपी-पी 00724/2017-18/11254) को कंपनी के अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2018 में, श्री एन कुमार को कार्यमुक्त कर दिया गया और श्री बालकृष्णन वेंकटाचलम (पंजीकरण सं. आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी 00229/2017-18/10458) को कंपनी के अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया। समाधान प्रक्रिया के दौरान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (जो पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, उन्होंने टीएसएल के अधिग्रहण के लिए अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की और एनसीएलटी, चेन्नई ने अपना आदेश मार्च 04, 2020 के द्वारा उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी है। एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, एनसीएलटी आदेश की तारीख से बोली राशि के भुगतान तक समाधान योजना के कार्यान्वयन और टीएसएल के अनिरंतर प्रबंधन की निगरानी हेतु सीएसएल नामितों, समाधान पेशेवर और सीओसी नामितों की एक निगरानी समिति का गठन किया गया था।

4. दिनांक सितंबर 15, 2020 को कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा बोली राशि के भुगतान के परिणामस्वरूप, निगरानी समिति भंग हो गई, तत्कालीन मौजूदा निदेशकों और केएमपी को हटा दिया गया और सीएसएल द्वारा नामित नए निदेश मंडल को नियुक्त किया गया। इसके अलावा, सितंबर 15, 2020 से टीएसएल, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (जो पहले पोत परिवहन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था) के अनुमोदन के अनुसार, अध्यक्ष, सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) होंगे और सीएमडी, सीएसएल, टीएसएल के बोर्ड में सीएसएल के तीन कार्यात्मक निदेशकों को अंशकालिक निदेशकों के रूप में नामित करेंगे।

6. निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण आपस में : शून्य
7. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	निदेशक पद की श्रेणी	दिनांक
नियुक्ति				
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	सितंबर 15, 2020
2.	श्री सुरेशबाबु एन वी	07482491	गैर- कार्यपालक निदेशक	सितंबर 15, 2020
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर- कार्यपालक निदेशक	सितंबर 15, 2020
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर- कार्यपालक निदेशक	सितंबर 15, 2020
समापन				
5.	श्री विजय कुमार	00726561	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	सितंबर 15, 2020
6.	श्री माधवन श्रीनिवासन	02994130	स्वतंत्र निदेशक	सितंबर 15, 2020

8. मार्च 31, 2021 को कंपनी के बोर्ड में शामिल निदेशकों की रूपरेखा, जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति शामिल है, उसे वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है। इन निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों और समिति पदों का विवरण नीचे निदेशक और समिति की स्थिति शीर्षक के तहत प्रदान किया गया है।

बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

9. कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरा होने के परिणामस्वरूप निदेशक मंडल का सितंबर 15, 2020 से पुनः स्थापित कर दिया गया था। सितंबर 15, 2020 से मार्च 31, 2021 (वित्त वर्ष 2020-21) की अवधि के दौरान, बोर्ड की छह बैठकें हुई हैं और दो बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं है। कंपनी की 36 वीं एजीएम दिसंबर 17, 2020 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड की बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक						एजीएम
	2020					2021	दिसंबर 17, 2020
	अक्टूबर 21	नवंबर 07	नवंबर 17	दिसंबर 04	दिसंबर 15	फरवरी 06	
श्री मधु एस नायर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री सुरेशबाबु एन वी	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

निदेशक पद और समिति की स्थिति

10. मार्च 31, 2021 को निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों/ अध्यक्षता की कुल संख्या और टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड सहित समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता के पद नीचे दिए गए हैं :

निदेशक का नाम	निदेशक पद की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु एस नायर	3	3	-	-
श्री सुरेशबाबु एन वी	-	3	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	3	-	-
श्री जोस वी जे	-	3	-	-

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक पद और निदेशक पद शामिल नहीं है।
- सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखा परीक्षा समितियों और हितधारक संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

11. दिनांक 31 मार्च 2021 तक बोर्ड की कोई उप समिति गठित नहीं की गई है। कंपनी अपना संचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) एफ.सं. 18(8)/2005- जी एम के अनुसरण में, कंपनी को निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

सामान्य बोर्ड बैठक

12. चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए कंपनी की कोई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पूर्ववर्ती प्रबंधन/ आरपी द्वारा आयोजित नहीं की गई थी, सीएसएल द्वारा अधिग्रहण से पहले कंपनी के लंबित कंपनी अधिनियम के अनुपालन को नियमित करने हेतु, नए निदेशक मंडल ने दिनांक दिसंबर 17, 2020 को उक्त वर्षों के लिए एजीएम आयोजित किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	दिनांक और समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2017-18	दिसंबर 17, 2020 को 10.30 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015	जी नहीं
2018-19	दिसंबर 17, 2020 को 10.40 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015	जी नहीं
2019-20	दिसंबर 17, 2020 को 10.50 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015	जी नहीं

13. कंपनी की 37 वीं एजीएम सितंबर 15, 2020 को पूर्वाह्न 11.20 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682 015 में आयोजित करने हेतु निर्धारित है।

अन्य प्रकटीकरण

- (i). संबंधित पार्टी लेनदेन

14. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संघर्ष कर सकता है या हो सकता है।

- (ii). कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन

15. कंपनी द्वारा गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं था और कंपनी पर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा- निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर, कंपनी के दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान कोई दंड/ प्रतिबंध नहीं लगाई गई थी।

- (iii). पर्दाफाश नीति

16. कंपनी अपनी प्रचालन शुरू करने हेतु बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है। एक बार जब बुनियादी ढांचा तैयार हो जाता है और कंपनी अपना प्रचालन शुरू कर देती है, तो यह हितधारकों को अवैध या अनैतिक प्रथाओं, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन जैसे मामलों को प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु एक ढांचा प्रदान करने के लिए एक पर्दाफाश नीति तैयार और लागू करेगी।

कंपनी का वित्तिय विवरणों के संबंध में कोई प्रतिबद्धि नहीं है।

(iv). निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

17. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) एफ.सं. 18(8)/2005-जीएम के अनुसरण में, कंपनी को निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

(v). वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण ।

18. वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (जो पूर्व पोत परिवहन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में तहत सितंबर 2020 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। कंपनी वर्तमान में प्रचालन शुरू करने हेतु आवश्यक शिपयार्ड बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में, जहां भी लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

(vi). लेखा बहियों में डेबिट किए गए व्यय की वस्तुएं, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं है।

शून्य

(vii).वे व्यय जो स्वरूप से व्यक्तिगत है और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

शून्य

(viii).वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल का 7.07% (पिछले वर्ष 8.30%) था। वित्तीय व्यय वर्ष 2020-21 के कुल व्यय का 1.55% (पिछले वर्ष 0.26%) था।

(ix). परिणामों के संचार का माध्यम

19. सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्जीवित कंपनी अपने संचालन को शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के सुधार

की प्रक्रिया में है। चूंकि कंपनी का शेयर किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए तिमाही/ छमाही/ वार्षिक परिणाम प्रकाशित करने हेतु कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं हैं। हालांकि, धारक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) का समेकित वित्तीय परिणाम (तिमाही/ छमाही/ वार्षिक) जो कंपनी के वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुसार प्रकाशित किया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और कार्यालयीन समाचार का प्रकाशन कंपनी की वेबसाइट www.tebma.co.in पर उपलब्ध हैं।

(x). लेखा परीक्षा शर्त

20. सॉविधिक लेखापरीक्षकों मेसर्स शब्बीर और गणेश, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(xi). बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

21. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक हैं, और शिक्षा, उद्योग, रक्षा, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रों में बहुत विशाल, विस्तृत और विविध अनुभव रखते हैं। वर्तमान में, कंपनी प्रचालन शुरू करने हेतु आवश्यक शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और समय के साथ बोर्ड के सदस्यों को जहां भी आवश्यक समझा जाएगा, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कंपनी का वित्तिय विवरणों के संबंध में कोई प्रतिबद्धि नहीं है।

पत्राचार हेतु पता:

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड

एस.सं. 377, पषमाथुर ग्राम

पुकाथुरै पोस्ट, मदुरंतकम तालुक

कांचीपुरम- 603 116

ईमेल: secretary.tsl@cochinshipyard.in

वेबसाइट : www.tebma.co.in

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी बयान

1. इस प्रबंधन चर्चा में विवरण और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कंपनी के संचालन के परिणाम, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अंतर्गत दूरदेशी हो सकते हैं । दूरदेशी बयान भविष्य की घटनाओं की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं । कंपनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सही हैं या उन्हें साकार किया जाएगा । कंपनी किसी भी बाद के घटनाक्रम, सूचना या घटनाओं के आधार पर दूरदेशी बयानों को सार्वजनिक रूप से संशोधित करने, आशोधित करने या परिशाोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है । वास्तविक परिणाम बयान में व्यक्त किए गए परिणामों से वास्तव में भिन्न हो सकते हैं । कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारकों में नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में बदलाव, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं । वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 (‘अधिनियम’) के प्रावधान के अनुसार है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है । टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (‘टीएसएल’ या ‘कंपनी’) के प्रबंधन ने विवेकपूर्ण और उचित आधार पर वर्ष के लिए मामलों की स्थिति सहित वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है, ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हों ।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ पढा जाना चाहिए और इन बयानों की टिप्पणी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं । जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां ‘हम’, ‘हमें’, ‘हमारी’, ‘कंपनी’, ‘टेबमा’, ‘टीएसएल’, ‘ग्रूप’ के सभी संदर्भ टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड और इसकी नियंत्रक कंपनी के संबंध में है ।

3. आगे, कंपनी को सितंबर 25, 2018 से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत रखा गया था । समाधान प्रक्रिया के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, ने टीएसएल के अधिग्रहण के लिए अपनी संकल्प योजना प्रस्तुत की और एनसीएलटी, चेन्नई ने अपने मार्च 04, 2020 के आदेश द्वारा उक्त संकल्प योजना को मंजूरी दी । नतीजतन, समाधान योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और एनसीएलटी आदेश की तारीख से बोली राशि के भुगतान तक समाधान योजना के कार्यान्वयन और टीएसएल के अनिरंतर प्रबंधन की निगरानी के लिए सीएसएल नामितियों, समाधान पेशेवर और सीओसी नामिति की एक निगरानी समिति का गठन किया गया था । सितंबर 15, 2020 को सीएसएल ने कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली राशि

का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई और सीएसएल द्वारा नामित नए निदेशक मंडल ने कंपनी का कार्यभार संभाला । इसके अलावा, अनुमोदित समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश में उल्लिखित सीमा को छोड़कर कंपनी के सभी दावे/बकाया/देयताएं पूरी तरह समाप्त हो गई है । इसके साथ ही कंपनी की समाधान प्रक्रिया समाप्त हो गई ।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी सीआईआरपी के अधीन थी और सुविधाएं गैर-परिचालन हो गई थीं, पूरे रिकॉर्ड/सूचना की वसूली नहीं की जा सकी । आगे, वर्तमान बोर्ड/प्रबंधन को सीआईआरपी अवधि के दौरान/पूर्व में अपने प्रचालनों और कंपनी के लेखा बहियों के लेनदेन/सूचना/पूर्ण पहुँच के बारे में भी जानकारी नहीं थी । तदनुसार, वर्तमान बोर्ड/प्रबंधन अधिग्रहण की तारीख से पहले किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है ।

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

5. रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक पोत निर्माण उद्योग में इस वर्ष भी मुख्य रूप से कोविड-19 के प्रकोप के कारण गिरावट आने की उम्मीद है, जिसके कारण सामाजिक दूरी, दूरस्थ कार्य और उद्योगों और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने से संबंधित प्रतिबंधात्मक रोकथाम उपायों के परिणामस्वरूप परिचालन चुनौतियों का सामना करना पडा है । आगे, कड़े पर्यावरण नियमों से पोत निर्माण बाजार के विकास में बाधा आने की उम्मीद है । यह समुद्री नौवहन गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण है जो हवा और पानी की गुणवत्ता और समुद्री और मुहाना जैव विविधता को प्रभावित करते हैं ।

6. यह आगे बताया गया है कि वैश्विक पोत निर्माण बाजार वर्ष 2023 में सुधार होने की उम्मीद है । व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, वर्ष 2019-2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की मात्रा में 3.5% की औसत वार्षिक वृद्धि दर का विस्तार होने का अनुमान है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समुद्र के माध्यम से माल का हस्तांतरण सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प है, दुनिया भर में माल की बढ़ती मांग से पोत निर्माण बाजार के विकास में योगदान की उम्मीद है ।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

7. मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2020 दस्तावेज के अनुसार, देश के समुद्री क्षेत्र अपने समग्र व्यापार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह देश के व्यापार की मात्रा का 95% और व्यापार मूल्य का 65% समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जा रहा है । वैश्विक स्तर पर, भारत 1% से कम वैश्विक हिस्सेदारी के साथ पोत पुनर्चक्रण में 2 वें स्थान पर और पोत निर्माण में 21 वें स्थान पर है । एमआईवी 2030 द्वारा पोत निर्माण के लिए घरेलू मांग चैनलाइजेशन, अनुषंगी और समुद्री डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सामान्य

प्लेटफॉर्मों का विकास, पोत मरम्मत समूहों का निर्माण, और देश की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में इस्यात उद्योग में स्क्रेप के बढ़ते उपयोग के माध्यम से कचरे को धन में बढ़ावा देना आदि की पहचान की गई है । इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और यात्रियों की आवाजाही भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विकास क्षमता का अनुमान लगाती है कि वे परिवहन के अत्यधिक किफायती और एक पर्यावरण के अनुकूल साधन है । अगले दशक में देश के महासागर, तटीय और नदी पर्यटन क्षेत्र के भी बढ़ने की उम्मीद है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में गहरे समुद्र में मछली पकड़नेवाला समुदाय तकनीकी रूप से उन्नत पोतों की उपलब्धता की कमी का अनुभव करता है जो तकनीकी रूप से उन्नत और परिष्कृत मछली पकड़नेवाले पोतों के लिए काफी संभावनाएं और बाजार की दृश्यता दावा करता है । नीली क्रांति और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) जैसी सरकारी नीतियां जो देश में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है, इस क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद रखता है ।

प्रचालन

8. टीएसएल, जिसकी सुविधाएं पिछले कई वर्षों से गैर-परिचालन हो गई थी, को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया था और तब से टीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है । टीएसएल में दो सुविधाएं हैं, एक माल्पे, कर्नाटक और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में है । माल्पे में सुविधाएं नीचे दी गई तीन इकाइयों में फैली हुई हैं :

- क. माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स - हल निर्माण और जलावतरण,
- ख. हैंगरकट्टा - स्टील की तैयारी और ब्लॉक निर्माण, तथा
- ग. बावुथोट्टा - गोदाम ।

9. वर्तमान में, कंपनी अपना प्रचालन शुरू करने के लिए माल्पे में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है । माल्पे में तीन सुविधाओं में से, गोदाम का पुनरुद्धार पूरा हो गया है और चालू है । हैंगरकट्टा इकाई का पुनरुद्धार उन्नत चरणों में है और इसके जुलाई 2021 तक चालू होने की उम्मीद है । माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में सुधार कार्य भी प्रगति पर है । ट्रांसफर बे को तैयार कर लिया गया है और मुख्य नया भवन शॉप और सर्फेस ट्रीटमेंट शॉप की मरम्मत अगस्त 2021 तक पूरी होने के लिए प्रगति कर रही है । आवश्यक श्रमशक्ति की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है ।

10. टीएसएल ने संरचनात्मक आउटफिटिंग मद, पतवार, हाइड्रोफोर इकाइयों आदि के निर्माण के लिए चेंगलपेट सुविधा विकसित करने की योजना बनाई है और माल्पे सुविधा के चालू होने और चेंगलपेट सुविधा की व्यवहार्यता स्थापित होने के बाद इस संबंध में गतिविधियां शुरू की जाएंगी ।

11. टीएसएल मुख्य रूप से मत्स्य ग्रहण जहाजों (विशेष रूप से तकनीकी रूप से उन्नत गहरे समुद्र में गहरे समुद्र मत्स्य ग्रहण जहाज), टग्स और 80 मीटर तक के विशेषीकृत क्राफ्ट आदि पर ध्यान केंद्रित करता है जो आनेवाले वर्षों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी संभावनाएं पेश करता है । शुरुआत में कंपनी

“प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)”, जो भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की एक आशाजनक योजना है, के तहत गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों का निर्माण करेगी । टीएसएल यार्ड को तैयार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त जहाजों का उत्पादन योजना के अनुसार शुरू हो । हालांकि जिस गति के साथ गतिविधियों को प्रचालन शुरू करने और व्यापार के अवसरों को पूंजीकरण करने हेतु योजना बनाई गई है, जो जारी कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। टीएसएल मत्स्य ग्रहण जहाज और टग्स के निर्माण के आदेशों के लिए भी प्रयास कर रहा है ।

12. कंपनी ने अपने प्रचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के सुधार की प्रक्रिया में होने के कारण, पिछले वर्ष के 20971.05 लाख रुपए के बही लाभ के सामने मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 136.04 लाख रुपए की हानि रिपोर्ट किया है । इसके अलावा, कंपनी ने पिछले वर्ष के लिए 207.00 लाख रुपए के सामने मार्च 21, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 74.74 लाख रुपए के कुल आय रिपोर्ट किया है ।

प्रस्तावित लाभांश

13. कोई लाभांश अनुशंसित नहीं है क्योंकि कंपनी वर्तमान में अपना परिचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और कोई विभाज्य लाभ नहीं है ।

खंडवार/उत्पादवार निष्पादन

14. कंपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और इसने अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है ।

शक्तियाँ, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां (स्वोट)

15. टीएसएल के पास उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाएं हैं जिसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर बड़े एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जहाजों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई है । टीएसएल, सीएसएल जो भारत के प्रमुख शिपयार्डों में से एक है, की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, विभिन्न प्रकार के जहाजों के निर्माण और मरम्मत में सीएसएल की विशेषज्ञता और अनुभव टीएसएल की क्षमताओं में काफी वृद्धि करेगा । वर्तमान में, कंपनी भारत में उभरते हुए मत्स्य ग्रहण जहाज खंड में एक अच्छे अवसर की उम्मीद कर रही है और उम्मीद है कि इस अवसर से पूरी तरह लाभ उठाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करेगी ।

16. टीएसएल बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और विभिन्न मोर्चों से परिचालन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जिसे कंपनी हितधारकों को लगाते हुए दूर करने की उम्मीद करती है । आगे, जारी कोविड-19 महामारी भी प्रचालन शुरू करने के लिए नियोजित गतिविधियों को अंजाम देने में कंपनी के लिए खतरा पैदा कर रही है ।

जोखिम और चिंताएं

17. कंपनी मत्स्य ग्रहण जहाजों और छोटे वाटरक्राफ्ट खंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी माल्पे सुविधा में अपेक्षित शिपयार्ड बुनियादी ढांचे को स्थापित करने का प्रयास करती है । सुधार गतिविधियों को समय पर पूरा करने में देरी और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण योजना के अनुसार प्रचालन शुरू करने में विफलता कंपनी के लिए इस समय प्रमुख जोखिम होगी । कंपनी महामारी से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए स्थानीय/सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का पालन करती है । इसके अलावा, जैसा कि कंपनी को वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया जो भारत में बहुत प्रारंभिक चरण में है, के माध्यम से लिया गया है, कंपनी को विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों और विक्रेताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ अधिग्रहण को नियमित करने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उक्त कठिनाइयों के कारण परिचालन प्रभावित न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ।

आंतरिक नियंत्रण

18. बोर्ड ने अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है ।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

19. कंपनी आवश्यक मानव संसाधन विकसित करने और एक उपयुक्त संगठन संरचना स्थापित करने की प्रक्रिया में है । अपेक्षित श्रमशक्ति की नियुक्ति के लिए भर्ती गतिविधियां सितंबर 2020 में शुरू की गई थीं और फरवरी-मार्च 2021 के दौरान प्रारंभिक तौर पर कर्मचारियों को तैनात किया गया था । बाकी की नियुक्ति

के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है । उपरोक्त के अलावा, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी कंपनी के सुचारू परिवर्तन के लिए विशेष नियुक्ति के आधार पर लगे हुए हैं ।

पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

20. कंपनी, शिपयार्ड बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में है और ऊर्जा दक्ष उपायों के अपनाने में प्राथमिकता दी है, प्रचालन शुरू होने पर प्रौद्योगिकी समामेलन हासिल किया जाएगा । कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं किया है ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

21. चूंकि कंपनी माल्पे में सुविधाओं को पुनर्जीवित और प्रचालित करने की प्रक्रिया में है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है । आनेवाले समय में संगठन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलुओं की दिशा में प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे ।

चेतावनी बयान

22. इस ‘प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट’ में कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, धारणाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करनेवाला विवरण है, जो लागू नियमों और विनियमों के अर्थ के भीतर दूरदेशी बयान हो सकते हैं । वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से असल में भिन्न हो सकते हैं । कंपनी के प्रचालन में अंतर लानेवाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली आर्थिक स्थितियां, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत की स्थिति, सरकारी नीतियां और विनियम, कानून और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं ।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

स्थान : कोच्ची

दिनांक : मई 07, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड
के सदस्य

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट लेखापरीक्षकों की राय

हमने टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के सदस्य ('कंपनी') के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें मार्च 31, 2021 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण) और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में 'वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है।)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पड़ित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और मार्च 31, 2021 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि (अन्य व्यापक आय सहित), और समाप्त वर्ष हेतु अपने नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपने लेखा परीक्षा का संचालन किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय

विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु उचित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों की अवधारणा

कंपनी के भविष्य के निष्पादन पर कोविड-19 प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के संबंध में, हम, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बातें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबंधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संश्लेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है :

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

नए लेखा मानकों का अनुप्रयोग (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 2.2 देखें)

कंपनी भारतीय लेखा मानक (संशोधन) नियम, 2016 के संदर्भ में कंपनी ने दिनांक अप्रैल 01, 2020 से भारतीय लेखा मानकों को अपनाया है। अप्रैल 01, 2019 को परिवर्तन तिथि तुलन पत्र और मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए वैधानिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है और भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करने के लिए पुनर्कथित किया गया है। अनिवार्य और वैकल्पिक परिवर्तनकालीन समायोजन के अनुप्रयोग में प्रबंधन द्वारा निर्णय का महत्वपूर्ण स्तर शामिल है और भारतीय लेखा मानक के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसलिए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया है।

हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

- भारतीय लेखा मानकों के तहत मौजूदा लेखा नीतियों और आवश्यकताओं के बीच अंतर की पहचान और अनुप्रयोग के संबंध में प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और आंतरिक नियंत्रणों की जांच की।
- भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा पहचाने गए समायोजनों की पूर्णता मूल्यांकन किया।
- वस्तुगत समायोजनों के आधार और गणना को सत्यापित किया, यानि पीपीई का उचित मूल्यांकन, अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का अनुप्रयोग और पट्टा लेखांकन।



वित्तीय
विवरण

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	
एक कोचीन शिपयार्ड कंपनी	वार्षिक रिपोर्ट 2020-21
मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
समाधान योजना के प्रभावों के लिए लेखांकन उपचार प्रबंध	
<p>दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत वर्ष के दौरान समाप्त एक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अनुसार कंपनी में कार्यान्वित समाधान योजना के विवरण के लिए वित्तीय विवरण के नोट 42 का संदर्भ लें ।</p>	
<p>मार्च 04, 2020 को स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, वित्तीय लेनदारों, कर्मचारियों को छोड़कर परिचालन लेनदारों और परिचालन लेनेदारों-कर्मचारी और कामगारों की देनदारियों को रद्द कर दी थी ।</p>	
<p>हालांकि, कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप और उसके बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, एनसीएलटी ने बोली राशि के भुगतान की समय-सीमा बढ़ा दी । तदनुसार, बोली राशि का भुगतान सितंबर 15, 2020 को किया गया था और नए प्रबंधन द्वारा अधिग्रहण उस तारीख से प्रभावी था ।</p>	
<p>समाधान योजना के प्रावधानों को समझना और उसके लेखांकन व्यवहार की उपयुक्तता विशेष रूप से इक्विटी और अधिमानी शेयर पूंजी की मान्यता रद्द करने के लेखांकन प्रबंध, अपेक्षित महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान का निर्धारण करना, जिसमें समाधान योजना राशि और मौजूदा इक्विटी और अधिमान शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम राशि के समापन के बीच अंतर की प्रस्तुति के लिए लागू होनेवाले लेखांकन सिद्धांतों पर विचार आदि शामिल हैं ।</p>	
<p>वित्तीय विवरणों को समग्र रूप से समझनेवाले उपयोगकर्ताओं की समझ और उनकी अहमियत के लिए इसके महत्व के कारण समाधान योजना के प्रभावों का लेखा-जोखा हमारे द्वारा सर्वाधिक महत्व का विषय माना जाता है ।</p>	
<p>कंपनी ने उचित मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मानित लागत के रूप में मानने के लिए चुना है । संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए किया गया उचित मूल्य समायोजन दिनांक 01.04.2019 को पिछले जीएएपी के तहत बताए गए वहन मूल्य के लिए ₹ 4250.80 लाख रुपए था ।</p>	
<p>कंपनी ने दिनांक 31.03.2020 तक कच्चे माल और घटकों की उपलब्ध सूची के लिए पूर्ण प्रावधान किया था और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को अब इनका मूल्य 188.92 लाख रुपए है ।</p>	

वित्तीय विवरणों में समाधान योजना के प्रभाव को उचित रूप से पहचाना गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है :

- समाधान योजना की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया की समीक्षा की ।

- उक्त योजना की आवश्यकताओं को समझने के लिए समाधान योजना के प्रावधानों की समीक्षा की और वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया ।

- नमूना जांच के आधार पर सहायक दस्तावेजों और गणनाओं से समाधान योजना के अनुमोदन की तिथि के अनुसार देनदारियों के शेष का सत्यापन किया ।

- समाधान योजना के अनुसार निधियों की प्राप्ति और भुगतान का समर्थन करनेवाले अंतर्निहित दस्तावेजों का सत्यापन किया ।

- वित्तीय और परिचालन लेनदारियों के लिए बकाया देनदारियों की शेष राशि की गणना में समाधान योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जांच की ।

- मूल्यांकन किया गया कि क्या प्रबंधन द्वारा लागू किए गए लेखांकन सिद्धांत भारतीय लेखा मानक के सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों में समाधान योजना के प्रभावों को उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

- समाधान योजना के कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोटों में किए गए संबंधित प्रकटीकरण की जांच की ।

मूल्यांकन विशेषज्ञों को नियुक्त करके उचित मूल्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जानेवाली प्रमुख मान्यताओं और मूल्यांकन पद्धतियों की जांच करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की और मूल्यांकन किया गया।

मूल्यांकन विशेषज्ञों को शामिल करके वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जानेवाली प्रमुख मान्यताओं और मूल्यांकन पद्धतियों की जांच करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की और मूल्यांकन किया गया ।

	व्यापार अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और तत्संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी को निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है । अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और तत्संबंध में हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है ।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं ।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है ।

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई वस्तुगत गलत बयान है, हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों तक पहुँचाना और लागू कानूनों और विनियमों में लागू कार्रवाइयों का वर्णन करना आवश्यक है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रभारी शासन का उत्तरदायित्व

इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में सूचित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार होगा जो भारतीय लेखांकन मानक, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित, इसके अधीन जारी संगत नियमों के साथ पढित, सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का एक सही और उचित दृश्य देता है ।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक निदेशक मंडल या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं हैं कि एस ए एस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है । हम यह भी करते हैं कि :

- वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं ।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है । कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है ।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना ।

- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है । फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है ।

- प्रकटीकरण सहित, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं ।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं ।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है ।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं । हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी ।

अन्य मामला

मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल अप्रैल 01, 2019 के परिवर्तन तिथि प्रारंभिक शेष कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं और निम्नानुसार लेखापरीक्षित हैं : -

क. अप्रैल 01, 2019 को प्रारंभिक तुलन पत्र एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक (डी रंगस्वामी एंड कंपनी एफआरएन:003073S) द्वारा लेखापरीक्षा की, नवंबर 07, 2020 के मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर **राय का अस्वीकरण** व्यक्त किया ।

ख. मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय सूचना को एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक (डी रंगस्वामी एंड कंपनी एफआरएन:003073S) द्वारा लेखापरीक्षा की, नवंबर 07, 2020 के मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर **राय का अस्वीकरण** व्यक्त किया ।

दिनांक मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की ये तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल अप्रैल 01, 2019 के परिवर्तन तिथि प्रारंभिक शेष पत्र को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर कंपनी

द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतर के लिए समायोजित किए गए थे, जिनकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है ।

इस मामले में हमारा मत योग्य नहीं है ।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (“आदेश”) द्वारा अपेक्षितानुसार, हम ने **अनुबंध ‘क’** में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है ।

2. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम, **अनुबंध ‘ख’** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों पर एक रिपोर्ट देते हैं ।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हैं, और यह हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे ।

ख. हमारी राय में, बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

ग. इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है ।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन करता है ।

ङ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) जून 5, 2015 द्वारा दी गई छूट के मद्देनजर, निर्देशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता इस रिपोर्ट के **अनुबंध ‘ग’** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ. अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी को जून 5, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है ।

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 36 देखें ।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए मार्च 31, 2021 तक किसी भी तरह की वस्तुगत पूर्वाभासी हानि का अनुमान लगाया जा सकता है ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

कृते **शब्बीर और गणेश**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009033S

सी ए गणेश चेरमल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुप्पी

दिनांक :- 07.05.2021

यूडीआईएन : 21207231AAAANKH7119

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुबंध

i. क. कंपनी ने अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हैं ।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों के बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है और इस तरह के सत्यापन पर कोई वस्तुगत विसंगतियां नहीं देखी गईं ।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों और हमें प्रदान किए गए स्वामित्व विलेखों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, भूमि और भवनों की सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख जो कि पूर्ण स्वामित्व का है, जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी के नाम पर रखे गए हैं । भूमि और भवनों की अचल संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में उपयोग के अधिकार संपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है, पट्टा समझौता कंपनी के नाम पर हैं । हैंगरकट्टा यार्ड का पट्टा वर्ष 2019 में समाप्त हो गया है ।

ii. प्रबंधन द्वारा अपनाई गई मालसूची सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है । भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं और बही लेख में निपटायी गया है ।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाई गई पंजी में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों के लिए कंपनी ने प्रतिभूति या अप्रतिभूति रूप से कोई ऋण नहीं दिया है । तदनुसार आदेश के खंड (iii) (क) (ख) (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 185 के तहत शामिल पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है । कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है ।

v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है ।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट करनेवाला कोई आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता ।

vii. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, पेशेवर कर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशियों को उचित अधिकारियों को लागू करने सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है ।

ख. जैसा कि समाधान योजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में वित्तीय विवरणों के नोट 36 में उल्लेख किया गया है, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्यवर्धित कर के संबंध में कोई बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है ।

viii. मार्च 04, 2020 को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की शर्तों को मंजूरी दी थी, जिसके अनुसरण में सीआईआरपी प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को कंपनी द्वारा बकाया ऋणों को पूरी तरह से निपटान कर दिया गया है । तदनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण या उधार के पुनर्भूगतान में चूक नहीं की है । वर्ष के दौरान कंपनी पर सरकार या डिबेंचर धारकों का कोई बकाया नहीं था ।

ix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान सावधि ऋण के रूप में जुटाई गई धनराशि इस उद्देश्य के लिए लागू की गई थी, जिसके लिए इसे उठाया गया था । कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है ।

x. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भी वस्तुगत धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है ।

xi. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) जून 05, 2015 द्वारा दी गई छूट के मद्देनजर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और इस तरह के संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक 24, 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' में अपेक्षितानुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है ।

xiv. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुमोदित समाधान योजना की शर्तों के अनुसार शेयरों का तरजीही आबंटन/ निजी स्थानन किया है । उसी के संबंध में, हमारी राय में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन किया है । इसके अलावा, हमारी राय में, इस प्रकार जुटाई गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए धन जुटाया गया था । वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्ण/आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का तरजीही आबंटन/निजी स्थानन नहीं किया ।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के तहत निर्धारित निदेशकों

या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

कृते **शब्बीर और गणेश**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009033S

सी ए गणेश चेरमल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपुपी

दिनांक :- 07.05.2021

यूडीआईएन : 21207231AAAANKH7119

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	वार्षिक रिपोर्ट 2020-21
एक कोचीन शिपयार्ड कंपनी	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ‘ख’

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुबंध ।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश :

हम निम्न दिए गए मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं :

1. सामान्य निदेश

क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है ? यदि हां, तो, वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ, यदि कोई हो, बताए जाए ।

हमारी राय में, कंपनी के पास माल सूची प्रबंधन को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है । हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है ।

ख) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के कोई पुनः संरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट है ? यदि हां, तो, वित्तीय प्रभाव निर्दिष्ट किया जाए । क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो, यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है ।)

कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन थी और समाधान योजना को दिनांक मार्च 04, 2020 को एनसीएलटी-डिविजन बेंच-I, चेन्नई द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार ऋणदाता बैंकों के कुल स्वीकृत ऋण में से कुल 602.39 करोड रुपए, 9.74% चेतन राशि 58.65 करोड रुपए थी , जो अनुमोदित किया और सितंबर 2020 के दौरान उधारदाताओं को भुगतान किया गया था । देनदारियों के बट्टे खाते में डालने का वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2019-20 में दिया

गया था । समाधान योजना के अनुसार, वित्तीय लेनदार बहिष्कृत जहाजों और बहिष्कृत वित्तीय संपत्तियों की आय के लिए भी पात्र हैं ।

ग) क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया गया/उपयोग किया गया ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं ।

हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया गया/ उपयोग किया गया था ।

2. उप निदेश

लेखापरीक्षा अवधि के लिए कोई उप निदेश जारी नहीं किया गया था ।

कृते शब्बीर और गणेश	
सनदी लेखाकार	
फर्म पंजीकरण संं. 009033S	
सी ए गणेश येरमल	
साझेदार	
स्थान :- उडुप्पी	सदस्यता संं. 207231
दिनांक :- 07.05.2021	यूडीआईएन : 21207231AAAKH7119

	व्यापार अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ‘ग’

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मार्च 31, 2021 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है (‘दिशानिर्देश नोट’)। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है । हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित दिशानिर्देश नोट और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया । मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने

के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है । चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है ।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है । एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है । (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन भारतीय लेखा मानक विवरणों के संदर्भ के साथ, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत

के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, मार्च 31, 2021 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009033S

सी ए गणेश येरमल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुप्पी

दिनांक :- 07.05.2021

यूडीआईएन : 21207231AAAAKH7119

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (7) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके दिनांक 07.05.2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा उनके द्वारा किए गए बताया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक को अभ्युदय दें।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पक्ष में

(आर. अंबलवनन)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक, चेन्नई

स्थान : चेन्नई

दिनांक : 26.07.2021

मार्च 31, 2021 का तुलन पत्र

		(₹ लाखों में)		
व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
परिसंपत्तियां				
अप्रचलित परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4	9,956.20	10,877.15	12,133.37
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	103.61	-	-
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	8.96	13.13	16.68
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	7	-	-	1.32
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	-	-	37.78
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	9	11.95	350.68	481.30
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	3,989.52	-	-
(छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	-	-	5,582.86
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		14,070.24	11,240.96	18,253.31
चालू परिसंपत्तियां				
(क) मालसूची	12	188.92	-	2,816.76
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्राप्य व्यवहार	13	6.52	-	495.08
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	14	2,526.99	87.29	53.95
(iii) उपयुक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	15	0.81	0.81	365.64
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	16	0.67	1.59	18,132.90
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	17	93.94	13.41	691.48
कुल चालू परिसंपत्तियां		2,817.85	103.10	22,555.81
कुल परिसंपत्तियां		16,888.09	11,344.06	40,809.12
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी :				
(क) शेयर पूंजी	18	6,500.00	20,236.15	20,236.15
(ख) अन्य इक्विटी	19	7,153.21	(16,780.92)	(37,751.97)
कुल इक्विटी		13,653.21	3,455.23	(17,515.82)
देयताएं:				
अप्रचलित देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार राशियां	20	500.00	-	10,197.43
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	75.39	-	1,915.00
कुल अप्रचलित देयताएं		575.39	-	12,112.43
चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	22	-	5,965.00	39,728.16
(ii) व्यापार देय				
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए कुल बकाया राशि	23	-	-	-
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		0.83	90.49	799.12
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	24	1,440.74	195.14	4,144.97
(ख) अन्य चालू देयताएं	25	7.14	388.20	1,401.18
(ग) प्रावधान	26	1,210.78	1,250.00	139.08
कुल चालू देयताएं		2,659.49	7,888.83	46,212.51
कुल इक्विटी और देयताएं		16,888.09	11,344.06	40,809.12

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1-2
भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन का विवरण	3
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 43

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं.. A41969	शिवु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यपालक अधिकारी	जोस वी जे निदेशक डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
---	--	--	---	--

कोच्ची. दिनांक मई 07, 2021
कृते **मेसर्स शब्बीर और गणेश.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.009033S

सी.ए गणेश येरमल
साझेदार
सदस्यता सं. 207231
यूडीआईएन : 21207231AAAAKH7119
उडुपी, दिनांक मई 07, 2021

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

		(₹ लाखों में)		
क्र. सं.	व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I	आय			
	प्रचालनों से आय	27	-	116.38
	अन्य आय	28	74.74	90.62
	कुल आय		74.74	207.00
II	व्यय			
	कर्मचारियों के भत्तों के लिए व्यय	29	71.60	35.56
	वित्तीय मूल्य	30	23.14	7.36
	मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	31	1284.46	1259.77
	अन्य व्यय	32	104.98	1481.15
	कुल व्यय		1484.18	2783.84
III	विशेष मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (I-II)		(1409.44)	(2576.84)
IV	विशेष मद	33	1263.40	23547.89
V	कर पूर्व लाभ/ (हानि) (III-IV)		(146.04)	20971.05
VI	कर व्यय			
	(1) चालू कर	10	-	-
	(2) आस्थगित कर		(10.00)	-
VII	अवधि/वर्ष का लाभ /(हानि) (V-VI)		(136.04)	20971.05
VIII	अन्य ब्योरेदार आय			
	(क)मदों को लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	(ख)मदों को लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	अवधि/ वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		-	-
IX	अवधि/ वर्ष के लिए कुल ब्योरेदार आय (VII-VIII)		(136.04)	20971.05
XII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10) प्रत्येक ₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर	34	6500.00	7736.15
	(1) मूल (₹ में)		(0.21)	27.11
	(2) तनुकृत (₹ में)		(0.21)	27.11
			वार्षिक	वार्षिक

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन का विवरण

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं.. A41969	शिवु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यपालक अधिकारी	जोस वी जे निदेशक डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
---	--	--	---	--

कोच्ची. दिनांक मई 07, 2021
कृते **मेसर्स शब्बीर और गणेश.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.009033S

सी.ए गणेश येरमल
साझेदार
सदस्यता सं. 207231
यूडीआईएन : 21207231AAAAKH7119
उडुपी, दिनांक मई 07, 2021

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(146.04)	20,971.05
समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	1,284.46	1,259.77
ब्याज व्यय	14.69	-
ब्याज आय	(6.26)	(21.59)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	1,146.85	22,209.23
कार्यशील पूंजी में चलन:		
मालसूचियों में वृद्धि / घटाव	(188.92)	2,816.76
व्यापार, अन्य प्राप्यों और संपत्तियों में वृद्धि / (घटाव)	(87.73)	25,057.05
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटाव)	735.66	(6,475.53)
	1,605.86	43,607.51
आयकर प्रदत्त (वापसी निवल)	-	-
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	1,605.86	43,607.51
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(68.61)	-
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(103.61)	-
प्राप्त ब्याज	6.26	21.59
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(165.96)	21.59
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
उधार की चुकौती	(5,965.00)	(43,960.59)
सहायक कंपनी से ऋण की प्राप्ति	500.00	-
पूंजी का निर्गम	6,500.00	-
ब्याज व्यय	(14.69)	-
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(20.51)	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	999.80	(43,960.59)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	2,439.70	(331.49)

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	87.29	418.78
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	2,526.99	87.29
रोकड और रोकड तुल्यांक के घटक (नोट 14 का संदर्भ लें)		
रोकड शेष	-	-
बैंकों में शेष		
- चालू खाते में	2,526.99	87.29
कुल रोकड और रोकड तुल्यांक	2,526.99	87.29

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन का विवरण

3

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

4 - 43

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं.. A41969

शिवु जॉण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जोस वी जे
निदेशक
डीआईएन - 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन - 07376798

कोच्ची. दिनांक मई 07, 2021
कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.0090335

सी.ए गणेश चेरमल
साझेदार
सदस्यता सं. 207231
यूडीआईएन : 21207231AAAAKH7119
उडुपी, दिनांक मई 07, 2021

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. शेयर पूंजी

		(₹ लाखों में)	
अप्रैल 01, 2020 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2021 को	
20,236.15	-13,736.15	6,500.00	
(₹ लाखों में)			
अप्रैल 01, 2019 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2020 को	
20,236.15	0.00	20,236.15	

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षण निधि व अधिशेष			कुल
	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण निधि	सामान्य आरक्षण निधि	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2020 को शेष	12,194.71	228.33	(29,203.96)	(16,780.92)
पूंजी के रद्द होने के कारण समायोजन	(12,194.71)	12,194.71		-
शेयर पूंजी रद्द करना		20,236.15		20,236.15
जोड़: तेंकाशी के जमीन और वाहनों का क्रिया गया उचित मूल्यांकन		194.83		194.83
जोड़: डीटीए खोलना			3,979.52	3,979.52
घटाव एमएटी क्रेडिट को रद्द करना और प्राप्य टीडीएस के सामने प्रावधान उत्पन्न करना			(340.33)	(340.33)
प्रतिधारित आय से सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		(25,564.77)	25,564.77	-
वर्ष के लिए लाभ			(136.04)	(136.04)
31 मार्च 2021 को शेष	-	7,289.25	(136.04)	7,153.21

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षण निधि व अधिशेष			कुल
	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण निधि	सामान्य आरक्षण निधि	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2019 को शेष	12,194.71	228.33	(54,425.81)	(42,002.77)
संक्रमण समायोजन			4,250.80	4,250.80
वर्ष का लाभ			20,971.05	20,971.05
मार्च 31, 2020 को शेष	12,194.71	228.33	(29,203.96)	(16,780.92)

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन का विवरण
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1-2
3
4 - 43

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969

शिवु जॉण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जोस वी जे
निदेशक
डीआईएन - 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन - 07376798

कोच्ची, दिनांक मई 07, 2021
कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.0090335

सी.ए गणेश चेरमल
साझेदार
सदस्यता सं. 207231
यूडीआईएन : 21207231AAAAKH7119
उडुपी, दिनांक मई 07, 2021

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल), घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक जहाजों और भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत के निर्माण और मरम्मत में लगी कंपनी जुलाई 09, 1984 को स्थापित किया गया था । टीएसएल को ‘टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड’ के रूप में शामिल किया गया था, जो ‘टेबमा इंजीनियरिंग लिमिटेड’ के रूप में सार्वजनिक हो गया और बाद में इसका नाम बदलकर ‘टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड’ कर दिया गया । कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एस सं. 377, पष्माथुर ग्राम, पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक, कांचीपुरम - 603 116 पर स्थित है । टीएसएल के दो यार्ड हैं, एक माल्ये, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट - तमिलनाडु में है । इसकी हैंगरकट्टा (माल्ये यार्ड लगभग 2 कि.मी.) में एक प्रमुख निर्माण इकाई है । टीएसएल अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए पोत निर्माण उद्योग में एक जाना माना नाम रहा है ।

टीएसएल ने आदेशों के रह करने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव किया और वर्ष 2010 में कंपनी ने बैंकरों के कंसोर्टियम के साथ एक पूंजी ऋण पुनर्गठन समझौता किया और अप्रैल, 2011 में मास्टर पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । इसके अलावा, अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कंपनी विफलता के परिणामस्वरूप, परिचालन लेनदारों में से एक ने वर्ष 2018 में कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत एक दिवाला याचिका दायर की । नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने अपने सितंबर 25, 2018 के आदेश के तहत याचिका को अनुमति दी और कंपनी को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत रखा गया था । (इसके बाद ‘समाधान प्रक्रिया’ के रूप में संदर्भित ।)

संकल्प प्रकिया के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, टीएसएल के अधिग्रहण के लिए अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की और एनसीएलटी, चेन्नई ने अपने आदेश दिनांक 04 मार्च 2020 के द्वारा उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी । फलस्वरूप, संकल्प योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और सीएसएल नामितियों, संकल्प पेशेवर और सीओसी नामिती से मिलाकर एक निगरानी समिति का गठन किया गया था जो कि समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और एनसीएलटी के आदेश की तारीख से बोली की राशि के भुगतान तक टीएसएल के अस्थायी प्रबंधन की निगरानी के लिए गठित की गई थी । सितंबर 15, 2020 को सीएसएल ने कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली राशि का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई और सीएसएल द्वारा नामित नए निदेशकमंडल ने कंपनी का कार्यभार संभाला । इसके अलावा, अनुमोदित समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश में उल्लिखित सीमा को छोड़कर कंपनी के सभी दावे/बकाया/देयताएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं । इसके साथ ही कंपनी की समाधान प्रक्रिया समाप्त हो गई ।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और मई 07, 2021 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया ।

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (‘आईएनआर’) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है ।

2.2 भारतीय लेखा मानक विवरण का अनुपालन

मार्च 31, 2020 के लिए और तक के वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए थे जो अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के अधीन अधिसूचित किया गया ।

चूंकि ये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं, भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों के साथ पहली बार अपनाना लागू किया गया है । भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन ने कंपनी की पूर्व में रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया है, इसका स्पष्टीकरण नोट 3 में परिवर्तन समाधान के रूप में दिया गया है ।

2.3 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय साधनों, पीपीई और आरओयू परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है । ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है । उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा ।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शतों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

	व्यापार अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण
--	----------------	------------------	---------------

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है । पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है । कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है ।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि ।

अनकोटेड निवेशों की हानि

कंपनी हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे समाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष विवरण को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों के लिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मदों के कैरियिंग मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पी पी ई नि: शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मर्दों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते है, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

2.7 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.8 अगोचर परिसंपत्ति

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.9 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) ‘पट्टे’ अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है ।

पट्टेदार के रूप में :

कंपनी की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं । कंपनी इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है । एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल हैं, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है । क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने केलिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (i) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल हैं, (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफी हैं और (iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है ।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे । इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है ।उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है । पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है । पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुन: भुगतान किया जाता है । एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुन : मापा जाता है । पुन:मापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है । पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

एक पट्टादाते के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदाता है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है । जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदाते को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं ।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

प्रचालन पट्टे केलिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है । पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को (‘अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति’) में समायोजित किया जाता है ।

2.10मूल्यहास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती है। मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची ॥ में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची ॥ में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
विवरण संसाधन उपकरण	3-6 वर्ष

पट्टेदार भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कुछ इमारतों और स्लिपवे सहित पट्टेदार सुधार शेष अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के निचले हिस्से में मूल्यहास कर रहे हैं।

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि

अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रनीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 माल सूची

वस्तुसूची का मूल्य निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में वस्तुसूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने हेतु खरीद की सभी लागतें और लागत शामिल हैं। पोत निर्माण परियोजनाओं के लिए कच्चे माल और घटकों की सूची का मूल्यांकन भारत औसत पद्धति के आधार पर किया जाता है।

2.13 वित्तीय साधन

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोडा या घटाया जाता है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्ट लाईजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नही हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो मान्यता प्राप्त है और न ही प्रकट किया गया है। हालांकि जब आय की वसूली असल में निश्चित हैं, संबंधित संपत्ति को मान्यता दी जाती है।

2.15 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

भविष्य निधि : भविष्य निधि में योगदान (एक परिभाषित योगदान योजना) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है। मासिक योगदान के अलावा भविष्य निधि लाभों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नही है।

उपदान : यह एक परिभाषित लाभ योजना है। देयता का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमाकिक लाभ और हानि, जिसमें अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं, उसको तुरंत लाभ और हानि खाते में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति : अवकाश पात्रता का प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन पत्र की तिथि पर किए गए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमाकिक लाभ या हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है।

2.16 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोग्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.17 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुति घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुन: पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.18आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमश: अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियाँ और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।.

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियाँ उपयोग किया जा सकता है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.19 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोग्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवत: कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.20 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियाँ या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुडे आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.21 हाल के लेखांकन अधिसूचनाएं- मानक जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

हाल ही में लेखा विकास - कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (‘एमसीए’) द्वारा नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है । ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो अप्रैल 01, 2021 से लागू होगी ।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 3 : इक्विटी का समाधान जैसा कि पहले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानक को रिपोर्ट किया गया था

(i) कुल अन्य इक्विटी का समाधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को	01.04.2019 को
पिछले जीएएपी के अनुसार इक्विटी	(20,937.52)	(42,002.77)
भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर पुनर्मापन		
(1) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4,156.60	4,250.80
भारतीय लेखा मानक के अनुसार इक्विटी	(16,780.92)	(37,751.97)

(ii) कुल व्यापक आय का समाधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को
पिछले जीएएपी के अनुसार निवल लाभ	21,065.25
भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर पुनर्मापन	
(1) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(94.20)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार निवल लाभ	20,971.05
भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुल व्यापक आय/(हानि)	20,971.05

कुल इक्विटी और कुल व्यापक आय के समाधान हेतु टिप्पणी :

क. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण :

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर कंपनी ने उचित मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हेतु मानित लागत के रूप में माना है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले जीएएपी की तुलना में वहन मूल्य में वृद्धि हुई है। उचित मूल्य उत्थान पर अतिरिक्त मूल्यहास के परिणामी प्रभाव को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

(iii) मार्च 31, 2020 और अप्रैल 01, 2019 को पिछले जीएएपी सहित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तुलन पत्र की वस्तुगत मदों का मिलाप:

(₹ लाखों में)

		अप्रैल 01, 2019			
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार	पिछले जीएएपी के अनुसार	वृद्धि/ (कमी)		अभ्युक्तियां
परिसंपत्तियां:					
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	12,133.37	7,899.25	4,234.12	क.	कंपनी ने उचित मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मानी गई लागत के रूप में मानने हेतु चुना है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हेतु किए गए उचित मूल्य समायोजन की राशि पिछले जीएएपी के तहत बताए गए वहन मूल्य के लिए ₹ 4250.80 लाख थी।
अमूर्त परिसंपत्ति	16.68	-	16.68	ख.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संपत्ति के उपयोग के अधिकार को भारतीय लेखा मानक के तहत अलग श्रेणी के मदों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iii) मार्च 31, 2020 और अप्रैल 01, 2019 को पिछले जीएएपी सहित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तुलन पत्र की वस्तुगत मदों का मिलाप:

(₹ लाखों में)

		अप्रैल 01, 2019			
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार	पिछले जीएएपी के अनुसार	वृद्धि/ (कमी)		अभ्युक्तियां
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	37.78	-	37.78	ग.	37.78 लाख रुपए की राशि की प्रतिभूति को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों से भारतीय लेखा मानक के तहत वित्तीय प्रकार के अन्य गैर चालू वित्तीय संपत्तियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
आयकर परिसंपत्ति	481.30	-	481.30	घ.	स्रोत पर कर कटौती, अग्रिम कर और एमएटी का भुगतान किया गया, जो कि 481.30 लाख रुपए माना जाता है, जिसे अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों से भारतीय लेखा मानक के तहत एक अलग श्रेणी मद आयकर संपत्ति में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	5,582.86	652.37	4,930.48	ङ.	इसके अलावा ग और घ मदों का संदर्भ लें, सरकारी अधिकारियों के साथ शेष राशि को अन्य मौजूदा संपत्ति के रूप में 133.29 लाख रुपए में पुनर्वर्गीकृत किया गया है और सब्सिडी प्राप्तियों को अन्य मौजूदा संपत्ति से अन्य गैर वर्तमान संपत्ति में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति	18,132.90	-	18,132.90	ड.	अन्य जमाराशियों की राशि 94.81 लाख रुपए, बकाया राशि 18018.78 लाख रुपए, सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज 19.30 लाख, भारतीय लेखा मानक के तहत वित्तीय प्रकृति में अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अलयावधि ऋण और अग्रिम	-	558.19	(558.19)	च.	आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए गए अग्रिम को अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू परिसंपत्ति	691.48	23,715.75	(23,024.27)	छ.	इसके अलावा ड और च मदों का संदर्भ लें, सरकारी अधिकारियों के साथ शेष राशि को अन्य वर्तमान संपत्ति के लिए 133.29 लाख रुपए की राशि के साथ पुनर्वर्गीकृत किया गया है और सब्सिडी प्राप्तियों को अन्य चालू संपत्ति से अन्य गैर वर्तमान संपत्ति के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
देयताएं:					
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	1,915.00	-	1,915.00	ज.	इंडिया एडवॉंटेज फंड से प्राप्त राशि 1915 लाख रुपए को अन्य दीर्घकालिक देयताओं से अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं के लिए भारतीय लेखा मानक के तहत वित्तीय प्रकृति में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	-	1,915.00	(1,915.00)	झ.	मद छ का संदर्भ लें।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iii) मार्च 31, 2020 और अप्रैल 01, 2019 को पिछले जीएएपी सहित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तुलन पत्र की वस्तुगत मदों का मिलाप:

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01, 2019				
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार	पिछले जीएएपी के अनुसार	वृद्धि/ (कमी)	अभ्युक्तियाँ
व्यापार देयताएं	799.12	817.32	(18.20)	ज. 21.86 लाख रुपए की कर्मचारी संबंधी देयताओं को व्यापार देय राशि से चालू वित्तीय देयताओं में और 3.66 लाख रुपए अन्य लेनदारों को चालू देयताओं से व्यापार देय राशि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	4,144.95	-	4,144.95	झ. कर्मचारी से संबंधित देयताओं को 213.35 लाख रुपए की राशि के समतुल्य माना जाता है, 3810.76 लाख रुपए के व्यय हेतु उपार्जन, ब्याज उपार्जित लेकिन 33.19 लाख रुपए की उधारी पर बकाया नहीं, भारतीय लेखा मानकों के तहत 87.65 लाख रुपए की राशि के ठेकेदारों की अवधारण को अन्य चालू देयताओं से अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वित्तीय प्रकृति में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
प्रावधान	139.08	50.39	88.69	ज. उपदान हेतु 85.63 लाख की राशि का प्रावधान और छुट्टी नकदीकरण की राशि 3.06 लाख को अन्य चालू देयताओं से प्रावधान में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू देयताएं	1,401.17	5,616.63	(4,215.46)	मद ज, झ और ज का संदर्भ लें।

(₹ लाखों में)

मार्च 31, 2020				
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार	पिछले जीएएपी के अनुसार	वृद्धि/ (कमी)	अभ्युक्तियाँ
परिसंपत्तियाँ:				
संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	10,877.15	6,733.68	4,143.47	क. कंपनी ने उचित मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मानी गई लागत के रूप में मानने हेतु चुना है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हेतु किए गए उचित मूल्य समायोजन की राशि पिछले जीएएपी के तहत बताए गए बहन मूल्य के लिए ₹ 4250.80 लाख थी।
अमूर्त परिसंपत्ति	13.13	-	13.13	ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संपत्ति के उपयोग के अधिकार को भारतीय लेखा मानक के तहत अलग श्रेणी के मदों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iii) मार्च 31, 2020 और अप्रैल 01, 2019 को पिछले जीएएपी सहित भारतीय लेखा मानक के अनुसार तुलन पत्र की वस्तुगत मदों का मिलाप:

(₹ लाखों में)

मार्च 31, 2020				
	भारतीय लेखा मानक के अनुसार	पिछले जीएएपी के अनुसार	वृद्धि/ (कमी)	अभ्युक्तियाँ
आयकर परिसंपत्ति	350.68	-	350.68	ग. स्रोत पर कर कटौती, अग्रिम कर और एमएटी का भुगतान किया गया, जो कि 350.68 लाख रुपए माना जाता है, जिसे अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों से भारतीय लेखा मानक के तहत एक अलग श्रेणी मद आयकर संपत्ति में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	-	352.46	(352.46)	मद ग का संदर्भ लें और सरकारी अधिकारियों के साथ शेष राशि को अन्य चालू परिसंपत्ति के रूप में 1.78 लाख रुपए में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति	1.59	-	1.59	घ. अन्य जमाराशियों को अन्य चालू परिसंपत्तियों से वित्तीय प्रकृति वाले अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में भारतीय लेखा मानक के तहत 1.59 लाख रुपए की राशि की ओर पुनर्वर्गीकृत किया गया है और सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष राशि को अन्य चालू परिसंपत्ति के रूप में 1.78 लाख रुपए में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू परिसंपत्ति	13.42	13.22	0.20	
देयताएं:				
व्यापार देयताएं	90.49	38.63	51.86	ड. कर्मचारियों के अलावा अन्य प्रचालन लेनदारों को 51.86 लाख रुपए की राशि को बड़े खाते में डालने की सीमा तक अन्य चालू देयताओं से व्यापार देय राशि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	195.14	-	195.14	च. 195.14 लाख मानी जाने वाली कर्मचारी संबंधी देयताओं को अन्य चालू देयताओं से भारतीय लेखा मानक के तहत वित्तीय प्रकृति की अन्य चालू वित्तीय देयताओं में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
अन्य चालू देयताएं	388.20	635.20	(247.00)	उपरोक्त मद ड और च का संदर्भ लें।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

व्योरा	सकल कैरिबिंग राशि		मूल्यहास		निवल कैरिबिंग राशि	
	01.04.2020 को	जोड़/ विलोपन वर्ष के दौरान निपटान/ समावोजन	31.03.2021 को	वर्ष के लिए समावोजन/ (आहरण)	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि संपत्ति	2,420.37	187.50	2,607.87	-	2,607.87	2,420.37
भूमि -पूर्ण स्वामित्व इमारतें	2,060.41	2.55	2,062.96	94.28	188.30	1,874.66
संयंत्र और मशीनरी	4,657.45	21.78	4,679.23	545.25	1,089.78	3,589.45
कार्यालय उपकरण	19.42	21.40	40.82	3.81	8.21	32.61
फर्नीचर और फिट्टिंग्स	20.06	7.87	27.93	5.18	10.37	17.56
कंप्यूटर	17.26	0.80	18.06	5.66	10.80	7.26
इलेक्ट्रिकल फिट्टिंग वाहन	-	14.21	14.21	0.08	0.08	14.13
उप कुल	9,194.97	263.44	9,458.41	654.18	1,308.23	8,150.18
पट्टे परिसर की संपत्तियां						
इमारतें	1,830.40		1,830.40	374.00	749.03	1,081.37
स्लाबवे	1,108.00		1,108.00	227.01	453.40	654.60
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (भारतीय लेखा मानक 116)		95.90	95.90	-	25.85	70.05
उप कुल	2,938.40	95.90	3,034.30	602.04	1,228.28	1,806.02
कुल	12,133.37	359.34	12,492.71	1,256.22	2,536.51	10,877.15

व्योरा	सकल कैरिबिंग राशि		मूल्यहास		निवल कैरिबिंग राशि	
	01.04.2019 को	जोड़/ विलोपन वर्ष के दौरान निपटान/ समावोजन	31.03.2020 को	वर्ष के लिए समावोजन/ (आहरण)	31.03.2020 को	31.03.2020 को
भूमि संपत्ति	2,420.37		2,420.37	-	2,420.37	2,420.37
भूमि -पूर्ण स्वामित्व इमारतें	2,060.41		2,060.41	94.28	1,966.13	2,060.41
संयंत्र और मशीनरी	4,657.45		4,657.45	545.25	4,112.20	4,657.45
कार्यालय उपकरण	19.42		19.42	3.81	15.61	19.42
फर्नीचर और फिट्टिंग्स	20.06		20.06	5.18	14.88	20.06
कंप्यूटर	17.26		17.26	5.66	11.60	17.26
उप कुल	9,194.97	-	9,194.97	654.18	8,540.79	9,194.97
पट्टे परिसर पर संपत्तियां						
इमारतें	1,830.40		1,830.40	375.03	1,455.37	1,830.40
स्लाबवे	1,108.00		1,108.00	227.01	880.99	1,108.00
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (भारतीय लेखा मानक 116)						
उप कुल	2,938.40	-	2,938.40	602.04	2,336.36	2,938.40
कुल	12,133.37	-	12,133.37	1,256.22	10,877.15	12,133.37

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी ने उचित मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण हेतु मानित लागत के रूप में मानने हेतु चुना है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए किए गए उचित मूल्य समायोजन की राशि पिछले जीएएपी के तहत बताए गए वहन मूल्य के लिए ₹ 4250.80 लाख थी।

संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन दिनांक 15 सितंबर 2020 के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में किया गया था। संपत्ति की सभी श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कार्यकाल का मूल्यांकन किया गया। इन संपत्तियों के लिए मूल्यहास प्रदान करने हेतु शेष उपयोगी कार्यकाल पर पहुँचने हेतु इस काल को आधार के रूप में लिया गया है।

टीएसएल ने माल्पे हेंगरकट्टा में पट्टे पर ली गई भूमि के लिए कुंडापुरा पत्तन और कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। माल्पे के लिए पट्टा करार 2023 में समाप्त हो जाएगा, जबकि हेंगरकट्टा भूमि के लिए पट्टे की अवधि 2019 में पहले ही समाप्त हो चुकी है। पट्टा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस बीच कंपनी ने वर्ष के दौरान माल्पे पट्टे के किराए के लिए 20.51 लाख रुपए और हेंगरकट्टा पट्टे के किराए के लिए 1.86 लाख रुपए प्रदत्त किए। भारतीय लेखा मानक 116 केवल माल्पे पट्टेदार भूमि के लिए लागू होता है।

माल्पे याद में पट्टेदार भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग (गेर परिवर्तनीय संपत्ति) के लिए अलग और परिवहन नहीं की जा सकने वाली संपत्तियां पट्टे की अवधि और उन 34 परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के निचले हिस्से पर परिशोधित/ मूल्यहास की जाती है। साथ ही कल्पी (कोलकाता- 2.31 सेंट) में भूमि का मूल्य और हेंगरकट्टा में 0.78 सेंट भूमि का सत्यापन और मूल्यांकन लंबित होने के कारण खातों में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

व्योरा	(₹ लाखों में)		
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	103.61	-	-
कुल	103.61	-	-

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

ब्योरा	सकल कैरिबिंग राशि		ऋणमुक्ति		निवल कैरिबिंग राशि	
	01.04.2020 को	जोड़/ विलोपन निपटान/ समायोजन	वर्ष के दौरान 31.03.2021 को	वर्ष के लिए (आहरण)	31.03.2021 को	31.03.2021 को
भूमि उपयोग करने का अधिकार	16.68	-	16.68	4.17	7.72	8.96
कुल	16.68	-	16.68	4.17	7.72	8.96
						13.13

ब्योरा	सकल कैरिबिंग राशि		ऋणमुक्ति		निवल कैरिबिंग राशि	
	01.04.2019 को	वर्ष के दौरान 31.03.2020 को	वर्ष के लिए (आहरण)	वर्ष के लिए (आहरण)	31.03.2020 को	31.03.2020 को
भूमि उपयोग करने का अधिकार	16.68	-	16.68	3.55	3.55	13.13
कुल	16.68	-	16.68	3.55	3.55	13.13

अमूर्त संपत्ति के तहत दिखाए गए भूमि के उपयोग का अधिकार माल्ये पट्टेदार भूमि का उपयोग करने हेतु पत्तन अधिकारी कुंडपुरा को भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 7 : निवेश- गैर चालू

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
उद्धृत (पूर्णतया प्रदत्त)			
इक्विटी उपकरणों में निवेश			
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर			
आंध्रा बैंक लिमिटेड	-	-	0.46
शून्य (पिछले वर्ष : शून्य, पिछले वर्ष से पहले : 4600) प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर से पूरी तरह प्रदत्त			
सिडिकेट बैंक लिमिटेड	-	-	0.86
शून्य (पिछले वर्ष : शून्य, पिछले वर्ष से पहले : 1728) प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर से पूरी तरह प्रदत्त			
कुल	-	-	1.32

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ- गैर चालू

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
प्रतिभूति जमा	-	-	37.78
कुल	-	-	37.78

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियाँ/देयता (निवल)

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियाँ			
आयकर परिसंपत्तियाँ	11.95	350.68	481.30
कुल	11.95	350.68	481.30

लाभ और हानि के विवरण में आयकर को मान्यता दी गई

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
वर्तमान कर:		
वर्तमान आयकर शुल्क	0.00	0.00
पूर्व वर्षों के संबंध में समायोजन	-	-
कुल (क)	0.00	0.00
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	(10.00)	-
कुल (ख)	(10.00)	-
लाभ और हानि के विवरण (क + ख) में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	(10.00)	0.00

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ इस प्रकार समेटा जा सकता है:-

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर से पूर्व लाभ	(146.04)	20971.05
संबंधित लागू दरों पर परिकल्पित आयकर व्यय	(37.97)	5452.47
उन खर्चों का प्रभाव जो कर योग्य लाभ का निर्धारण करने में कटौती योग्य नहीं है	336.16	652.54
कर योग्य लाभ का निर्धारण करने में स्वीकार्य खर्चों का प्रभाव	(164.83)	(1,823.36)
अप्रेषित व्यापार घटाव का समायोजन	(133.35)	(4,281.65)
कुल	0.00	0.00
पूर्व वर्षों के वर्तमान कर के संबंध में चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त समायोजन	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(10.00)	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	(10.00)	0.00

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

	(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
आस्थगित कर दायित्व	(817.69)	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(4,807.21)	-	-
कुल	(3,989.52)	-	-

वर्ष 2020-21 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (संपत्तियां)

	(₹ लाखों में)		
ब्योरा	प्रतिधारित आय में प्रारंभिक शेष स्वीकृत	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	अंतिम शेष
प्रावधान	(325.00)	10.20	(314.80)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	971.29	(156.73)	814.56
अमूर्त संपत्ति	-	-	-
अप्रेनीत हानियाँ	(4,625.81)	133.39	(4,492.42)
अन्य	-	3.15	3.15
कुल	(3,979.52)	(10.00)	(3,989.52)

दिनांक 31 मार्च 2021 को, कंपनी ने वित्तीय अनुमानों के आधार पर भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ की उपलब्धता का आकलन करके आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता का आकलन किया है, जिसे प्रबंधन द्वारा आस्थगित कर संपत्ति को अवशोषित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

	(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य			
प्राप्य अनुवृत्ति	179.36	2,791.43	5,582.86
घटाए : प्राप्य अनुवृत्ति का प्रावधान	(179.36)	(2,791.43)	-
कुल	-	-	5,582.86

प्राप्य अनुवृत्ति राशि की गणना पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रेस नोट (2003) द्वारा जारी पोत निर्माण सब्सिडी योजना के अनुसार की जाती है।

माननीय एनसीएलटी द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 के आदेश द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा जारी पोत निर्माण अनुवृत्ति योजना के तहत प्राप्य अनुवृत्ति का 50% टीएसएल के लेनदारों की समिति (सीओसी) से संबंधित है। वर्ष के दौरान, टीएसएल को एमओपीएसडब्ल्यू से अनुवृत्ति के दावे के नामे 2148.96 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। अतः इस प्रकार प्राप्त अनुवृत्ति का 50% रुपए सीओसी को 1074.48 लाख देय है। प्रावधान राशि को वास्तविक के आधार पर संशोधित किया गया है।

नोट 12 : मालसूचियाँ

	(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
कच्चे माल और घटक	2,816.76	2,816.76	2,816.76
घटाए : वस्तुसूची के लिए प्रावधान	(2,627.84)	(2,816.76)	-
कुल	188.92	-	2,816.76

स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा स्टॉक सत्यापन के आधार पर 188.92 लाख रुपए की सूची को प्रयोग योग्य के रूप में पहचाना गया है और तदनुसार प्रावधान को चालू वर्ष 2020-21 के दौरान सीमा तक बदल दिया गया है।

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू

	(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	6.52	-	495.08
कुल	6.52	-	495.08

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्य है। चूंकि व्यापार प्राप्य एक वर्ष से कम के लिए देय हैं, इसलिए भारतीय लेखा मानक 109 के तहत कोई अपेक्षित ऋण हानि भत्ता नहीं दिया जाता है।

नोट 14 : रोकड और रोकड तुल्यांक

	(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
हाथ में रोकड	-	-	-
बैंक शेष			
चालू खाते में	276.65	87.29	53.95
सावधि जमा			
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	2,250.34	-	-
कुल	2,526.99	87.29	53.95

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 14 : रोकड और रोकड तुल्यांक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार, टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के लिए अनुमोदित समाधान योजना के तहत बैंकों को बोली राशि का भुगतान किया गया है और टेबमा को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में बनाए गए या मौजूद सभी प्रतिभूति शुल्क, ऋणभार, समाधान योजना के संदर्भ में जारी, उन्मुक्त माने जाते हैं। परिणामस्वरूप बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है और टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड को मार्जिन राशि जारी की जाएगी। हालांकि, मार्जिन राशि (कुल मिलाकर लगभग 351.115 लाख रुपए) अभी तक बैंकों द्वारा कंपनी को जारी नहीं की गई है क्योंकि उनके पास उनके द्वारा पहले जारी किए गए बैंक गारंटियों के लिए ग्रहणाधिकार है, जिसे टीएसएल ने विवादग्रस्त किया है। अतः विवेकपूर्ण आधार पर कंपनी सावधि जमाओं को उस अवधि में मान्यता देगी, जिसमें बैंक वास्तव में मार्जिन राशि जमा जारी करता है।

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)			
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा	0.81	0.81	365.64
कुल	0.81	0.81	365.64

नोट 16 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)			
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	0.67	-	19.30
बिल न किया गया राजस्व	-	-	18,018.79
जमा - अन्य	-	1.59	94.81
कुल	0.67	1.59	18,132.90

नोट 17 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)			
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को भुगतान किया गया अग्रिम	-	-	558.19
पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम			
अन्य अग्रिम	13.84	-	-
सरकारी अधिकारियों के साथ शेष	-	1.78	133.29
विविध जमाराशियां	1.42	-	-
पूर्वदत्त व्यय	25.39	-	-
अन्य प्राप्तियां	24.17	11.63	-
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	29.12	-	-
कुल	93.94	13.41	691.48

अन्य प्राप्त राशियां वर्तमान में समाधान पेशेवर द्वारा संचालित सीआईआरपी खाते से बाहर किए गए जहाजों के लिए किए गए व्यय के कारण लेनदारों की समिति (सीओसी) से वसूल की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को		01.04.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत						
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00
₹ 10/- प्रति के वरीयता शेयर	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त						
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 का 6.5% अनिवार्य रूप से प्रतिदेय वरीयता शेयर (सीआरपीएस) शेयर वाले इक्विटी शेयर	-	-	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
कुल	6,50,00,000	6,500.00	20,23,61,505	20,236.15	20,23,61,505	20,236.15

18.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को		01.04.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	7,73,61,505	7,736.15	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15

ब्योरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को		01.04.2019 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष की शुरुआत में बकाया वरीयता शेयर	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	12,50,00,000	12,500.00	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया वरीयता शेयर	-	-	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

अतीत में शेयरों पर मतदान के अधिकार को देखते हुए वरीयता शेयर भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर थे जिसे इक्विटी के रूप में माना गया है, जब तक कि इन्हें माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार चालू वर्ष में रद्द नहीं किया गया।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

18.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण

ब्योरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को		01.04.2019 को	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6,50,00,000	100%	-	-	-	-
कुल	6,50,00,000	100%	-	-	-	-

18.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को		01.04.2019 को	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6,50,00,000	100%	-	-	-	-
2. निरूपम ऊर्जा परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	-	-	4,16,09,323	53.79%	4,16,09,323	53.79%
3. इंडिया एंडवांटेज फंड - VI	-	-	3,42,52,636	44.28%	3,42,52,636	44.28%

नोट 19 : अन्य इक्विटी

ब्योरा	(₹ लाखों में)		
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
प्रतिभूति प्रीमियम	-	12,194.71	12,194.71
सामान्य आरक्षण	7,289.25	228.33	228.33
उचित मूल्य समायोजन- भारतीय लेखा मानक परिवर्तन के कारण	-	4,250.80	4,250.80
प्रतिधारित कमाई	(136.04)	(33,454.76)	(54,425.81)
	7,153.21	(16,780.92)	(37,751.97)

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने दिनांक 04 मार्च 2020 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के अधिग्रहण के लिए प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकृति दे दी, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। एनसीएलटी आदेश के अनुपालन में, सीएसएल ने दिनांक 15 सितंबर 2020 को टीएसएल के अधिग्रहण के लिए बोली राशि का भुगतान किया, जिस तारीख से टीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। तदनुसार, सीएसएल को शेयर जारी करना, टीएसएल में मौजूदा शेयरों को रद्द करना, देनदारियों और परिसंपत्तियों का निपटान, जो उनके उचित मूल्यों पर समाधान योजना के अनुसार अर्जित किए गए हैं, उनको संचित हानियों/ भंडार के सामने समायोजित किया गया है उसके निवल प्रभाव को सामान्य आरक्षित निधि में जमा कर दिया गया है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 20 : उधार - गैर चालू

ब्योरा	(₹ लाखों में)		
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
सावधि ऋण	-	-	3,650.33
बैंको से कार्यशील पूंजी की सुविधा	-	-	6,547.10
प्रतिभूति रहित			
होल्डिंग कंपनी से ऋण @5.5% प्रति वर्ष (अप्रतिभूत)	500.00	-	-
कुल	500.00	-	10,197.43

टीएसएल के प्रचालन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 5.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले असुरक्षित ऋण के रूप में 500 लाख रुपये का निवेश किया। संवितरण की तारीख यानी दिनांक 17 सितंबर 2025 से 5 साल के अंत में चुकाई जाने वाली मूल राशि। प्रत्येक संवितरण की तारीख से वार्षिक आधार पर ब्याज चुकाती की जाएगी।

नोट 21: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

ब्योरा	(₹ लाखों में)		
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
इंडिया एंडवांटेज फंड से प्राप्त राशि - VI	-	-	1,915.00
पट्टा देयताएं-भारतीय लेखा मानक 116	75.39	-	-
कुल	75.39	-	1,915.00

नोट 22 : उधार - चालू

ब्योरा	(₹ लाखों में)		
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
इंटर कॉर्पोरेट ऋण	-	-	400.00
नकद क्रेडिट	-	5,965.00	39,328.16
कुल	-	5,965.00	39,728.16

दिनांक 04 मार्च 2020 की स्वीकृत समाधान योजना के आधार पर, प्रचालन लेनदारों वित्तीय लेनदारों और सीआईआरपी लगातारों को देय समाधान योजना राशि पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 6500 लाख रुपये है और दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुसार सभी दावों के निर्वहन में है। तदनुसार, दिनांक 15 सितंबर 2020 (नियंत्रण में परिवर्तन की तारीख) तक खातों की सभी देनदारियों को जब सीएसएल द्वारा टीएसएल में 6500 लाख रुपये की समाधान राशि का संचार किया गया था, तो उन्हें समाधान योजना के अनुसार देय राशियों में समायोजित किया गया था। इन देयता खातों में परिलक्षित शेष राशियों को वापस लिया जाएगा।

नोट 23 : व्यापार देय

ब्योरा	(₹ लाखों में)		
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)	-	-	-
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	-	-	-
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	0.83	90.49	799.12
कुल	0.83	90.49	799.12

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत कोई सूचना नहीं मिली है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत स्थिति, व्यापार देय का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;			
मूल धन	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि ।	-	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	शून्य	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	शून्य	शून्य	शून्य

नोट 24 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन उधार के लिए देय नहीं	13.59	-	33.19
कर्मचारी संबंधी देयताएं	-	195.14	213.35
एनसीएलटी आदेश के अनुसार देय*	217.78	-	-
बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्ति के प्रति बीमा रसीद के कारण देयता**	65.19	-	-
पट्टा देयताएं - भारतीय लेखा मानक 116	8.44	-	-
अन्य देय	1,135.74	-	3,898.43
कुल	1,440.74	195.14	4,144.97

* कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 15/09/2020 को 6500 लाख रुपए की बोली राशि सीआईआरपी खाते में स्थानांतरित कर दिया। टीएसएल के एसबीआई चालू खाता 38167291907 को सीआईआरपी खाते के रूप में नामित किया गया है और इसे समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, समाधान पेशेवर ने प्राप्त बोली राशि से सीओसी बैंकों और परिचालन लेनदारों (कर्मचारियों और गैर- कर्मचारियों दोनों) की बकाया राशि का निपटान किया और इस खाते में पडी शेष राशि प्रमुख रूप से उस अवधि के दौरान आरपी द्वारा किए गए अस्थिर सीआईआरपी लागतों का प्रतिनिधित्व करती है जब कंपनी आईबीसी कोड 2016 के तहत था। समाधान पेशेवर से अधिक जानकारी प्राप्त होने पर इसे चुकता कर दिया जाएगा।

**न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपवर्जित पोटों के लिए प्राप्त दावों का प्रतिनिधित्व करता है जो सीओसी सदस्यों को देय हैं।

अन्य देय राशियों में सीओसी को देय 1074.48 लाख रुपए शामिल हैं; यानी पोट निर्माण अनुवृत्ति योजना के तहत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुवृत्ति का 50% ।

	व्यापार अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण
--	----------------	------------------	---------------

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 25 : अन्य चालू देयताएं

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	0.20	1,385.92
सांविधिक देय	7.14	-	15.26
सीआईआरपी से संबंधित खर्च	-	388.00	-
कुल	7.14	388.20	1,401.18

नोट 26 : चालू प्रावधान

ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को	01.04.2019 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान			
उपदान	-	-	85.63
छुट्टी नकदीकरण	-	-	30.04
	-	-	115.67
अन्य प्रावधान			
ऋण	-	-	23.41
व्यय/ आकस्मिकों	1,210.78	1,250.00	-
	1,210.78	1,250.00	23.41
कुल	1,210.78	1,250.00	139.08

समाधान योजना के अनुसार सुविधा के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु दिनांक 31.03.2020 तक बहियों में 1250 लाख रुपए की आकस्मिकता का प्रावधान प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान, हमने 39.22 लाख रुपए की राशि को समायोजित किया है और शेष की समीक्षा की गई है और इसे बरकरार रखा गया है। समाधान योजना को कार्यान्वयन और सुविधा का पुनर्प्रवर्तन अभी भी चल रहा है और 2021-22 के दौरान आगे के खर्च की उम्मीद है।

नोट 27 : प्रचालन से आय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण प्रचालन आय	-	116.38
कुल	-	116.38

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : अन्य आय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
बैंक जमाओं से ब्याज आय	6.26	21.59
विविध आय	-	15.68
चार्टर किराए से आय	68.48	53.35
कुल	74.74	90.62

नोट 29 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	66.81	35.56
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	1.84	-
कर्मचारी कल्याण खर्च	2.95	-
कुल	71.60	35.56

वैधानिक आवश्यकता के अनुसार कंपनी भविष्य निधि के लिए योगदान करती है, पीएफ के लिए नियुक्ता और कर्मचारी का योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रेषित किया जाता है। जैसा कि बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया गया है, पुस्तकों में उपदान के किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि रोल पर कर्मचारियों की औसत पिछली सेवा 6 महीने से कम है। कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही दायित्व अर्जित करना शुरू होता है।

नोट 30 : वित्तीय मूल्य

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ऋण पर ब्याज	14.69	-
पट्टा देयता पर ब्याज	8.45	-
बैंक गारंटी शुल्क	-	7.36
कुल	23.14	7.36

नोट 31 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	1,280.29	1,256.22
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	4.17	3.55
कुल	1,284.46	1,259.77

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32 : अन्य व्यय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
दर और कर	4.73	8.01
बिजली और ईंधन	12.07	4.35
किराया	-	6.14
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
यार्ड अनुरक्षण	-	21.59
अन्य	23.75	56.56
यात्रा तथा सवारी खर्च	3.55	-
विज्ञापन	-	0.66
पट्टे किराया	2.00	-
कानूनी और पेशेवर शुल्क	18.11	73.85
बीमा	0.16	12.90
सुरक्षा व्यय	20.72	30.58
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	3.00	9.00
अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	3.15	-
वैधानिक अनुपालन के लिए शुल्क	2.72	-
बैंक प्रभार	4.13	1.79
आकस्मिक देयता के लिए सृजित प्रावधान	-	1,250.00
विविध खर्च	6.89	5.71
कुल	104.98	1,481.15

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	3.00	9.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	3.15	-
कुल	6.15	9.00

नोट 33 : विशेष मद

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
संपत्ति को बट्टे खाते में डालना	-	(1,459.38)
देयताएं वापस ली गईं	-	30,615.46
वापस ली गईं लिखित सूची के लिए प्रावधान (लिखित सूची के लिए प्रावधान)	188.92	(2,816.76)
वापस ली गईं प्रायः सब्सिडी के लिए प्रावधान (प्रायः सब्सिडी के लिए प्रावधान)	1,074.48	(2,791.43)
कुल	1,263.40	23,547.89

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	(136.04)	20,971.05
इक्विटी शेयरों की संख्या	65000000	77361505
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	(0.21)	27.11
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 35: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

भारतीय लेखा मानक 'पट्टे' अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है। यह, मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 95.90 लाख रुपए के आरओयू परिसंपत्तियों, ₹ 75.39 लाख रुपए पट्टा देयता, ₹ 8.44 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्त लागत, ₹ 25.85 लाख रुपए के अतिरिक्त मूल्यह्रास की स्वीकार्यता में परिणत हुआ है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल ₹ 22.37 लाख रुपए है।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2021 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

	(₹ लाखों में)
विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	40.59
एक से दो साल तक	55.90
कुल	96.49

36. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) सांविधिक मामले

समाधान योजना अनुमोदन के पश्चात की अवधि हेतु- शून्य।

समाधान योजना अनुमोदन से पूर्व का अवधि हेतु- कंपनी को विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों जैसे आयकर, सीमा शुल्क, कर्नाटक वैट, भविष्य निधि, ईएसआई, आदि से विभिन्न नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के दिनांक 04 मार्च 2020 के आदेश के अनुरूप, ये सभी देनदारियां समाप्त हो गई हैं और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय भी सभी पिछली अवधि की देनदारियों को समाप्त करने का समर्थन करता है। तदनुसार, कंपनी इन सभी नोटिसों का इन तर्ज पर उचित रूप से जवाब देने की प्रक्रिया में है।

(ii) माननीय एनसीएलटी द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 के आदेश द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के संदर्भ में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), सफल समाधान आवेदक, सीआईआरपी लागत सहित सभी हितधारकों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में दिनांक 15 सितंबर 2020 को 6500 लाख रुपए की बोली राशि का भुगतान किया। कंपनी वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रभावी करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए) के पास रखे गए प्रभारों के रजिस्टर के अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

37. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति 2020-21
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री हरिकुमार ए मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शिवु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोच्ची)	नियंत्रक कंपनी
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)	सह-सहायक कंपनी

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति *

	(₹ लाखों में)
विवरण	31.03.2021 को
अल्पकालीन लाभ	5.78
रोजगार के बाद के लाभ	0.00
कुल	5.78

लेनदेन की प्रकृति - ऋण / अग्रिम

	(₹ लाखों में)					
संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2020 को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2021 को शेष	दिनांक 31.03.2021 को अर्जित ब्याज	
मधु एस नायर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सुरेश बाबु एन वी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिजोय भास्कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोस वी जे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरिकुमार ए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शिवु जॉण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अश्विन शर्मा एम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

लेनदेन की प्रकृति-संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

विवरण	31.03.2021 को
अस्थायी विशेष नियुक्ति - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	13.05
सहायक कंपनी से ऋण- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	500.00
नियंत्रक कंपनी से ऋण पर ब्याज @5.5%	14.69

सीएसएल की ओर से टीएसएल में नामितियों द्वारा रखे शेयर	31.03.2021 को शेयरों की संख्या
श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष	10
सुरेश बाबु एन वी, निदेशक	10
बिजोय भास्कर, निदेशक	10
जोस वी जे, निदेशक	10
शिवु जॉण, मुख्य वित्तीय अधिकारी	10
अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव	10

38. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I। इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II। इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III। इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	6.52	-	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	2,526.99	87.29	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	0.81	0.81	स्तर II
(iv) ऋण		-	स्तर II
(v) अन्य	0.67	1.59	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	2,534.99	89.70	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	500.00	-	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	75.39	-	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	0.83	90.49	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	1,440.74	195.14	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	2,016.96	285.63	

नोट:

1. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।
2. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरीइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरीइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

38. वित्तीय साधन

श्रेणीवार वित्तीय साधन

विवरण	31.03.2021			31.03.2020		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
						(₹ लाखों में)
वित्तीय परिसंपत्तियां						
प्राप्य व्यापार	-	-	6.52	-	-	0.00
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	2,526.99	-	-	87.29
बैंक शेष	-	-	0.81	-	-	0.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	0.67	-	-	1.59
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	0.00	2,534.99	0.00	0.00	89.69
वित्तीय देयताएं						
ऋण	-	-	500.00	-	-	5,965.00
प्राप्य व्यापार	-	-	0.83	-	-	90.49
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,516.13	-	-	195.14
कुल वित्तीय देयताएं			2,016.96	0.00	0.00	6,250.63

39. सेगमेंट रिपोर्टिंग

सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने अधिग्रहण के बाद अभी तक संचालन शुरू नहीं किया है।

40. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

	(₹ लाखों में)
विवरण	31.03.2021
दीर्घकालीन उधार	500.00
निवल ऋण	500.00
इक्विटी शेयर पूंजी	6500.00
अन्य इक्विटी	7153.21
कुल इक्विटी	13653.22
गियरिंग अनुपात	3.66%

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

41. कोविड-19 महामारी, जिसे कोरोनावायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड-19) की एक सतत वैश्विक महामारी है। गंभीर सामाजिक व्यवधानों के कारण दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य की स्थिति पर महामारी का प्रभाव पड़ा। यह सभी व्यापारिक संगठनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव जारी है, जबकि दुनिया भर के देश इस महामारी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टीके दुनिया को उम्मीद की किरण देते हैं लेकिन पूरी आबादी का टीकाकरण एक वास्तविक चुनौती है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन ने कुछ हद तक यार्ड के पुनरुद्धार को प्रभावित किया है। हालाँकि, कंपनी सुविधा को पुनर्जीवित करने और इसे चालू करने के लिए प्रयास करना जारी रखती है, परंतु महामारी इस दिशा में एक चुनौती है। हालाँकि टीएसएल द्वारा प्रचालन तैयारियों को पुनर्जीवित करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

42. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने सितंबर 25, 2018 के अपने आदेश के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) के तहत टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अक्टूबर 2019 में लेनदारों की समिति (सीओसी) को टीएसएल के अधिग्रहण के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की। टीएसएल के लेनदारों की समिति ने विचार विमर्श के बाद उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी और बाद में दिसंबर 2019 में इसे एनसीएलटी, चेन्नई में दायर किया गया। एनसीएलटी, चेन्नई ने मार्च 04, 2020 को समाधान योजना को मंजूरी दी और सीएसएल ने समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू की। हालाँकि कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप और उसके बाद सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, समाधान योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप बोली राशि के भुगतान की अंतिम तिथि को संसाधित करके सितंबर 17, 2020 कर दिया गया।

तदनुसार मार्च 04, 2020 के आदेश को ध्यान में रखते हुए :

- सितंबर 15, 2020 ("प्रभावी तिथि") को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("सीएसएल") ने कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता, सीआईआरपी लागत और कर्मचारी संबंधी बकाया राशि के भुगतान और स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार वित्तीय लेनदारों को भुगतान हेतु 6500.00 लाख रुपए जमा किए गए।
- अक्टूबर 21, 2020 को हुई अपनी बैठक में पुनर्गठित निदेशक मंडल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 10 रुपए के 6,50,00,000 पूरी तरह से प्रदत्त किए गए इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी, जो कुल मिलाकर कंपनी का 6500.00 लाख रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी का 100% प्रतिनिधित्व करता है।
- सीएसएल से प्राप्त राशि में से 5865.00 लाख रुपए वित्तीय लेनदारों (असहमत वित्तीय लेनदारों सहित), सीआईआरपी खर्च के लिए 388.00 लाख रुपए, प्रचालन लेनदारों, कर्मचारियों और कामगारों को 195.00 लाख रुपए और कामगारों एवं कर्मचारियों के अलावा अन्य प्रचालन लेनदारों को सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान और निर्वहन के रूप में 52.00 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।
- इस आदेश के अनुसार, सभी देयताओं को समाप्त कर दिया गया है और समाप्त इक्विटी शेयर पूंजी- 7736.15 लाख रुपए, वरीयता शेयर पूंजी- 12500.00 लाख रुपए, प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व 12,194.71 लाख रुपए और प्रतिधारित आय 25,564.77 लाख रुपए सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- वित्तीय देयताओं की समाप्ति से उत्पन्न लाभ को पिछले वर्ष 2019-20 को दौरान 30,615.46 लाख रुपए के असाधारण लाभ के रूप में मान्यता दी गई है।
- स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, कुछ अपवर्जित परिसंपत्तियों से संबंधित वसूलियों को देयताओं के रूप में दिखाया गया है और बहिष्कृत परिसंपत्तियों के लिए किए गए व्यय के कारण प्राप्य दावों को परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है और क्रमशः नोट 24 और नोट 17 में शामिल किया गया है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

43. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है ।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में	
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1-2
भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन का विवरण	2
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 43
इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।	
कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में	

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं.. A41969
कोच्ची. दिनांक मई 07, 2021

शिवु जॉण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

जोस वी जे
निदेशक
डीआईएन - 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन - 07376798

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड

कृते **मेसर्स शब्बीर और गणेश.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.009033S

सी.ए गणेश येरमल
साझेदार
सदस्यता सं. 207231
यूडीआईएन : 21207231AAAAKH7119
उडुपी, दिनांक मई 07, 2021

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A41969

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक साधारण बैठक सितंबर 15, 2021, बुधवार 11.20 बजे को सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- दिनांक 31 मार्च 2021 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।
- श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना ।

कोच्ची
सितंबर 07, 2021

टिप्पणियां:

1. एक सदस्य जिसे वार्षिक साधारण बैठक (बैठक) में उपस्थिति रहने और मत देने का अधिकार है, उसे अपनी ओर से उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने हेतु हकदार है और परोक्षी कंपनी के एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परोक्षी प्रस्तुत करनेवाले विधिवत् स्टैम्पड, पूरा किए, हस्ताक्षरित दस्तावेज बैठक शुरू होने से कम से कम अडतालीस (48) घंटे के पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए। एक परोक्षी प्रपत्र (एमजीटी-11) इस सूचना के साथ संलग्न किया है।
2. पचास सदस्यों से अधिक न हो, सदस्यों की ओर से और मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से न अधिक हो, संभालने वाले एक व्यक्ति परोक्षी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि, सदस्य द्वारा नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा संभालने वाले एक परोक्षी के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।
3. सदस्यों, परोक्षियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न विधिवत् भरे उपस्थिति स्लिप लाएं। अधिनियम की धारा 113 के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के लिए इरादा रखनेवाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति या मुख्तारनामा या किसी अन्य दस्तावेज कंपनी को भेज दें।
4. बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईआरपी के बाद) के अधीन बनाई पंजियों और नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं।
5. बैठक स्थान का ओर रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।
6. यह बैठक कोलकाता की स्थानीय सीमा के बाहर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेस्मानूर, कोच्ची, 682015, से लघु सूचना पर प्रस्तावित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार अनुरोध, कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर बैठक का संचालन करने हेतु सहमति के लिए इस सूचना के साथ संलग्न है और बैठक केवल तभी होगी जब बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो।
7. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण, जो पुनर्नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड

अश्विन शर्मा एम

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. A41969

कोच्ची

सितंबर 07, 2021

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम

पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम - 603 116.

सीआईएन : U27209TN1984PLC010994

ई-मेल : secretary.tsl@cochinshipyard.in

प्रपत्र सं. एमजीटी-11

परोक्षी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) औ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3)के अनुसार]

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015
दिन, दिनांक और समय : बुधवार, सितंबर 15, 2021 11.20 बजे

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	

मैं/ हम, शेयर संभालनेवाले हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक सदस्य हूँ, निम्नलिखित

1.

नाम :	
पता:	
ईमेल आईडी :	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर

2.

नाम :	
पता:	
ईमेल आईडी :	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर

3.

नाम :	
पता:	
ईमेल आईडी :	
हस्ताक्षर	

को सितंबर 15, 2021, 11.20 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-682015 में आयोजित होनेवाले कंपनी के सदस्यों के 37वाँ वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए/ हमारे और से मेरे/ हमारे परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थित होने और मत देने (पॉल पर) के लिए एतद्वारा नियुक्त करते हैं और ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी भी स्थगन नीचे सूचित किया जाता है :

क्र. सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
1.	दिनांक 31 मार्च 2021 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।		
2.	श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।		
3.	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		

2021 केदिन.....हस्ताक्षर किया।

शेयरधारक का हस्ताक्षर

परोक्षी धारक का हस्ताक्षर

रेवन्यू स्टैम्प
लगा दें

नोट : यह प्रपत्र प्रभावी होने के लिए विधिवत् भरकर, बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटे से पहले कंपनी पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015
दिन, दिनांक एवं समय : बुधवार, सितंबर 15, 2021 11.20 बजे

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थान के प्रवेश पर सौंप दें।


शेयरधारक का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	
संभाले शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के पंजीकृत शेयरधारक/ परोक्षी हूँ।

मैं बुधवार, सितंबर 15, 2021 11.20 बजे को सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-682015 में कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति एतद्वारा रिकॉर्ड करता/ती हूँ।

शेयरधारक या परोक्षी का हस्ताक्षर

बैठक के स्थान का रूट मैप



शेयरधारक की सहमति

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अधीन]

सेवा में,
निदेशक मंडल
टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड
एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम - 603 116

मैं, _____, _____ का पुत्र, _____, _____ का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10 रूपए के _____ इक्विटी शेयर का धारक यहाँ एतद्वारा कंपनी के 37वीं वार्षिक आम बैठक (वा.आ.बै), _____ 2021 को कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में लघु सूचना पर करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार सहमति देते हूँ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

इस बैठक में पुनर्नियुक्ति मांग करनेवाले निदेशक का विवरण

[भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (भा.कं.स.सं) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के उद्देश्य]

निदेशक का नाम	श्री जोस वी जे
डीआईएन	08444440
आयु एवं जन्मतिथि	54 एवं फरवरी 04, 1967
योग्यता	श्री जोस वी जे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून की डिग्री भी रखते हैं।
अनुभव	श्री जोस वी जे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 30 वर्षों का कार्य अनुभव है। वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री जोस वी जे को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री जोस वी जे निदेशक पद पर तब तक बने रहने के लिए सदस्यों की स्वीकृति मांगी जाती है जब तक कि उनका नामांकन वापस नहीं लिया जाता। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।
पुनर्नियुक्ति और अंतिम आहरण पर भुगतान किए जानेवाले पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2020-21)	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	सितंबर 15, 2020
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	10 (शेयर सीएसएल की ओर से रखे जाते हैं)
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	6/6
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकता (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध पोत समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

37 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना का परिशिष्ट

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के सदस्यों की बुधवार, 15 सितंबर 2021 को 11.20 बजे निर्धारित 37 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु दिनांक 07 सितंबर 2021 को जारी नोटिस का संदर्भ देखें।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के साथ पठित परिपत्र सं 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (सम्मिलित रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विशुअल माध्यम ('ओएवीएम') के जरिए वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति देता है। इन एमसीए परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी वीसी/ ओएवीएम के जरिए 37 वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए उक्त एजीएम में भाग ले सकते हैं:

<https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a29c6785367da42dba39027c348e04e72%40thread.tacv2/1631524347059?context=%7b%22Tid%22%3a%22ccea1a75b-ed28-41dc82be-a567eb912f7f%22%2c%22Oid%22%3a%2250a85616-fca8-43cd-a899-0719a2f7c3b3%22%7d>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

मतदान के मामले में वोट डालने हेतु नामित ईमेल आईडी है secretary.tsl@cochinshipyard.in.

कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

कृते टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 14, 2021

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969



THE RESURGENCE

ANNUAL REPORT 2020-21

CONTENTS



Business Overview

Corporate Information	01
About Us	02
Chairman's Address	04
Operational Capability	06
Business Segment	07
Board of Directors	08

Statutory Reports

Directors' Report	10
Report on Corporate Governance	21
Management Discussion & Analysis Report	25

Financial Statements

Independent Auditors' Report	29
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	39
Balance Sheet	40
Statement of Profit & Loss	41
Cash Flow Statement	42
Statement of Changes in Equity	43
Notes to the Financial Statements	45

Notice	76
--------	----

Disclaimer

Some information in this report may contain forward-looking statements. We have based these forward-looking statements on our current beliefs, expectations and intentions as to facts, actions and events that will or may occur in the future. Such statements generally are identified by forward-looking words such as "believe," "plan," "anticipate," "continue," "estimate," "expect," "may," "will" or other similar words. A forward-looking statement may include a statement of the assumptions or basis underlying the forward-looking statement. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution you that forward-looking statements and assumed facts or bases almost always vary from actual results, and the differences between the results implied by the forward-looking statements and assumed facts or bases and actual results can be material, depending on the circumstances.

CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhu S Nair
Chairman

Shri Sureshababu N V
Non – Executive Director
(upto April 30, 2021)

Shri Bejoy Bhasker
Non – Executive Director

Shri Jose V J
Non – Executive Director

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Shri Harikumar A
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shibu John
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Aswin Sarma M
Company Secretary

REGISTERED OFFICE

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram, Tamil Nadu – 603 116

CIN: U27209TN1984PLC010994

FACILITIES

Malpe, Karnataka
Chengalpet, Tamil Nadu

STATUTORY AUDITORS

M/s. Shabbir and Ganesh
Chartered Accountants
Balakrishna Towers, 1st Floor
Kunjibettu 2nd Cross, Udipi Manipal Road
Near Mandavi Gokul, Udupi – 576102

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SEP & Associates
Company Secretaries
Building No. C.C 56/172
K.C. Abraham Master Road
Panampilly Nagar, Kochi – 682 036

BANKERS

State Bank of India



ABOUT US

On September 15, 2020, TSL was acquired by Cochin Shipyard Limited through the statutory insolvency resolution process and since then TSL is a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited.

Tebma Shipyards Limited (TSL) was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited' on July 09, 1984 as a private non-government company. Subsequently, the Company became public and changed the name to 'Tebma Shipyards Limited'. TSL has been a known name in the shipbuilding industry for its quality standards and commitment levels and has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international

clients. TSL, besides being a leading shipbuilder, has also made significant contributions to the ship repair business in India.

TSL has been a key player in Indian shipbuilding industry in 2000s and has delivered more than 150 vessels since inception. TSL has two facilities; one in Malpe, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu. TSL facility at Malpe possesses a high end infrastructure which is considered as one of the best

in the country amongst medium sized shipyards, with an equally modern Steel Fabrication unit at Hangarkatta.

TSL, incorporated in 1984 as a consultancy company, later grew as a shipbuilder and became a key player in the offshore industry through the collaboration with Cochin Shipyard Limited (CSL) in 2004. Under this arrangement, TSL constructed 8 nos. of Platform Supply Vessels and 4 nos. of Anchor Handling Tugs at CSL, Kochi.

Due to the financial distress caused by the downturn of the shipping industry worldwide, the Company's multiple orders from domestic and international customers got cancelled, leading to defaults with the lenders. Since then the servicing of the financial facility became stressful and the business started losing pace. In September 2018, due to Company's inability to meet the financial obligations, TSL was admitted to Corporate Insolvency

Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the provisions of the statutory insolvency resolution process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a premier public sector shipyard in India, acquired the Company and took over its management in September 2020, consequent to which the Company became a wholly owned subsidiary of CSL and a Government Company under the provisions of the Companies Act,

2013. The Company emerged victorious in these testing times and against all odds was brought back into life by CSL through the statutory insolvency resolution process.

Presently, TSL is a part of CSL Group and a dynamic management team with experienced workforce have been positioned by CSL for the revival of the yard and to commence the business operations afresh under the guidance and support of CSL.



CHAIRMAN'S ADDRESS



Dear shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you all to the 37th Annual General Meeting of Tebma Shipyards Limited (TSL).

The fiscal year 2020-21 was undoubtedly an unusual year; the pandemic affected everyone, with no exceptions. Nevertheless, it has been a landmark year for the Company. The Company had been sailing tough for the past several years and due to its inability to cope up with the financial obligations, in September 2018, the Company was admitted for Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). During the Insolvency Process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a premier public sector shipyard in India, submitted its Resolution Plan for taking over the Company and in March 2020, the National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai approved the said Resolution Plan. The COVID-19 pandemic and subsequent restrictions imposed by the Government/Local authorities decelerated the process of implementation of the Resolution Plan. However, in September 2020, CSL paid the resolution amount and took over TSL making TSL a wholly owned subsidiary of CSL and the new management took charge of the Company.



TSL aspires to be the market leader in the small and medium vessels segment and envisions itself to the Hon'ble Prime Minister's ideas of 'AatmaNirbhar Bharat' and 'Make in India, Make for the World'.



TSL had made a name of its own both in domestic as well as international markets and has built a wide range of small and medium sized vessels with its high end infrastructure facilities. However, due to the financial difficulties and consequent Insolvency Process, the Company's facilities had been non-operational for the past several years. As soon as the new management took over, the necessary activities for revamping the infrastructure facilities and mobilisation of requisite manpower was initiated for starting the business operations of the Company afresh. In spite of the adversities on account of the second wave of COVID-19 pandemic, the Company could manage to start its operations at the Hangakatta facility in July 2021. The Company's warehousing facility at Babuthotta has been made fully operational and the revamping activities at Malpe Harbour Complex is progressing.

During the year 2020-21, the facilities of the Company had been non-operational and hence the Company reported a loss of Rs. 136.04 lakhs. However, during the year, the Company has earned other income of Rs. 74.74 lakhs, majority from lease of tug owned by the Company.

TSL aspires to be the market leader in the small and medium vessels segment and envisions itself to the Hon'ble Prime

Minister's ideas of 'AatmaNirbhar Bharat' and 'Make in India, Make for the World'. One of the major business plans of TSL is to build technologically advanced deep sea fishing vessels to cater to the ever increasing needs of India's fisheries sector. The Company is also exploring the opportunity for building tugs and other specialized crafts and has won an order from CSL for building specialized vessels for the Kochi Water Metro Project. The Company is well poised to capitalize on the emerging opportunities and is expected to achieve the desired results with the necessary support of CSL, the holding company.

As TSL is in the process of revamping its facilities and yet to commence operations fully, the Company is exempt from compliance with the Guidelines on Corporate Governance pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM dated July 08, 2014, issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. However, the Company is committed to adopt the best Corporate Governance practices wherever possible and the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

I take this opportunity to acknowledge the efforts and contributions of all concerned in providing a new life to TSL. I also wish to express my gratitude towards the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and other officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited (CSL) and my fellow Board members for their valuable support and guidance. I also take this opportunity to acknowledge the dedication and commitment of the employees, who are the most valuable assets of the Company and expect their unwavering support to build a great organisation.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair

Chairman

DIN: 07376798

OPERATIONAL CAPABILITY

TSL has two facilities; one in Malpe, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu.

MALPE

A Malpe Harbour Complex

- ▶ 55,000 sqm Facility for Hull erection and launching
- ▶ Capacity to construct up to 4 midsize vessels simultaneously in covered shed
- ▶ 165 m x 46 m covered shed with clear height of 30 m for construction of vessels
- ▶ 4,000 sqm of open bay for vessel construction
- ▶ Wet basin of 128 m x 35 m for outfit and commissioning
- ▶ Humidity Controlled Marine Coating Shop
- ▶ Equipped with a transfer bay and Winch assisted cradle system capable of launching the vessels of size 90 m x 20 m up to a launching weight of 3,500 T

B Hangarkatta

- ▶ 25,000 sqm Facility for Steel preparation and block fabrication
- ▶ Capacity 1,200 T per month
- ▶ Plasma Cutting machines (2 nos.)
- ▶ 275 T and 375 T Bending machines
- ▶ Template cutting machine
- ▶ Covered shops with 13 cranes to handle the blocks up to 50 T

C Babuthotta

4,000 sqm covered store and design centre

CHENGALPET

Facility for manufacturing structural outfitting items, rudders, hydrophore units etc.

BUSINESS SEGMENT



Tugs and Coastal vessels



Medium sized Auxiliary vessels for Defence



Midsize Commercial Fishing Vessels – For Middle East & European Markets



Specialised Vessels / Factory Vessels – For Europe



Small fishing vessels – on a ‘productised mode’ as ready-to-buy vessels for Indian Fishing Community



Engineering Fabrication Projects for Maritime Industry



BOARD OF DIRECTORS



Shri Madhu S Nair
Chairman

Shri Madhu S Nair is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He has more than 33 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Sureshbabu N V
Non - Executive Director
(upto April 30, 2021)

Shri Sureshbabu N V is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Shri Sureshbabu N V was the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 26, 2016 to April 30, 2021. He holds a degree of Bachelor of Engineering (Mechanical) from the University of Kerala and a Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He has completed one year Group Training Course in Shipbuilding, Repairing and Maintenance conducted by Overseas Shipbuilding Cooperation Centre under International Cooperation Programme of the Government of Japan under Colombo Plan. He has also undergone a practical training course with shipyard in Sekaide, Japan of Kawasaki Heavy Industries Limited. Furthermore, he has completed supplementary course in Japanese language held at Overseas Shipbuilding Cooperation Centre. He has more than 36 years of work experience across various areas of the shipyard such as Ship Building, Materials and Ship Repair divisions. Shri Sureshbabu N V ceased to be Director of the Company on April 30, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in CSL. He was also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL, from its incorporation on October 23, 2017 till April 30, 2021.

BOARD OF DIRECTORS



Shri Bejoy Bhasker
Non - Executive Director

Shri Bejoy Bhasker is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 33 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Jose V J
Non - Executive Director

Shri Jose V J is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August, 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 30 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.

Directors' Report

Dear Shareholders,

- Your Directors have immense pleasure in presenting the Thirty Sixth Annual Report of your Company together with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2021 and the Report of the Statutory Auditors and the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon.

Corporate Insolvency Resolution Process

- The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Cochin Shipyard Limited (CSL) submitted the Resolution Plan for acquisition of the Company to the Committee of Creditors (CoC) in October 2019. The Committee of Creditors of the Company approved the said Resolution Plan and subsequently in December 2019, the same was filed with the NCLT, Chennai. The NCLT, Chennai vide its Order dated March 04, 2020, approved the said Resolution Plan and pursuant to the NCLT Order, a Monitoring Committee consisting of CSL Nominees, the Resolution Professional and the CoC Nominee was constituted for monitoring the implementation of the Resolution Plan and intermittent management of TSL from the date of NCLT Order till the payment of bid amount.
- However, due to the unprecedented outbreak of COVID-19 Pandemic and subsequent lockdown imposed by the Government Authorities, CSL approached the NCLT, Chennai to obtain suitable orders for exclusion of the period from March 15, 2020 to June 30, 2020 for payment of the bid amount under the Resolution Plan. The NCLT acceded to CSL's proposal and passed its Order on August 06, 2020 excluding the said period resulting in the revision of the last date for payment of the bid amount to September 17, 2020. In compliance with the NCLT Order, CSL paid the bid amount for takeover of the Company on September 15, 2020 consequent to which the Company became a wholly owned subsidiary of CSL and the new Board of Directors nominated by CSL took charge of the Company. Further, all claims/dues/liabilities of the Company got fully extinguished except to the extent mentioned in the approved Resolution Plan and the NCLT Order. With this the Corporate Insolvency Resolution Process of the Company came to a close.

Brief background of Cochin Shipyard Limited (CSL)

- Cochin Shipyard Limited (CSL) is a Government of India enterprise (Category I Miniratna Company) under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping) having its Registered Office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682 015, Kerala, India. CSL was incorporated in the year 1972 as a fully owned Government Company and over the years have emerged as a forerunner in the Indian shipbuilding & ship repair industry and also a well-known player on the global shipbuilding front. CSL commenced the shipbuilding operations in 1975, ship repair in 1978, Marine Engineering Training in 1993 and Offshore upgradation in 1999. CSL can build ships up to 1,10,000 DWT and repair ships upto 1,25,000 DWT. CSL has many a feather on its cap like it has delivered two of India's largest double hull Aframax tankers each of 95,000 DWT, has built various types of vessels including Tankers, Bulk Carriers, Port Crafts, Passenger Vessels etc.
- CSL has built and repaired some of the largest ships in India and is presently building the prestigious Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy. It is the only yard which has undertaken drydock repairs to India's Aircraft Carriers. Over the years, CSL has successfully responded to fluctuations in the shipbuilding requirements of the markets and have evolved from building bulk carriers to smaller and more technically sophisticated vessels such as Platform Supply Vessel (PSV) and Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS). CSL has worked with several leading technology firms in the industry including Rolls Royce Marine (Norway), GTT (France), Vard Group (Norway) etc. CSL has exported 47 vessels to some of the most demanding clients in Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Demark/Bahamas, Saudi Arabia and UAE, adding credibility in the international markets. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships. CSL has, over the years, developed adequate capabilities to handle complex and sophisticated repair jobs. CSL is presently one of the best performing shipyards in India.

Operations and Way Forward

- TSL has been a reputed shipyard in India with high end infrastructure & facilities that has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients. TSL has two facilities; one in Malpe, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu. The facilities at Malpe is spread across three units as below:
 - Malpe Harbour Complex – Hull erection and launching;
 - Hangarkatta – Steel preparation and block fabrication; and
 - Babuthotta – Warehouse.
- Due to the financial difficulties and consequent statutory insolvency resolution process, TSL's facilities had been non-operational for the past several years. Post takeover by CSL in September 2020, the Company has set the ball rolling for revamping its infrastructure facilities at Malpe for commencing the operations. Out of the three facilities at Malpe, the revival of Babuthotta warehouse is completed and is operational. The revival of Hangarkatta unit is at the advanced stages, and is expected to be operational by July 2021. The revamping activities at Malpe Harbour Complex are also progressing. The transfer bays are made ready and restoration of main new building shop and surface treatment shop is progressing for completion by August 2021. The recruitment process for positioning the required manpower is underway and is expected to be completed soon.

- TSL plans to develop the Chengalpet facility for manufacturing structural outfitting items, rudders, hydrophore units etc. and the activities in this regard will be initiated once the Malpe facility is up and running and the feasibility of Chengalpet facility is established.
- TSL mainly focuses on building fishing vessels (especially technologically advanced deep sea fishing vessels), tugs and specialized crafts of upto 80 M length which projects huge potential in domestic as well as international markets in the coming years. To begin with the Company will be building deep sea fishing vessels under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)", a promising scheme of the Government of India for developing the fisheries sector in India. TSL is putting in its best efforts to make ready the yard so as to ensure that the production of the said vessels commences as planned. However, the pace with which the activities are planned to commence operations and capitalise on the businesses opportunities may be adversely affected on account of the continuing COVID-19 Pandemic. TSL is also pursuing for orders for constructing fishing vessels and tugs.

Financial Performance

- The Company being in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations has reported a loss of Rs. 136.04 lakhs for the year ended March 31, 2021 as against the book profit of Rs. 20971.05 lakhs for the previous year. Further, the Company has reported total income of Rs. 74.74 lakhs for the year ended March 31, 2021 as against Rs. 207.00 lakhs for the previous year.

Financial Highlights

Sl. No.	Particulars	(Rs. in Lakhs)	
		Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
(i)	Total Income	74.74	207.00
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(101.84)	(1309.71)
(iii)	Finance cost	(23.14)	(7.36)
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	(1284.46)	(1259.77)
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(1409.44)	(2576.84)
(vi)	Tax	(10.00)	-
(vii)	Exceptional Items	1263.40	23547.89
(viii)	Net Profit/(Loss)	(136.04)	20971.05
(ix)	Net-worth	13653.21	3455.23

Share Capital

- The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 215,00,00,000 (Rupees Two Hundred and Fifteen Crore Only) divided into 9,00,00,000 (Nine Crore Only) Equity Shares of Rs. 10 each and 12,50,00,000 (Twelve Crore Fifty Lakh Only) Preference shares of Rs. 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is Rs. 65,00,00,000 (Rupees Sixty Five Crore Only) divided into 6,50,00,000 (Six Crore Fifty Lakh Only) Equity Shares of Rs. 10 each.

12. Prior to the takeover of the Company by Cochin Shipyard Limited (CSL) through the insolvency resolution process, the issued, subscribed and paid-up share capital of the Company was Rs. 202,36,15,050 (Rupees Two Hundred and Two Crore Thirty Six Lakh Fifteen Thousand and Fifty Only) divided into 7,73,61,505 (Seven Crore Seventy Three Lakh Sixty One Thousand Five Hundred and Five Only) Equity Shares of Rs. 10 each and 12,50,00,000 (Twelve Crore Fifty Lakh Only) 6.5% Compulsory Redeemable Preference Shares (CRPS) of Rs. 10 each. Pursuant to the NCLT Order and on payment of the bid amount by CSL on September 15, 2020, the entire issued share capital of the Company (equity and preference) together with dividend rights, voting rights and any other rights were cancelled and new shares worth Rs. 65 crores were issued to CSL. Consequent to the above, the Company became a wholly owned subsidiary of CSL.

Dividend

13. No dividend is recommended as the Company is currently in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations and have no divisible profits.

Transfer to Reserves

14. As the Company is yet to commence operations and has incurred a loss during the financial year 2020-21, the Company is unable to transfer any amount to the Reserves.

Contribution to Exchequer

15. The total contribution made during the financial year 2020-21 by way of Goods and Services Tax (GST) and Income Tax (TDS) was approximately Rs. 14.31 lakhs.

Manpower Status

16. As on March 31, 2021, the Company has 48 employees consisting of 17 executives, 8 supervisors and 23 workmen. The recruitment activities for positioning the requisite manpower was initiated in September 2020 and the initial set of employees were positioned during February–March 2021. The recruitment process for positioning the rest is going on and is expected to be completed soon. Apart from the above, employees of the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis for the smooth transition of the Company.

Particulars of Employees and Related Disclosures

17. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per

the provisions of the Companies Act, 2013. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof. Hence, details of remuneration of directors need not be included in the Board's report.

Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange earnings and outgo

18. The Company is in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations and aims to adopt energy efficient measures wherever possible; technology absorption is also expected to be achieved on commencement of operations.

19. During the year 2020-21, there were no foreign exchange earnings and outgo.

Risk Management

20. The Company has been revived through the statutory insolvency resolution process in September 2020 and is currently in the process of putting in place the necessary shipyard infrastructure for commencing operations. The Board of Directors closely monitors the progress of the Company's infrastructure revamping activities and also provides necessary guidance. The Company follows adequate risk management practices wherever necessary. Nevertheless, a Comprehensive Risk Management Policy will be framed and adopted on commencement of operations.

Health, Safety & Environment (HSE)

21. The Company gives utmost importance to the Health and Safety of the work force and the Environment in which the work is being done. Towards this, the Company has commenced periodic HSE awareness programs for the work force and is in the process of implementing the best HSE practices in line with its holding company, CSL.

Industrial Security

22. The physical security of the facilities of the Company at Maple and Hangarkatta is entrusted to Tring Detectives & Security Solutions Private Limited and that of Chengalpet facility is entrusted to Force 2 Securities. The Company is in the process of engaging a DGR Sponsored Security Agency for guarding its facilities.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

23. As on March 31, 2021, the Company had 4 directors, all of whom Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary, the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri Sureshbabu N V*	07482491	Director
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Director
5.	Shri Harikumar A	N.A.	Chief Executive Officer
6.	Shri Shibu John	N.A.	Chief Financial Officer
7.	Shri Aswin Sarma M	N.A.	Company Secretary

*Shri Sureshbabu N V ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.

24. Pursuant to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC), the powers of the Board of Directors were suspended since September 25, 2018 consequent to the commencement of the Company's Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) and the said powers shall vest with the Interim Resolution Professional/Resolution Professional during the CIRP.

25. On commencement of the CIRP, Shri N Kumar (Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00724/2017-18/11254) was appointed as the Interim Resolution Professional of the Company. In December 2018, Shri N Kumar was relieved and Shri Balakrishnan Venkatachalam (Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00229/2017-18/10458) was appointed as the Resolution Professional of the Company. Pursuant to the NCLT Order dated March 04, 2020 approving the Resolution Plan, a Monitoring Committee consisting of CSL Nominees, the Resolution Professional and the CoC Nominee was constituted for monitoring the implementation of the Resolution Plan and intermittent management of TSL from the date of NCLT Order till the payment of bid amount.

26. Consequent to the payment of the bid amount by CSL for takeover of the Company on September 15, 2020, the Monitoring Committee got dissolved, the then existing Directors and KMPs were removed and the new Board of Directors nominated by CSL were appointed. The reconstituted Board at its first meeting (post CIRP) held on October 21, 2020 designated a Chief Financial Officer (CFO) and a Company Secretary for the Company. Further, the reconstituted Board at its third meeting (post CIRP) held on November 17, 2020 also appointed a Chief Executive Officer (CEO) for the Company who joined on January 28, 2021.

27. Details of changes in Directors and Key Managerial Personnel (KMP) during the financial year 2020-21 are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date
Appointment				
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	September 15, 2020
2.	Shri Sureshbabu N V	07482491	Director	September 15, 2020
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director	September 15, 2020
4.	Shri Jose V J	08444440	Director	September 15, 2020
5.	Shri Harikumar A	N.A.	Chief Executive Officer	January 28, 2021
6.	Shri Shibu John	N.A.	Chief Financial Officer	October 21, 2020
7.	Shri Aswin Sarma M	N.A.	Company Secretary	October 21, 2020
Cessation				
8.	Shri Vijay Kumar	00726561	Chairman	September 15, 2020
9.	Shri Madhavan Srinivasan	02994130	Director	September 15, 2020
10.	Shri P R Kannan	N.A.	Company Secretary	September 15, 2020

Details of Board Meetings held during 2020-21 (w.e.f September 15, 2020)

28. The Board of Directors was reinstated with effect from September 15, 2020 consequent to the completion of the Company's insolvency resolution process. During the period from September 15, 2020 till March 31, 2021 (FY 2020-21), six Board Meetings have been held and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	October 21, 2020	4	4
2.	November 07, 2020	4	4
3.	November 17, 2020	4	4
4.	December 04, 2020	4	4
5.	December 15, 2020	4	4
6.	February 06, 2021	4	4

29. The attendance record of each director in the Board Meetings held during the financial year 2020-21 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	6/6
2.	Shri Sureshbabu N V	07482491	6/6
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	6/6
4.	Shri Jose V J	08444440	6/6

Committees of the Board

30. No Committees of the Board have been constituted during the financial year 2020-21.

Evaluation of Board's Performance

31. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. The Ministry of Corporate Affairs vide notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015 has exempted Government Companies from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Section 134(3)(p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the company as per its own evaluation methodology. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

32. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors' Responsibility Statement

33. The Company was placed under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) since September 25, 2018. Pursuant to the approved Resolution Plan and the NCLT Order, the new Board of Directors nominated by the Successful Resolution Applicant i.e., CSL was appointed with effect from September 15, 2020 consequent to the completion of the CIRP. In view of the fact that the Company was under CIRP and the facilities had become non-operational, the complete records/information could not be recovered. Further, the present Board/Management was also not been privy to the transactions/information/full access to the books of accounts of the Company and its operations during/prior to the CIRP period. Accordingly, the present Board/Management is not responsible or liable for any transactions prior to the date of takeover.

34. Subject to the above, your Directors state that:

- in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the loss of the Company for that period;
- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

38. The Company follows robust policies and procedures closely in line with that of the holding company, CSL, to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

39. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

40. M/s. Shabbir and Ganesh (Firm Registration No. 009033S), Chartered Accountants, Udupi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2020-21.

Statutory Auditors Report

41. M/s. Shabbir and Ganesh, Statutory Auditors have submitted their Report on the financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2021, on May 07, 2021, which forms part of the Annual Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

42. The Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Secretarial Auditors

43. M/s. SEP & Associates (Firm Registration No. P2019KE075600), Practicing Company Secretaries, Kochi were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2020-21.

Contracts and Arrangements with Related Parties

35. During the financial year 2020-21, no Related Party Transactions have been entered into by the Company which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 37 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

36. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

37. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by

Secretarial Auditors Report

44. M/s. SEP & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on April 28, 2021, which is placed at Annexure I to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditors

45. M/s. AMNS & Associates (Firm Registration No. 018825S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct the Internal Audit for the financial year 2020-21.

Supplementary Audit

46. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to The Principal Director of Commercial Audit, Indian Oil Bhavan, 139, Nungambakkam High Road, Chennai – 600 034. However, no audit objections on the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2021 have been raised by the said office.

Vigilance

47. There were no vigilance cases pending/disposed off during the financial year 2020-21.

Right to Information Act, 2005

48. During the year under review, no requests were received by the Company under the Right to Information (RTI) Act, 2005.

Annual Return

49. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.tebma.co.in.

Maintenance of Cost Records

50. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period.

Corporate Social Responsibility (CSR)

51. The Company being in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations is not in a position to undertake CSR activities. Further, the

Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Details of Subsidiaries, joint ventures or associate companies

52. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

53. Nil.

Material changes and commitments

54. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

55. During the year under Report, the Company has not

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

56. The Company has not yet started its business operations and is focusing on revamping the infrastructure to commence the business operations.

Deposits

57. The Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

58. The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) has passed Orders with respect to the Insolvency Resolution Process of the Company. No other significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Other Disclosures

59. The Company is in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations and the required manpower is also being positioned. The Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 will be constituted once the Company commences the operations. Further, no cases have been filed / disposed off during the financial year 2020-21 under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.

Acknowledgement

60. The Board of Directors is extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, Cochin Shipyard Limited (CSL) and all officers of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping) and CSL. The Board would also like to express its grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of Karnataka, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers, Sub-contractors and Company's employees.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair

Chairman

DIN: 07376798

Place: Kochi

Date: May 07, 2021

Annexure I

FORM NO. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
TEBMA SHIPYARDS LIMITED
S.No.377 Pazhamathur Village
Pukathurai Post Madurantakam Taluk
Kancheepuram TN 603116

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **TEBMA SHIPYARDS LIMITED (CIN:U27209TN1984PLC010994)** (hereinafter called the "Company"). Secretarial Audit was conducted for the financial year ended on 31st March 2021 in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs due to the spread of the COVID-19 pandemic, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2021, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have conducted online verification and examination of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records facilitated by the Company, due to Covid 19 and subsequent lockdown situation for issuing the report for the financial year ended on 31st March 2021, according to the provisions of;

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

- (ii) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company:

- a) The Factories Act, 1948;
- b) The Environment (Protection) Act, 1986;
- c) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;
- d) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;
- e) Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008;
- f) The Electricity Act, 2003 and Central Electricity Regulations, 2010;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards 1 and 2 issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that:-

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in

advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

There were no dissenting views on any decisions of the Board, as recorded in the Minutes of Board meetings.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, except as mentioned hereinafter, there were no instances of:

- i. Issuance of securities including Public/Right/Preferential issue of shares.
- ii. Redemption/Buy-back of securities.
- iii. Foreign technical collaborations.
- iv. Merger / amalgamation / reconstruction etc.

During the period under review, pursuant to NCLT order and the approved Resolution Plan under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the company has cancelled the existing shares (Equity and Preference) and issued 6,50,00,000 equity shares of Rs. 10/- each aggregating to Rs. 65,00,00,000/- to Cochin Shipyard Limited, the successful Resolution Applicant.

This report is to be read with Annexure A of even date and the same forms an integral part of this report.

For SEP & Associates

Company Secretaries
(ICSI Unique Code: P2019KE075600)
UDIN: F003050C000202722

CS Puzhankara Sivakumar

Date : 28.04.2021
Place: Kochi

Managing Partner
FCS: F3050, COP No. 2210

ANNEXURE A TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT OF EVEN DATE

To
The Members
TEBMA SHIPYARDS LIMITED
S.No.377 Pazhamathur Village
Pukathurai Post Madurantakam Taluk
Kancheepuram TN 603116

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

- The compliance of the provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Tebma Shipyards Limited (hereinafter called the "Company") is the responsibility of management of the Company. Our examination was limited to the verification of the records and procedures on test check basis for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
- Maintenance of the Secretarial and other records of applicable laws is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant record maintained and furnished to us by the Company, along with explanations where so required.
- During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial and other records, legal compliance mechanism and corporate conduct. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our Secretarial Audit Report.
- The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.
- We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc., wherever required. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
- While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2021 but before issue of the Report.
- We have considered actions carried out by the Company based on independent legal/professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SEP & Associates

Company Secretaries
(ICSI Unique Code: P2019KE075600)
UDIN: F003050C000202722

CS Puzhankara Sivakumar

Date : 28.04.2021
Place: Kochi
Managing Partner
FCS: F3050, COP No. 2210

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Kochi
Date: May 07, 2021

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

- Tebma Shipyards Limited ("TSL/ Company"), now a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), endeavors to integrate the corporate governance value system in all its activities. The new management strives to put in place good corporate governance practices and aims to promote transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement while conducting business. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the Company has prepared the report on Corporate Governance in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by DPE.

Board of Directors

- The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Pursuant to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC), the powers of the Board of Directors were suspended since September 25, 2018 consequent to the commencement of the Company's Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) and the said powers shall vest with the Interim Resolution Professional/Resolution Professional during the CIRP.

- As on March 31, 2021, the Board of the Company consists of four non-executive directors. The Company has a non-executive Chairman. The composition of the Board as on March 31, 2021 is as follows:

Sl. No.	Name	DIN	Category of Directorship
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Non-Executive Chairman
2.	Shri Sureshbabu N V*	07482491	Non-Executive Director
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director

* Shri Sureshbabu N V ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.

6. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
7. Details of changes in Directors during the financial year 2020-21 are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Category of Directorship	Date
Appointment				
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Non-Executive Chairman	September 15, 2020
2.	Shri Sureshbabu N V	07482491	Non-Executive Director	September 15, 2020
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director	September 15, 2020
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director	September 15, 2020
Cessation				
5.	Shri Vijay Kumar	00726561	Non-Executive Chairman	September 15, 2020
6.	Shri Madhavan Srinivasan	02994130	Independent Director	September 15, 2020

8. The profile of the Directors who are on the Board of the Company as on March 31, 2021 including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by these Directors are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

9. The Board of Directors was reinstated with effect from September 15, 2020 consequent to the completion of the Company's insolvency resolution process. During the period from September 15, 2020 till March 31, 2021 (FY 2020-21), six Board Meetings have been held and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The 36th AGM of the Company was held on December 17, 2020. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting						AGM
	2020			2021			Dec 17, 2020
	Oct 21	Nov 07	Nov 17	Dec 04	Dec 15	Feb 06	
Shri Madhu S Nair	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Sureshbabu N V	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Bejoy Bhasker	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Jose V J	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Directorships and Committee positions

10. The total number of Directorship(s)/Chairmanship(s) held by Directors and the positions of Membership/Chairmanship on Committees including Tebma Shipyards Limited, as on March 31, 2021, are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu S Nair	3	3	-	-
Shri Sureshbabu N V	-	3	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	3	-	-
Shri Jose V J	-	3	-	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

11. No sub committees of the Board have been constituted as on March 31, 2021. The Company is in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

General Body Meetings

12. As no Annual General Meetings (AGM) of the Company for the financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 were convened by the erstwhile Management/RP, the new Board of Directors convened the AGMs for the said years on December 17, 2020 in order to regularize the pending Companies Act compliances of the Company prior to the takeover by CSL, to the extent possible, the details of which are given below:

Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2017-18	December 17, 2020 at 10.30 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	No
2018-19	December 17, 2020 at 10.40 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	No
2019-20	December 17, 2020 at 10.50 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	No

13. The 37th AGM of the Company is scheduled to be held on September 15, 2021 at 11.20 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Other Disclosures

- (i) Related Party Transactions

14. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large.

- (ii) Non-compliance by the Company

15. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the period since the completion of the insolvency resolution process of the Company.

- (iii) Whistle Blower Policy

16. The Company is in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations. Once the infrastructure is in place and the Company commences its operations, it will formulate and put in place a Whistle Blower Policy to provide a framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy.

- (iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance
17. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.
- (v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.
18. The Company became a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Government of India in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. The Company is currently in the process of putting in place the necessary shipyard infrastructure for commencing operations. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.
- (vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.
- NIL
- (vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.
- NIL
- (viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2020-21 were 7.07% (8.30% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 1.55% (0.26% PY) of the total expenses in the year 2020-21.
- (ix) Means of communication of results
19. The Company revived through the statutory insolvency resolution process in September 2020 is in the process of

revamping the infrastructure facilities for commencing its operations. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/half yearly/ annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/half yearly/annual) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Annual Reports and the official news releases of the Company are placed at the Company's website at www.tebma.co.in.

- (x) Audit Qualifications
20. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. Shabbir and Ganesh, with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2020-21 does not contain any adverse remark.
- (xi) Training of Board Members
21. The Directors of the Company are the Functional Directors of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company and also have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. Presently, the Company is focusing on putting in place the required shipyard infrastructure facilities to commence the operations and in the course of time the Board members will be provided training wherever considered necessary.

Address for Correspondence

Tebma Shipyards Limited
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116.
e-mail: secretary.tsl@cochinshipyard.in
Website: www.tebma.co.in

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Kochi
Date: May 07, 2021

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Tebma Shipyards Limited ("TSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "Tebma", "TSL", "Group" are with respect to Tebma Shipyards Limited and its holding company.
3. Further, the Company was placed under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) since September 25, 2018. During the Resolution Process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Government of India, submitted its Resolution Plan for acquiring TSL and the NCLT, Chennai vide its Order dated March 04, 2020 approved the said Resolution Plan.

Consequently, the Resolution Plan implementation process was initiated and a Monitoring Committee consisting of CSL Nominees, the Resolution Professional and the CoC Nominee was constituted for monitoring the implementation of the Resolution Plan and intermittent management of TSL from the date of NCLT Order till the payment of bid amount. On September 15, 2020, CSL paid the bid amount for takeover of the Company consequent to which the Company became a wholly owned subsidiary of CSL and the new Board of Directors nominated by CSL took charge of the Company. Further, all claims/dues/liabilities of the Company got fully extinguished except to the extent mentioned in the approved Resolution Plan and the NCLT Order. With this the Resolution Process of the Company came to a close.

4. In view of the fact that the Company was under CIRP and the facilities had become non-operational, the complete records/information could not be recovered. Further, the present Board/Management was also not been privy to the transactions/information/full access to the books of accounts of the Company and its operations during/prior to the CIRP period. Accordingly, the present Board/Management is not responsible or liable for any transactions prior to the date of takeover.

Global Shipbuilding Industry

5. As per reports, the Global Shipbuilding industry is expected to decline this year as well mainly due to the COVID-19 outbreak that has led to restrictive containment measures involving social distancing, remote working, and the closure of industries and other commercial activities resulting in operational challenges. Further, stringent environmental regulations are expected to hinder the growth of the ship building market. This is because of the pollution derived from maritime shipping activities that affect air and water quality, and marine and estuarine biodiversity.
6. It is further reported that the global shipbuilding market is expected to recover in 2023. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), international seaborne trade volume is projected to expand at an average annual growth rate of 3.5% during 2019-2024. In view of the fact that the transfer of goods through seas is the most cost effective alternative, the rising demands for goods across the globe is expected to contribute to the growth of the ship building market.

Indian Shipbuilding Industry

7. As per the Maritime India Vision (MIV) 2030 document, the country's maritime sector plays a crucial role in its overall trade and growth, with 95% of the country's trade volume and 65% of the trade value being undertaken through maritime transport. Globally, India ranks 2nd in ship recycling and 21st in ship building with less than 1% global share. MIV 2030 has identified domestic demand channelization for ship building; development of common platforms for ancillary and marine design ecosystem; creation of ship repair clusters; and, promoting waste to wealth through increased scrap usage in Steel industry as key interventions to enhance the country's market share. Further, cargo and passenger movement through Inland Waterways also projects significant growth potential considering the fact that they are highly economical and an eco-friendly mode of transport. The country's Ocean, Coastal and River Cruise Sector is also expected to grow over the next decade. It is also worth noting that presently, deep sea fishing community experiences lack of availability of technologically advanced vessels which also poses great potential and market visibility for technologically advanced and sophisticated fishing vessels. Government's Policies like Blue Revolution and Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) aimed at giving a boost to the fisheries industry in the country is expected to spur demand for this sector.

Operations

8. TSL, the facilities of which became non-operational for the past several years was taken over by Cochin Shipyard Limited (CSL) in September 2020 through the statutory insolvency resolution process and since then TSL is a wholly owned subsidiary of CSL. TSL has two facilities; one in Malpe, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu. The facilities at Malpe is spread across three units as below:

- (a) Malpe Harbour Complex – Hull erection and launching;
- (b) Hangarkatta – Steel preparation and block fabrication; and
- (c) Babuthotta – Warehouse.

9. Presently, the Company is in the process of revamping the infrastructure facilities at Malpe for commencing its operations. Out of the three facilities at Malpe, the revival of Babuthotta warehouse is completed and is operational. The revival of Hangarkatta unit is at the advanced stages, and is expected to be operational by July 2021. The revamping activities at Malpe Harbour Complex are also progressing. The transfer bays are made ready and restoration of main new building shop and surface treatment shop is progressing for completion by August 2021. The recruitment process for positioning the required manpower is underway and is expected to be completed soon.

10. TSL plans to develop the Chengalpet facility for manufacturing structural outfitting items, rudders, hydrophore units etc. and the activities in this regard will be initiated once the Malpe facility is up and running and the feasibility of Chengalpet facility is established.

11. TSL mainly focuses on building fishing vessels (especially technologically advanced deep sea fishing vessels), tugs and specialized crafts of upto 80 M length which projects huge potential in domestic as well as international markets in the coming years. To begin with the Company will be building deep sea fishing vessels under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)", a promising scheme of the Government of India for developing the fisheries sector in India. TSL is putting in its best efforts to make ready the yard so as to ensure that the production of the said vessels commences as planned. However, the pace with which the activities are planned to commence operations and capitalise on the businesses opportunities may be adversely affected on account of the continuing COVID-19 Pandemic. TSL is also pursuing for orders for constructing fishing vessels and tugs.

12. The Company being in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations has reported a loss of Rs. 136.04 lakhs for the year ended March 31, 2021 as against the book profit of Rs. 20971.05 lakhs for the previous year. Further, the Company has reported total income of Rs. 74.74 lakhs for the year ended March 31, 2021 as against Rs. 207.00 lakhs for the previous year.

Proposed Dividend

13. No dividend is recommended as the Company is currently in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations and have no divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

14. The Company is in the process of revamping the infrastructure facilities and has not commenced its operations.

SWOT

15. TSL has high end infrastructure & facilities that has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients. TSL being a wholly owned subsidiary of CSL, one of the premier shipyards in India, the expertise and experience of CSL in building and repairing various kinds of vessels will add on to the capabilities of TSL significantly. At present, the Company foresees a good opportunity in the emerging fishing vessels segment in India and is expected to channelize its resources for capitalising the opportunity to the fullest.

16. TSL is in the process of revamping the infrastructure facilities and faces operational difficulties from various fronts, which the Company expects to overcome through stakeholder engagement. Further, the continuing COVID-19 Pandemic is also posing threats to the Company in carrying out the planned activities for commencing operations.

Risks and concerns

17. The Company strives to put in place the required shipyard infrastructure at its Malpe facility to cater to the needs of the fishing vessels and small watercraft segments. Delay in timely completion of revamping activities and failure to commence operations as planned due to the uncertainty posed by COVID-19 Pandemic would be the major risk at the moment for the Company. The Company follows all the protocols laid down by the local/government authorities for mitigating the risks associated with the Pandemic. Further, as the Company has been taken over through the statutory insolvency resolution process, which is in a very nascent stage in India, the Company is experiencing significant difficulties in regularising the takeover with various statutory authorities and also with other stakeholders including the vendors. All possible efforts are being made to ensure that the operations are not affected due to the said difficulties.

Internal Control

18. The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Human Resource Development and Industrial Relations

19. The Company is in the process of developing the necessary human resources and putting in place a suitable

organisation structure. The recruitment activities for positioning the requisite manpower was initiated in September 2020 and the initial set of employees were positioned during February–March 2021. The recruitment process for positioning the rest is going on and is expected to be completed soon. Apart from the above, employees of the Holding Company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis for the smooth transition of the Company.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

20. The Company is in the process of revamping shipyard infrastructure facilities and has given preference in adopting energy efficient measures; technology absorption would be achieved on commencement of operations. The Company has not incurred any expenses in foreign currency during the year 2020-21.

Corporate Social Responsibility

21. Since the Company is in the process of reviving and operationalising the facilities at Malpe no attempt has been taken for Corporate Social Responsibility. In due course efforts will be ensured towards the Corporate Social Responsibility aspects of the organisation.

Cautionary statement

22. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair

Chairman

DIN: 07376798

Place: Kochi

Date: May 07, 2021

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The members of
TEBMA SHIPYARDS LIMITED

Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

AUDITOR'S OPINION

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Tebma Shipyards Limited ("the Company"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2021, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and Notes to the Ind AS Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "financial statements")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("The Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2021 and its loss (including Other Comprehensive Loss), its cash flows and changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies

Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 41 to the Ind AS financial Statements, as regards the management's evaluation of COVID-19 impact on the future performance of the company. Our opinion is not modified in respect of this matter

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:



Financial Statements

Key audit matter

Application of new Accounting Standards (refer note 2.2 to the financial statements)

The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) with effect from April 1, 2020 in terms of the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016. The transition date balance sheet as on April 1, 2019 and the comparative financial statements for the year ended March 31, 2020 included in these Ind AS financial statements, is based on the statutory financial statements prepared in accordance with the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006 and have been restated

How our audit addressed the key audit matter

- Obtained an understanding of the management's process and tested internal controls in respect of identification and application of the differences between the existing accounting policies and the requirements under Ind AS.
- Evaluated the completeness of the adjustments identified by the management in terms of requirements of Ind AS.
- Verified the basis and calculations of the material adjustments viz. fair valuation of PPE, application of expected credit loss model and lease accounting.

to comply with Ind AS. The application of mandatory and optional transitional adjustment involves significant level of judgment by the management and there is a significant increase in the disclosure requirements under Ind AS. Hence this has been identified as a key audit matter

Accounting treatment for the effects of the Resolution Plan

Refer Note 42 to the financial statements for the details regarding the resolution plan implemented in the company pursuant to a Corporate insolvency resolution process concluded during the year under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Pursuant to the Resolution plan approved on March 04, 2020, the company had derecognised during FY 2019-20, the liabilities to financial creditors, operational creditors other than employees and Operational Creditors-Employees and workmen.

However, due to the unprecedented outbreak of COVID-19 Pandemic and subsequent lockdown imposed by the Government Authorities, the NCLT extended the time limit for payment of the bid amount. Accordingly, the bid amount was paid on September 15, 2020 and the takeover by the new management was effective from that date.

Comprehending the provisions of the Resolution Plan and determining the appropriateness of the accounting treatment thereof, more particularly the accounting treatment of derecognition of Equity and Preference Share capital, required significant judgment and estimates, including consideration of accounting principles to be applied for presentation of difference between Resolution plan amount and extinguishment of existing Equity and Preference Share capital and Share premium amount.

Accounting for the effects of the resolution plan is considered by us to be a matter of most significance due to its importance to intended users' understanding of the financial statements as a whole and materiality thereof.

The Company has elected to treat fair value as deemed cost for Property, Plant and Equipment. The fair value adjustment made to Property, Plant and Equipment amounted to ₹ 4250.80 Lakhs to the carrying value reported under the Previous GAAP as on 01-04-2019.

The Company had made full provision for available inventory of Raw materials and components as on 31/03/2020 and the same are now valued at Rs.188.92 lakhs as on 31/03/2021 as per Independent Valuer's Valuation.

We have performed the following procedures to determine whether the effect of Resolution Plan has been appropriately recognised in the financial statements:

- Reviewed management's process for review and implementation of the Resolution Plan.
- Reviewed the provisions of the Resolution Plan to understand the requirements of the said Plan and evaluated the possible impact of the same on the financial statements.
- Verified the balances of liabilities as on the date of approval of Resolution Plan from supporting documents and computations on a test check basis.
- Verified the underlying documents supporting the receipt and payment of funds as per the Resolution Plan.
- Tested the implementation of provisions of the Resolution Plan in computation of balances of liabilities owed to financial and operational creditors.
- Evaluated whether the accounting principles applied by the management fairly present the effects of the Resolution Plan in financial statements in accordance with the principles of Ind AS.
- Tested the related disclosures made in notes to the financial statements in respect of the implementation of the resolution plan.

Obtained And evaluated the Valuation Report of Management appointed Expert for the purpose of testing the key assumptions and valuation methodologies used to determine the fair value amount by engaging Valuation Specialists.

Obtained And evaluated the Valuation Report of Management appointed Expert for the purpose of testing the key assumptions and valuation methodologies used to determine the Recoverable amount by engaging Valuation Specialists.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the Ind AS financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we are not expressing any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and describe actions applicable in the applicable laws and regulations

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors responsible for the matters stated in Section 134(5) the Act with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, profit or loss (financial performance including other comprehensive income), cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued there under.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as

a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Ind AS financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

The comparative financial information of the Company for the year ended 31st March, 2020 and the transition date opening balance sheet as at 1st April, 2019 included in these Ind AS financial statements, are based on the previously issued statutory financial statements prepared in accordance with the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and audited as follows:-

- Opening balance sheet as at 1st April, 2019 audited by a predecessor auditor (D Rangaswamy & Co.FRN:003073S)

whose report for the year ended 31st March, 2019 dated 07 November 2020 expressed an **Disclaimer of Opinion** on those financial statements,

- Financial information of the Company for the year ended 31st March, 2020 audited by a predecessor auditor (D Rangaswamy & Co.FRN:003073S) whose report for the year ended 31st March, 2020 dated 07 November 2020 expressed an **Disclaimer of Opinion** on those financial statements.

These comparative financial information of the Company for the year ended 31st March, 2020 and the transition date opening balance sheet as at 1st April, 2019 included in these Ind AS financial statements were adjusted for the differences in the accounting principles adopted by the Company on transition to the Ind AS, which have been audited by us.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we have given in the **Annexure A**, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- Based on the verification of Records of the Company and based on the information and explanations given to us, we give in **Annexure B** a report on the Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Companies Act, 2013.
- As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

- In view of the exemption given vide notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company
- With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure C**".
- With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Company is exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Notes 36 to the Financial Statements.
- The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses as at 31st March 2021.
- There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For **SHABBIR AND GANESH**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No. 207231

UDIN: 21207231AAAANKH7119

Place: Udupi

Date: 07.05.2021

Annexure A to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date

- i. a. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.
- b. According to the information and explanations given to us, physical verification of major portion of fixed assets was conducted by the management during the year, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business and no material discrepancies were noticed on such verification.
- c. According to the information and explanations given to us, the records examined by us and based on the examination of title deeds provided to us, we report that, the title deeds of all immovable properties of land and buildings which are freehold are held in the name of the Company as at balance sheet date. In respect of immovable properties of land and buildings that have been taken on lease and disclosed as Right of Use Assets in the Ind AS financial statements, the lease agreements are in the name of the Company. The Hangarkatta yard lease has expired in 2019.
- ii. The inventory have been physically verified by the management during the year in accordance with the inventory verification procedure adopted by the Management. The discrepancies noticed on verification between the physical stocks and the book records were not material and have been dealt with in books of account.
- iii. According to the information and explanation given to us, Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, the provisions of clause (iii) (a), (b), (c) of the Order are not applicable to the Company.
- iv. According to the information and explanations given to us, the Company has not advanced any loan, given any guarantee or provided any security to the parties covered under Section 185. The Company has not given any loan or made any investment covered under Section 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, reporting under clause 3 (iv) of the Order does not arise.
- v. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public in accordance with the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under. Accordingly, the provision of Clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.
- vi. The Central Government has not issued any order specifying the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013; hence the question of our reporting under this clause does not arise.
- vii. a. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including Provident fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Goods and Service Tax, duty of Customs, professional Tax and other material statutory dues applicable to it to the appropriate authorities.
- b. As mentioned in Note 36 to the financial statements, pursuant to the implementation of the Resolution Plan, there are no dues in respect of income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise and value added tax that have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.
- viii. On March 04, 2020, the National Company Law Tribunal ("NCLT") had approved the terms of the Resolution Plan submitted by Cochin Shipyard Ltd, pursuant to which debts owed by the company as on the date of commencement of CIRP process have been fully settled through. Accordingly, the company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to any financial institution or bank during the year. The Company did not have any outstanding dues to Government or debenture holders during the year.
- ix. According to the information and explanations given to us and based on records examined by us we are of the opinion that the moneys raised during the year by way of term loans by the Company pursuant to the terms of the Approved Resolution Plan were applied for the purpose for

which it was raised. The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year.

- x. According to the information and explanations given to us, no material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.
- xi. In view of exemption given vide notification no. G.S.R.463(E) dated June 5,2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 regarding managerial remuneration are not applicable to the company.
- xii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Accordingly, the provisions of Clause 3(xii) of the Order are not applicable to the Company.
- xiii. According to the information and explanations given to us and based on our examinations of the records of the Company transactions with related party for the period under reporting are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details of such related party transactions have been disclosed in the Ind AS financial statements as required under Indian Accounting Standard (Ind AS) 24, 'Related Party Disclosures' specified under Section 133 of the Act.
- xiv. During the year, the company has made preferential allotment/private placement of shares as per the terms of

the approved resolution plan. In respect of the same, in our opinion, the Company has complied with the requirement of Section 42 of the Act. Further, in our, opinion, the amounts so raised have been used for the purposes for which the funds were raised. During the year, the Company did not make preferential allotment/private placement of fully/ partly convertible debentures.

- xv. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them as prescribed under section 192 of the Act. Accordingly, the provisions of Clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company.
- xvi. According to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, the provisions of Clause 3(xvi) of the Order are not applicable to the Company.

For **SHABBIR AND GANESH**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 0090335

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No. 207231

UDIN: 21207231AAAANKH7119

Place: Udupi

Date: 07.05.2021

Annexure B to the Independent Auditors' Report

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our Independent Auditors report of even date on the IND AS financial statements of Tebma Shipyards Ltd for the year ended 31 March, 2021

Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2021

We give below our report on the matters referred therein:

A. General Directions

- a) **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.** In our opinion, the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except inventory management. Based on the information and explanations given to us, and based on procedures performed by us, we are of the opinion that the company has an adequate internal control system to prevent and detect processing of accounting transactions outside the IT system. As per information provided to us, there has been no such instance reported during the year.
- b) **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).**

The Company was subject to Corporate Insolvency Resolution Process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Resolution Plan was approved by NCLT-Division Bench-I, Chennai on March 04, 2020 as per which out of the total admitted debt of the lender banks aggregating to Rs.602.39 Crores, 9.74% pay amounting to

Rs.58.65 Crores was approved and paid to lenders during September 2020. The financial effect for write back of liabilities was given in FY 2019-20. As per the Resolution plan the financial creditors are also eligible for the proceeds of Excluded Ships and Excluded Financial Assets.

- c) **Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

In our opinion, and based on the information and explanations given to us, the funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions.

B. Sub Directions

No Sub Directions were issued for the period under audit.

For **SHABBIR AND GANESH**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL
Partner
Membership No. 207231
UDIN: 21207231AAAANKH7119

Place: Udupi
Date: 07.05.2021

Annexure C to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of Tebma Shipyards Limited on the audit of Ind AS financial statements for the year ended 31st March 2021

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Tebma Shipyards Limited ("the Company") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (The "Guidance Note"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the

risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion

or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to these Ind AS financial statements and such internal financial controls over

financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI

For **SHABBIR AND GANESH**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL
Partner
Membership No. 207231
UDIN: 21207231AAAACH7119

Place: Udupi
Date: 07.05.2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF TEBMA SHIPYARDS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of Tebma Shipyards Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(7) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 07.05.2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Tebma Shipyards Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

(R. AMBALAVANAN)
Director General of Commercial Audit, Chennai

Place: Chennai
Date: 26.07.2021

Balance Sheet

As at March 31, 2021

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
ASSETS				
Non-current assets				
(a) Property, Plant and Equipment	4	9,956.20	10,877.15	12,133.37
(b) Capital work-in-progress	5	103.61	-	-
(c) Intangible assets	6	8.96	13.13	16.68
(d) Financial assets				
(i) Investments	7	-	-	1.32
(ii) Other Financial Assets	8	-	-	37.78
(e) Income tax assets (net)	9	11.95	350.68	481.30
(f) Deferred tax assets (net)	10	3,989.52	-	-
(g) Other non-current assets	11	-	-	5,582.86
Total Non-Current assets		14,070.24	11,240.96	18,253.31
Current assets				
(a) Inventories	12	188.92	-	2,816.76
(b) Financial Assets				
(i) Trade receivables	13	6.52	-	495.08
(ii) Cash and cash equivalents	14	2,526.99	87.29	53.95
(iii) Bank balances other than (ii) above	15	0.81	0.81	365.64
(iv) Other Financial assets	16	0.67	1.59	18,132.90
(c) Other current assets	17	93.94	13.41	691.48
Total Current assets		2,817.85	103.10	22,555.81
Total Assets		16,888.09	11,344.06	40,809.12
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
(a) Share capital	18	6,500.00	20,236.15	20,236.15
(b) Other equity	19	7,153.21	(16,780.92)	(37,751.97)
Total Equity		13,653.21	3,455.23	(17,515.82)
Liabilities				
Non-current liabilities				
(a) Financial liabilities				
(i) Borrowings	20	500.00	-	10,197.43
(ii) Other financial liabilities	21	75.39	-	1,915.00
Total Non-Current Liabilities		575.39	-	12,112.43
Current liabilities				
(a) Financial liabilities				
(i) Borrowings	22	-	5,965.00	39,728.16
(ii) Trade payables				
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	23	-	-	-
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		0.83	90.49	799.12
(iii) Other financial liabilities	24	1,440.74	195.14	4,144.97
(b) Other current liabilities	25	7.14	388.20	1,401.18
(c) Provisions	26	1,210.78	1,250.00	139.08
Total Current Liabilities		2,659.49	7,888.83	46,212.51
Total Equity and Liabilities		16,888.09	11,344.06	40,809.12

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1-2
Explanation of transition to Ind AS	3
Notes to the Financial Statements	4 - 43

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M Company Secretary M. No. A41969 Kochi, dated May 07, 2021	SHIBU JOHN Chief Financial Officer	HARIKUMAR A Chief Executive Officer	JOSE V J Director DIN - 08444440	MADHU S NAIR Chairman DIN - 07376798
---	--	---	---	---

For **M/s Shabbir and Ganesh**Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 009033S**CA GANESH YERMAL**Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 21207231AAAAKH7119
Udupi, Date: 07 May 2021

Statement of Profit and Loss

For the year ended March 31, 2021

(Rs in lakhs)

Sl No	Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
I	Income			
	Revenue from Operations	27	-	116.38
	Other Income	28	74.74	90.62
	Total Income		74.74	207.00
II	Expenses			
	Employee Benefits Expense	29	71.60	35.56
	Finance costs	30	23.14	7.36
	Depreciation and Amortisation Expense	31	1284.46	1259.77
	Other expenses	32	104.98	1481.15
	Total expenses		1484.18	2783.84
III	Profit/ (Loss) before exceptional items and tax (I-II)		(1409.44)	(2576.84)
IV	Exceptional Items	33	1263.40	23547.89
V	Profit/ (Loss) before Tax (III-IV)		(146.04)	20971.05
VI	Tax expense			
	(1) Current tax	10	-	-
	(2) Deferred tax		(10.00)	-
VII	Profit/(Loss) for the period/year(V-VI)		(136.04)	20971.05
VIII	Other comprehensive income			
	A) Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
	B) Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
	Other comprehensive income for the period/year		-	-
IX	Total Comprehensive Income for the period/year (VII-VIII)		(136.04)	20971.05
X	Paid up equity share capital (Face value - Rs 10 each)		6500.00	7736.15
	Earnings per equity share of Rs 10 each	34		
	(1) Basic (Rs)		(0.21)	27.11
	(2) Diluted (Rs)		(0.21)	27.11
			Annualised	Annualised

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1-2
Explanation of transition to Ind AS	3
Notes to the Financial Statements	4 - 43

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M Company Secretary M. No. A41969 Kochi, dated May 07, 2021	SHIBU JOHN Chief Financial Officer	HARIKUMAR A Chief Executive Officer	JOSE V J Director DIN - 08444440	MADHU S NAIR Chairman DIN - 07376798
---	--	---	---	---

For **M/s Shabbir and Ganesh**Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 009033S**CA GANESH YERMAL**Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 21207231AAAAKH7119
Udupi, Date: 07 May 2021

Statement of Cash Flow

For the year ended March 31, 2021

Particulars	(Rs in lakhs)	
	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
A. Cash flows from operating activities		
Profit before tax	(146.04)	20,971.05
Adjustments:		
Depreciation and amortisation	1,284.46	1,259.77
Interest expense	14.69	-
Interest income	(6.26)	(21.59)
Operating cash flow before working capital changes	1,146.85	22,209.23
Movements in working capital:		
(Increase) / decrease in inventories	(188.92)	2,816.76
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(87.73)	25,057.05
Increase / (decrease) in trade and other payables	735.66	(6,475.53)
	1,605.86	43,607.51
Income taxes paid (Net of Refunds)	-	-
Net cash flows from operating activities (A)	1,605.86	43,607.51
B. Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(68.61)	-
(Increase) / decrease in capital work In progress	(103.61)	-
Interest received	6.26	21.59
Net cash flows from investing activities (B)	(165.96)	21.59
C. Cash flows from financing activities		
Repayment of borrowings	(5,965.00)	(43,960.59)
Receipt of Loan from Holding company	500.00	-
Issue of Capital	6,500.00	-
Interest Expense	(14.69)	-
Repayment of lease liability	(20.51)	-
Net cash flows from financing activities (C)	999.80	(43,960.59)
D. Net increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	2,439.70	(331.49)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	87.29	418.78
Cash and cash equivalents at the end of the year	2,526.99	87.29
Components of cash and cash equivalents (refer note 14)		
Cash on hand	-	-
Balances with banks		
- in current accounts	2,526.99	87.29
Total cash and cash equivalents	2,526.99	87.29

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1-2
Explanation of transition to Ind AS	3
Notes to the Financial Statements	4 - 43

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M Company Secretary M. No. A41969 Kochi, dated May 07, 2021	SHIBU JOHN Chief Financial Officer	HARIKUMAR A Chief Executive Officer	JOSE V J Director DIN - 08444440	MADHU S NAIR Chairman DIN - 07376798
---	--	---	---	---

For **M/s Shabbir and Ganesh**
Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 009033S

CA GANESH YERMAL
Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 21207231AAAAKH7119
Udupi, Date: 07 May 2021

Statement of Changes in Equity

For the year ended March 31, 2021

A. Share Capital

(Rs in lakhs)		
As at April 01, 2020	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2021
20,236.15	-13,736.15	6,500.00

(Rs in lakhs)		
As at April 01, 2019	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2020
20,236.15	0.00	20,236.15

B. Other Equity

Particulars	Reserves and Surplus			Total
	Securities Premium Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2020	12,194.71	228.33	(29,203.96)	(16,780.92)
Adjustment on account of cancellation of capital	(12,194.71)	12,194.71	-	-
Cancellation of Share capital	-	20,236.15	-	20,236.15
Add :Fair valuation made to Thenkasi land and Vehicles	-	194.83	-	194.83
Add: Opening DTA	-	-	3,979.52	3,979.52
Less : Cancellation of MAT credit and Provision created against TDS receivable	-	-	(340.33)	(340.33)
Transfer from retained earnings to General reserve	-	(25,564.77)	25,564.77	-
Profit for the year	-	-	(136.04)	(136.04)
Balance as at March 31, 2021	-	7,289.25	(136.04)	7,153.21

B. Other Equity (Contd..)

(Rs in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus			Total
	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2019	12,194.71	228.33	(54,425.81)	(42,002.77)
Transition adjustments	-	-	4,250.80	4,250.80
Profit for the year	-	-	20,971.05	20,971.05
Balance as at March 31, 2020	12,194.71	228.33	(29,203.96)	(16,780.92)

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Explanation of transition to Ind AS

3

Notes to the Financial Statements

4 - 43

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary

M. No. A41969

Kochi, dated May 07, 2021

SHIBU JOHN

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director

DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman

DIN - 07376798

For **M/s Shabbir and Ganesh**

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No.: 207231

UDIN: 21207231AAAAKH7119

Udupi, Date: 07 May 2021

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**1.1. Corporate information**

Tebma Shipyards Limited (TSL), a company engaged in manufacturing and repair of commercial ships for domestic and international clients and warships for Indian Navy, was founded on July 09, 1984. TSL was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited', became public as 'Tebma Engineering Limited' and subsequently the name was changed to 'Tebma Shipyards Limited'. The Registered Office of the Company is situated at S.No.377, Pazhamathur Village, Pukathurai Post, Madurantakam Taluk, Kancheepuram – 603 116. TSL has two yards; One in Malpe – Karnataka and the other one in Chengalpet – Tamil Nadu. It has a major fabrication unit in Hangarkatta (about 2 km from the Malpe yard). TSL has been a known name in the shipbuilding industry for its quality standards and commitment levels. TSL experienced financial difficulties due to the cancellation of Orders and in 2010, the Company entered into a Capital Debt Restructuring Agreement with the Consortium of bankers and Master Restructuring Agreement (MRA) was signed in April 2011. Further, consequent to the Company's failure in honouring its financial commitments, one of the operational creditors filed an insolvency petition under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against the Company in 2018. The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai vide its Order dated September 25, 2018 allowed the petition and the Company was placed under the Corporate Insolvency Resolution Process (herein after referred to as "Resolution Process").

During the Resolution Process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India, submitted its Resolution Plan for acquiring TSL and the NCLT, Chennai vide its Order dated March 04, 2020 approved the said Resolution Plan. Consequently, the Resolution Plan implementation process was initiated and a Monitoring Committee consisting of CSL Nominees, the Resolution Professional and the CoC Nominee was constituted for monitoring the implementation of the Resolution Plan and intermittent management of TSL from the date of NCLT Order till the payment of bid amount. On September 15, 2020, CSL paid the bid amount for takeover of the Company consequent to which the Company became

a wholly owned subsidiary of CSL and the new Board of Directors nominated by CSL took charge of the Company. Further, all claims/dues/liabilities of the Company got fully extinguished except to the extent mentioned in the approved Resolution Plan and the NCLT Order. With this the Resolution Process of the Company came to a close.

The financial statements for the year ended March 31, 2021 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on May 07, 2021.

2. Significant Accounting Policies**2.1 Functional & Presentation Currency**

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Company.

2.2 Statement of Ind AS compliance

The Financial Statements up to and for the year ended March 31, 2020 were prepared in accordance with Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, notified under Section 133 of the Act and other relevant provisions of the Act.

As these are the Company's first Financial Statements prepared in accordance with Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, Ind AS 101, First-time Adoption with the Indian Accounting Standards has been applied. An explanation of how the transition to Ind AS has affected the previously reported financial position, financial performance and cash flows of the Company is provided as transition reconciliation in note 3.

2.3 Basis of preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments, PPE and RoU Assets which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

2.4 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification

of a lease requires significant judgement. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Company reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.6 Property , Plant and Equipment (PPE)

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate,

only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.7 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.8 Intangible Assets

Right to use: Up-front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.9 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted

As a Lessee:

The Company's leased asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows payable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value. Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various assets class are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years

Leasehold land is amortised over the period of lease. Leasehold improvements including certain buildings, and slipway are depreciated over the lower of remaining estimated useful lives and the lease period.

2.11 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

2.12 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. Cost of inventories comprises all costs of purchase and costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventory of raw materials and components for ship building projects are valued based on Weighted Average Method.

2.13 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

2.14 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the

Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed. However, when realisation of income is virtually certain, related asset is recognised

2.15 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Provident fund: Contributions to provident fund (a defined contribution plan) are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the profit and loss account. The Company has no further obligations for future provident fund benefits other than its monthly contributions. **Gratuity:** This is a defined benefit plan. The liability is determined based on the actuarial valuation using projected unit credit method. Actuarial gains and losses, comprising of experience adjustments and the effects of changes in actuarial assumptions, are recognized immediately in the profit and loss account as income or expense. **Compensated Absences:** Provision for leave entitlement is made on the basis of an actuarial valuation carried by an independent actuary as at the balance sheet date. Actuarial gains or losses are taken to the Profit & Loss Account and are not deferred.

2.16 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

2.17 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.18 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction. Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled. Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

2.19 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.20 Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

2.21 Recent accounting pronouncements - Standards issued but not yet effective

Recent Accounting Developments Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards. There is no such notification which would have been applicable from April 1, 2021.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 3 : Reconciliation of Equity as previously reported as per previous GAAP to Ind AS

(i) Reconciliation of total other equity

Description	(Rs in lakhs)	
	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Equity as per Previous GAAP	(20,937.52)	(42,002.77)
Re-measurements on transition to Ind AS		
(1) Property, plant and equipment	4,156.60	4,250.80
Equity as per Ind AS	(16,780.92)	(37,751.97)

(ii) Reconciliation of total comprehensive income

Description	(Rs in lakhs)	
	As at 31.03.2020	
Net Profit as per Previous GAAP	21,065.25	
Re-measurements on transition to Ind AS		
(1) Property, plant and equipment	(94.20)	
Net Profit as per Ind AS	20,971.05	
Total comprehensive income/(loss) as per Ind AS	20,971.05	

Notes to reconciliation of total equity and total comprehensive income:

a. Property, plant and equipment:

On transition to Ind AS, the Company has treated fair value as deemed cost for property, plant and equipment resulting in an uplift in carrying value as compared to the Previous GAAP. The consequential impact of additional depreciation on fair value uplift is recognised in the statement of profit and loss.

(iii) Reconciliation of material items of balance sheet as per IND AS with previous GAAP as at March 31, 2020 and April 1, 2019

Particulars	April 1, 2019			Remarks
	As per IndAS	As per Previous GAAP	Increase / (Decrease)	
Assets:				
Property, plant and equipment	12,133.37	7,899.25	4,234.12	A. The Company has elected to treat fair value as deemed cost for property, plant and equipment. The fair value adjustment made to property, plant and equipment amounted to ₹ 4250.80 Lakhs to the carrying value reported under the Previous GAAP.
Intangible Assets	16.68	-	16.68	B. Right of use assets have been reclassified from property, plant and equipment to Separate line item under IndAS

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

(iii) Reconciliation of material items of balance sheet as per IND AS with previous GAAP as at March 31, 2020 and April 1, 2019 (Contd..)

(Rs in lakhs)

Particulars	April 1, 2019			Remarks
	As per IndAS	As per Previous GAAP	Increase / (Decrease)	
Other non current financial assets	37.78	-	37.78	C. Security Deposits considered amounting to Rs.37.78 Lakhs have been reclassified from other non-current assets to other non current financial assets being financial in nature under IndAS
Income tax assets	481.30	-	481.30	D. Tax Deducted at Source, Advance Tax and MAT paid considered amounting to Rs.481.30 Lakhs have been reclassified from other non-current assets to a separate line item "income tax assets" under IndAS
Other non-current assets	5,582.86	652.37	4,930.48	Refer Point C and D and in addition to these, Balance with Government authorities have been regrouped to other current asset amounting to Rs.133.29 Lakhs and Subsidy receivables were regrouped to Other non current asset from Other current asset
Other current financial assets	18,132.90	-	18,132.90	E. Other Deposits considered amounting to Rs.94.81 lakhs, unbilled revenue amounting to Rs.18018.78 Lakhs, Interest accrued on fixed deposits amounting to Rs. 19.30 Lakhs, have been reclassified from other current assets to other current financial assets being financial in nature under IndAS
Short term loans and advances	-	558.19	(558.19)	F. Advance paid to suppliers have been reclassified to Other current assets
Other current assets	691.48	23,715.75	(23,024.27)	Refer Point E & F, in addition to these, Balance with Government authorities have been regrouped to other current asset amounting to Rs.133.29 Lakhs and Subsidy receivables were regrouped to Other non current asset from Other current asset
Liabilities:				
Other non current financial Liabilities	1,915.00	-	1,915.00	G. Amount received from India Advantage Fund amounting to Rs.1915 Lakhs, have been reclassified from other long term liabilities to other non current financial liabilities being financial in nature under IndAS
Other long term liabilities	-	1,915.00	(1,915.00)	Refer Point G

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

(iii) Reconciliation of material items of balance sheet as per IND AS with previous GAAP as at March 31, 2020 and April 1, 2019 (Contd..)

(Rs in lakhs)

Particulars	April 1, 2019			Remarks
	As per IndAS	As per Previous GAAP	Increase / (Decrease)	
Trade payables	799.12	817.32	(18.20)	H. Employee related liabilities amounting to Rs. 21.86 Lakhs have been regrouped from trade payables to current financial liabilities and Rs. 3.66 Lakhs of other creditors from current liabilities to trade payables
Other current financial liabilities	4,144.95	-	4,144.95	I. Employee related liabilities considered amounting to Rs.213.35 Lakhs, Accrual for expenses amounting to Rs.3810.76 Lakhs, Interest accrued but not due on borrowings amounting to Rs. 33.19 Lakhs, Retention from contractors amounting to Rs. 87.65 Lakhs have been reclassified from other current liabilities to other current financial liabilities being financial in nature under IndAS
Provisions	139.08	50.39	88.69	J. Provision for Gratuity amounting to Rs. 85.63 Lakhs and leave encashment amounting to Rs. 3.06 Lakhs have been reclassified from other current liabilities to Provision
Other current liabilities	1,401.17	5,616.63	(4,215.46)	Refer Point H, I, and J

(Rs in lakhs)

Particulars	March 31, 2020			Remarks
	As per IndAS	As per Previous GAAP	Increase / (Decrease)	
Assets:				
Property, plant and equipment	10,877.15	6,733.68	4,143.47	A. The Company has elected to treat fair value as deemed cost for property, plant and equipment. The fair value adjustment made to property, plant and equipment amounted to ₹ 4250.80 Lakhs to the carrying value reported under the Previous GAAP.
Intangible Assets	13.13	-	13.13	B. Right of use assets have been reclassified from property, plant and equipment to Separate line item under IndAS

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

(iii) Reconciliation of material items of balance sheet as per IND AS with previous GAAP as at March 31, 2020 and April 1, 2019 (Contd..)

(Rs in lakhs)

Particulars	March 31, 2020			Remarks
	As per IndAS	As per Previous GAAP	Increase / (Decrease)	
Income tax assets	350.68	-	350.68	C. Tax Deducted at Source, Advance Tax and MAT paid considered amounting to Rs.350.68 lakhs have been reclassified from other non-current assets to a separate line item "income tax assets" under IndAS
Other non-current assets	-	352.46	(352.46)	Refer Point C and Balance with Government authorities have been regrouped to other current asset amounting to Rs.1.78 Lakhs
Other current financial assets	1.59	-	1.59	D. Other Deposits considered has been reclassified from other current assets to other current financial assets being financial in nature under IndAS amounting to Rs.1.59 Lakhs and, Balance with Government authorities have been regrouped to other current asset amounting to Rs.1.78 Lakhs
Other current assets	13.42	13.22	0.20	
Liabilities:				
Trade payables	90.49	38.63	51.86	E. Operational creditors other than employees to the extent not written off amounting to Rs. 51.86 Lakhs has been reclassified from other current liabilities to trade payables
Other current financial liabilities	195.14	-	195.14	F. Employee related liabilities considered amounting to Rs.195.14 Lakhs has been reclassified from other current liabilities to other current financial liabilities being financial in nature under IndAS
Other current liabilities	388.20	635.20	(247.00)	Refer Point E and F above

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 4 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount		
	As at 01.04.2020	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at 31.03.2021	For the year 01.04.2020	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 31.03.2020
Tangible assets									
Land - freehold	2,420.37	187.50	-	2,607.87	-	-	2,607.87	2,420.37	2,420.37
Building	2,060.41	2.55	-	2,062.96	94.28	94.02	188.30	1,874.66	1,966.13
Plant and machinery	4,657.45	21.78	-	4,679.23	545.25	544.53	1,089.78	3,589.45	4,112.20
Office equipments	19.42	21.40	-	40.82	3.81	4.40	8.21	32.61	15.62
Furniture and fittings	20.06	7.87	-	27.93	5.18	5.19	10.37	17.56	14.88
Computers	17.26	0.80	-	18.06	5.66	5.14	10.80	7.26	11.59
Electrical Fittings	-	14.21	-	14.21	-	0.08	0.08	14.13	-
Vehicles	-	7.33	-	7.33	-	0.69	0.69	6.64	-
Sub Total	9,194.97	263.44	-	9,458.41	654.18	654.05	1,308.23	8,150.18	8,540.79
Assets held on Leased Premises									
Building	1,830.40	-	-	1,830.40	375.03	374.00	749.03	1,081.37	1,455.37
Slipway	1,108.00	-	-	1,108.00	227.01	226.39	453.40	654.60	880.99
Right of Use Assets (IND AS 116)	-	95.90	-	95.90	-	25.85	25.85	70.05	-
Sub Total	2,938.40	95.90	-	3,034.30	602.04	626.24	1,228.28	1,806.02	2,336.36
Total	12,133.37	359.34	-	12,492.71	1,256.22	1,280.29	2,536.51	9,956.20	10,877.15
Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount		
	As at 01.04.2019	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019	For the year 01.04.2019	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Tangible assets									
Land - freehold	2,420.37	-	-	2,420.37	-	-	-	2,420.37	2,420.37
Building	2,060.41	-	-	2,060.41	-	94.28	94.28	1,966.13	2,060.41
Plant and machinery	4,657.45	-	-	4,657.45	-	545.25	545.25	4,112.20	4,657.45
Office equipments	19.42	-	-	19.42	-	3.81	3.81	15.61	19.42
Furniture and fittings	20.06	-	-	20.06	-	5.18	5.18	14.88	20.06
Computers	17.26	-	-	17.26	-	5.66	5.66	11.60	17.26
Sub Total	9,194.97	-	-	9,194.97	-	654.18	654.18	8,540.79	9,194.97
Assets held on Leased Premises									
Building	1,830.40	-	-	1,830.40	-	375.03	375.03	1,455.37	1,830.40
Slipway	1,108.00	-	-	1,108.00	-	227.01	227.01	880.99	1,108.00
Right of Use Assets (IND AS 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	2,938.40	-	-	2,938.40	-	602.04	602.04	2,336.36	2,938.40
Total	12,133.37	-	-	12,133.37	-	1,256.22	1,256.22	10,877.15	12,133.37

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 4 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

The Company has elected to treat fair value as deemed cost for Property, Plant and Equipment. The fair value adjustment made to Property, Plant and Equipment amounted to ₹ 4250.80 Lakhs to the carrying value reported under the Previous GAAP.

Revaluation of assets was carried out as part of take over dated 15th September 2020. All categories of assets were revalued and life was assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets

TSL has entered into agreements with Kundapura Port & Govt of Karnataka for lands taken on lease at Malpe and Hangarkatta. The lease agreement for Malpe will expire in 2023, while the lease period for Hangarkatta land has already expired in 2019. Discussions are currently underway with the Government of Karnataka to renew the lease licenses. Meanwhile Company paid during the year an amount of Rs. 20.51 Lakhs towards Malpe lease rent and Rs 1.86 lakhs towards Hangarkatta Lease rent. Ind AS 116 is applied only for Malpe leasehold land.

Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets. Also the value of Land at Kulpi (Kolkata- 2.31 cents) and 0.78 cents of land at Hangarkatta have not been recognized in accounts due to pending verification & valuation of the same.

Note 5 : Capital work-in-progress

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Plant and machinery, Buildings and Civil works	103.61	-	-
Total	103.61	-	-

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 6 : Other Intangible assets

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation		Net Carrying amount		
	As at 01.04.2020	As at Additions/ (Deletions)	As at 31.03.2021	As at 01.04.2020	For the year	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 31.03.2020
Right of Use - land	16.68	-	16.68	3.55	4.17	7.72	8.96	13.13
Total	16.68	-	16.68	3.55	4.17	7.72	8.96	13.13

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation		Net Carrying amount		
	As at 01.04.2019	As at Additions/ (Deletions)	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019	For the year	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019	As at 31.03.2019
Right of use - Land	16.68	-	16.68	-	3.55	3.55	13.13	-
Total	16.68	-	16.68	-	3.55	3.55	13.13	-

The Right of use of land shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Port Officer Kundapura towards using Malpe leasehold land, which is amortised over the lease period.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 7 : Investments - Non Current

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Quoted (Fully Paid up)			
Investment in equity instruments			
a) At Fair Value Through Other Comprehensive Income			
Andhra Bank Limited	-	-	0.46
NIL (previous year:NIL, preceeding previous year : 4600) equity shares of Rs.10 each fully paid up			
Syndicate Bank Limited	-	-	0.86
NIL (previous year:NIL, preceeding previous year : 1728) equity shares of Rs.10 each fully paid up			
Total	-	-	1.32

Note 8 : Other Financial Assets - Non Current

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Security Deposits	-	-	37.78
Total	-	-	37.78

Note 9 : Income tax assets / liability (net)

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Non current tax assets			
Income Tax Assets	11.95	350.68	481.30
Total	11.95	350.68	481.30

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Current tax:		
Current income tax charge	0.00	0.00
Adjustment in respect of prior years	-	-
Total (A)	0.00	0.00
Deferred tax:		
In respect of current year	(10.00)	-
Total (B)	(10.00)	-
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	(10.00)	0.00

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Profit before tax	(146.04)	20971.05
Income tax expense calculated at respective applicable rates	(37.97)	5452.47
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	336.16	652.54
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(164.83)	(1,823.36)
Set off of carried forward business losses	(133.35)	(4,281.65)
Total	0.00	0.00
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	-	-
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	(10.00)	-
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	(10.00)	0.00

Note 10 : Deferred tax assets (net)

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Deferred tax liabilities	817.69	-	-
Deferred tax assets	(4,807.21)	-	-
Total	(3,989.52)	-	-

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2020-21

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	Opening Balance recognised in Retained Earnings	Recognised in Statement of Profit and Loss	Closing Balance
Provisions	(325.00)	10.20	(314.80)
Property, plant and equipment	971.29	(156.73)	814.56
Intangible assets	-	-	-
Carry forward losses	(4,625.81)	133.39	(4,492.42)
Others	-	3.15	3.15
Total	(3,979.52)	(10.00)	(3,989.52)

As at March 31, 2021, the company has assessed recognition of deferred tax assets by assessing availability of sufficient future taxable profits, based on financial projections which have been approved by the Management, to absorb the deferred tax asset.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 11: Other non-current assets

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Unsecured, considered good			
Subsidy Receivable	179.36	2,791.43	5,582.86
Less : Provision for Subsidy receivable	(179.36)	(2,791.43)	-
Total	-	-	5,582.86

The subsidy amount receivable is calculated as per the Ship Building Subsidy Scheme issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide Press Note (2003).

As per the resolution plan approved by the Hon'ble NCLT vide Order dated March 04, 2020, 50% of the subsidy receivable under the Ship Building Subsidy Scheme issued by the Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW), Government of India belongs to the Committee of Creditors (CoC) of TSL. During the year, TSL received Rs. 2148.96 lakhs against the subsidy claim from MoPSW. Hence, 50% of the subsidy so received amounting to Rs. 1074.48 lakhs is payable to CoC. The provision amount stands revised based on actuals

Note 12 : Inventories

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Raw Materials and components	2,816.76	2,816.76	2,816.76
Less: Provision for inventory	(2,627.84)	(2,816.76)	-
Total	188.92	-	2,816.76

Based on stock verification by independent valuer Rs.188.92 lakhs of inventories have been identified as usable and accordingly the provision has been reversed to the extent during current year 2020-21.

Note 13 : Trade Receivables-Current

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Trade Receivables considered good - Unsecured	6.52	-	495.08
Total	6.52	-	495.08

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle. Since the Trade receivables are due for less than one year, no expected credit loss allowance is made under Ind AS 109.

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Cash on hand	-	-	-
Balance with Banks			
In current account	276.65	87.29	53.95
Fixed deposits			
Term deposits with original maturity of less than three months	2,250.34	-	-
Total	2,526.99	87.29	53.95

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 14 : Cash and Cash equivalents (Contd..)

Pursuant to resolution plan submitted by the Cochin Shipyard Limited, for Tebma Shipyards Limited the bid amounts have been paid to the banks under the approved resolution plan and all security charges, encumbrances, created or suffered to exist in relation to credit facilities extended to TEBMA, stands released, discharged in terms of the resolution plan. Consequently the Bank guarantees stands discharged and margin money shall be released to Tebma Shipyards Limited. However, the margin monies (aggregating approx. Rs 351.115 lakhs) have not yet been actually released by the banks to the Company as they hold the same as lien for the Bank Guarantees issued by them earlier which has been disputed by the TSL. Therefore, on a prudent basis, the company will recognize the Fixed deposits, in the period in which the banks actually release the margin money deposits.

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	0.81	0.81	365.64
Total	0.81	0.81	365.64

Note 16 : Other Financial Assets - Current

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Interest accrued on fixed deposits	0.67	-	19.30
Unbilled revenue	-	-	18,018.79
Deposit - Others	-	1.59	94.81
Total	0.67	1.59	18,132.90

Note 17 : Other Current Assets

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Advance paid to suppliers and others	-	-	558.19
Advances other than capital advances			
Other advances	13.84	-	-
Balance with government authorities	-	1.78	133.29
Miscellaneous deposits	1.42	-	-
Prepaid expenditure	25.39	-	-
Other Receivables	24.17	11.63	-
Input Tax Credit on GST	29.12	-	-
Total	93.94	13.41	691.48

Other receivables represents the amount to be recovered from Committee of Creditors (CoC) on account of expenses incurred towards the excluded ships from the CIRP Account operated by Resolution Professional currently.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 18 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31.03.2021		As at 31.03.2020		As at 01.04.2019	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Authorised						
Equity shares of ₹ 10/- each	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00
Preference shares of ₹ 10/- each	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
Issued, Subscribed and Fully paid up						
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	6,50,00,000	6,500.00	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15
6.5% Compulsorily Redeemable Preference shares (CRPS) of Rs. 10/- each fully paid up.	-	-	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
Total	6,50,00,000	6,500.00	20,23,61,505	20,236.15	20,23,61,505	20,236.15

18.1 Reconciliation of number of shares and amounts

Particulars	As at 31.03.2021		As at 31.03.2020		As at 01.04.2019	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15
Add : shares issued during the year	6,50,00,000	6,500.00	-	-	-	-
Less : Shares cancelled during the year	7,73,61,505	7,736.15	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	6,50,00,000	6,500.00	7,73,61,505	7,736.15	7,73,61,505	7,736.15

Particulars	As at 31.03.2021		As at 31.03.2020		As at 01.04.2019	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Preference Shares outstanding at the beginning of the year	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
Add : shares issued during the year	-	-	-	-	-	-
Less : Shares cancelled during the year	12,50,00,000	12,500.00	-	-	-	-
Preference Shares outstanding at the end of the year	-	-	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

The preference shares were on transition to Ind-AS have been considered as equity in view of the voting rights having been triggered on the shares in the past, until these were cancelled in the current year in accordance with the resolution plan approved by honorable NCLT.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 18 : Equity Share Capital (Contd..)

18.2 Details of shares held by Holding company

Particulars	As at 31.03.2021		As at 31.03.2020		As at 01.04.2019	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	6,50,00,000	100%	-	-	-	-
Total	6,50,00,000	100%	-	-	-	-

18.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at 31.03.2021		As at 31.03.2020		As at 01.04.2019	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
1. Cochin Shipyard Limited	6,50,00,000	100%	-	-	-	-
2. Nirupam Energy Projects Private Limited	-	-	4,16,09,323	53.79%	4,16,09,323	53.79%
3. India Advantage Fund - VI	-	-	3,42,52,636	44.28%	3,42,52,636	44.28%

Note 19 : Other Equity

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Securities Premium	-	12,194.71	12,194.71
General Reserve	7,289.25	228.33	228.33
Fair Value adjustment - on account of IndAS transition	-	4,250.80	4,250.80
Retained Earnings	(136.04)	(33,454.76)	(54,425.81)
	7,153.21	(16,780.92)	(37,751.97)

The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai on March 04, 2020, approved the Resolution Plan submitted by Cochin Shipyard Limited (CSL) for acquisition of Tebma Shipyards Limited (TSL) which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the NCLT Order, CSL paid the bid amount for takeover of TSL on September 15, 2020 with effect from which date TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL. Accordingly, the issuance of shares to CSL, cancellation of the existing shares in TSL, the settlement of liabilities and assets which are acquired at their fair values, in accordance with the resolution plan, have been given adjusted against the accumulated losses / reserves and the net effect thereof has been credited to general reserve.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 20 : Borrowings - Non Current

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Term Loans	-	-	3,650.33
Working Capital facility from banks	-	-	6,547.10
Unsecured			
Loan from Holding Company @5.5% p.a (Unsecured)	500.00	-	-
Total	500.00	-	10,197.43

In order to meet the expenses arising during operational phase of TSL, Holding company Cochin Shipyard Limited infused Rs 500 lakhs as unsecured loan carrying an interest rate of 5.5% p.a. The principal amount to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2025. Interest repayments to be made on yearly basis from the date of each disbursement.

Note 21 : Other Financial liabilities - Non Current

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Amount Received From India Advantage Fund - VI	-	-	1,915.00
Lease Liabilities - Ind AS 116	75.39	-	-
Total	75.39	-	1,915.00

Note 22 : Borrowings- Current

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Inter Corporate Loan	-	-	400.00
Cash credit	-	5,965.00	39,328.16
Total	-	5,965.00	39,728.16

Based on the approved resolution plan dated 4th March 2020, the resolution plan amount payable to operational creditors, financial creditors and CIRP costs is Rs.6500 Lakhs as full and final settlement and in discharge of all claims in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Accordingly, all liabilities in the books of accounts as at 15th September 2020 (the date of change of control) when the resolution amount of Rs.6500 Lakhs was infused by CSL into TSL, were adjusted to the amounts payable as per the resolution plan. These balance amounts reflected in these liability accounts have been written back.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 23 : Trade Payables

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Trade payables (Unsecured)			
Total outstanding dues of Micro enterprises and Small Enterprises	-	-	-
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.	0.83	90.49	799.12
Total	0.83	90.49	799.12

The company has not received any intimations under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. The status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;			
Principal	Nil	Nil	Nil
Interest on above Principal	Nil	Nil	Nil
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-	-
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil	Nil
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	Nil	Nil	Nil
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil	Nil

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 24 : Other Financial Liabilities - Current

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Interest accrued but not due on borrowings	13.59	-	33.19
Employee related liabilities	-	195.14	213.35
Payable as per NCLT Order*	217.78	-	-
Liability due to insurance receipt towards excluded financial asset**	65.19	-	-
Lease liabilities - IND AS 116	8.44	-	-
Others Payables	1,135.74	-	3,898.43
Total	1,440.74	195.14	4,144.97

*Cochin Shipyard Limited transferred the bid amount of Rs 6500 Lakhs to CIRP Account on 15/09/2020. TSL's SBI current A/c 38167291907 has been designated as CIRP account and same has been managed by the Resolution Professional. As per the Approved Resolution plan, Resolution professional settled the dues of CoC banks and Operational creditors (both employees and non employees) from the Bid amount received and balance lying in this account majorly represents unsettled CIRP costs incurred by RP during the period when the company was under IBC code 2016. The same will be squared up on receipt of further information from the Resolution Professional.

**Represents the Claims received for Excluded Ships from New India Insurance company which is payable to CoC members.

Other payables includes Rs 1074.48 lakhs payable to CoC i.e; 50% of the Subsidy received during the year from Ministry under Ship Building Subsidy Scheme.

Note 25 : Other Current Liabilities

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Advance received from customers	-	0.20	1,385.92
Statutory dues	7.14	-	15.26
Expenses related to CIRP	-	388.00	-
Total	7.14	388.20	1,401.18

Note 26 : Provisions - Current

Particulars	(Rs. in Lakhs)		
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	As at 01.04.2019
Provision for Employee benefits			
Gratuity	-	-	85.63
Leave encashment	-	-	30.04
	-	-	115.67
Other Provisions			
Warranty	-	-	23.41
Expenditure/ Contingencies	1,210.78	1,250.00	-
	1,210.78	1,250.00	23.41
Total	1,210.78	1,250.00	139.08

In order to meet the contingent expenditure to operationalise the facility as per the resolution plan, a provision for contingency of Rs 1250 lakhs has been provided in books as on 31/3/2020. During the year, we have adjusted an amount of Rs. 39.22 lakhs and the balance has been reviewed and retained. The implementation of the resolution plan and revival of the facility is still underway and further expenses are expected during 2021-22.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 27 : Revenue from operations

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Other operating revenue		
Ship Building Operations Income	-	116.38
Total	-	116.38

Note 28 : Other Income

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Interest Income from Bank Deposits	6.26	21.59
Miscellaneous Income	-	15.68
Income from Charter Hire	68.48	53.35
Total	74.74	90.62

Note 29 : Employee Benefits Expense

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	66.81	35.56
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	1.84	-
Staff welfare expenses	2.95	-
Total	71.60	35.56

As per statutory requirement the company makes contribution towards Provident fund, the employer and employee contribution towards PF is remitted to Employee Provident Fund Organisation. As reported by Actuarial Valuer, no provision for gratuity has been considered in the books as average past service of the employees on roll are less than 6 months. Liability starts accruing only after completing a minimum of 6 months of service.

Note 30 : Finance Costs

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Interest on Loan	14.69	-
Interest on Lease liability	8.45	-
Bank Guarantee charges	-	7.36
Total	23.14	7.36

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 31 : Depreciation and Amortisation Expense

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Depreciation on property, plant and equipments	1,280.29	1,256.22
Depreciation on Right of use asset	4.17	3.55
Total	1,284.46	1,259.77

Note 32 : Other Expenses

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Rates and taxes	4.73	8.01
Power and fuel	12.07	4.35
Rent	-	6.14
Repairs and maintenance:		
Yard Maintenance	-	21.59
- Others	23.75	56.56
Travelling and conveyance expenses	3.55	-
Advertisement	-	0.66
Lease rent	2.00	-
Legal and professional charges	18.11	73.85
Insurance	0.16	12.90
Security expenses	20.72	30.58
Auditors remuneration	3.00	9.00
Auditors remuneration for other services	3.15	-
Fee for statutory compliances	2.72	-
Bank charges	4.13	1.79
Provision created for contingency liability	-	1,250.00
Miscellaneous Expenses	6.89	5.71
Total	104.98	1,481.15

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
For Audit Fees	3.00	9.00
For Limited Review/other services	3.15	-
Total	6.15	9.00

Note 33 : Exceptional Items

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Assets Written Off	-	(1,459.38)
Liabilities Written Back	-	30,615.46
Provision for Inventory written back / (Provision for inventory)	188.92	(2,816.76)
Provision for Subsidy Receivable written back / (Provision for subsidy receivable)	1,074.48	(2,791.43)
Total	1,263.40	23,547.89

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

Note 34 : Earnings per Equity Share

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	(136.04)	20,971.05
Number of Equity Shares	65000000	77361505
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	(0.21)	27.11
Face value per equity (in ₹)	10.00	10.00

Note 35: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. This has resulted in recognition of RoU assets of Rs 95.90 Lakhs, lease liability of Rs 75.39 Lakhs, additional finance cost of Rs.8.44 Lakhs, additional depreciation of Rs 25.85 Lakhs, for the year ended March 31, 2021.

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2021 including outflow for short term and low value leases is Rs 22.37 lakhs

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2021 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Year ended 31.03.2021	
Less than one year		40.59
One to two years		55.90
Total		96.49

36. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Statutory Cases

For the period after Resolution Plan Approval - Nil

For the period prior to the Resolution Plan Approval – The Company has been receiving various notices from various statutory authorities such as Income tax, Customs, Karnataka VAT, Provident Fund, ESI etc. In line with the NCLT order dated March 04, 2020 approving the resolution plan, all these liabilities stand extinguished and the recent decision of the Supreme Court in other matters also upholds such extinguishment of all past period liabilities. Accordingly, the company is in the process of responding to all these notices appropriately on these lines.

(ii) In terms of the resolution plan approved by the Hon'ble NCLT vide Order dated March 04, 2020, Cochin Shipyard Limited (CSL), the successful resolution applicant, paid the bid amount of Rs. 6500 Lakhs on September 15, 2020 as full and final settlement to all stakeholders including the CIRP Costs. The Company is in the process of updating the Register of Charges maintained with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to give effect to the statutory insolvency resolution process

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

37. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship
	2020-21
Shri Madhu S Nair Chairman	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director	Key Managerial Personnel
Shri Harikumar A Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M Company Secretary	Key Managerial Personnel
Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Cochin)	Holding Company
Hoogly Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Kolkata)	Fellow Subsidiary Company

Nature of transaction - Remuneration to Key Managerial Person*

Particulars	(Rs. in Lakhs)
	As at 31.03.2021
Short term benefit	5.78
Post employment Benefit	0.00
Total	5.78

Nature of transaction - Loans/advances

Name of Related Party	Opening Balance as on 01.04.2020	Loans/advances Taken during 2020-21	Repayment	(Rs. in Lakhs)	
				Balance as on 31.03.2021	Interest accrued as on 31.03.2021
MADHU S NAIR	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
SURESH BABU N V	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
BEJOY BHASKER	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
JOSE V J	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
HARIKUMAR A	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
SHIBU JOHN	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ASWIN SARMA M	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

37. Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

Nature of transaction - Transaction with Related parties

Particulars	(Rs. in Lakhs)
	As at 31.03.2021
Secondment to subsidiary - Cochin Shipyard Ltd.	13.05
Loan from subsidiary - Cochin Shipyard Ltd.	500.00
Interest on Loan from Holding Company @5.5%	14.69

Shares held by Nominees in TSL on behalf of CSL

	(Rs. in Lakhs)
	No of Shares
MADHU S NAIR, Chairman	10
SURESH BABU N V, Director	10
BEJOY BHASKER, Director	10
JOSE V J, Director	10
SHIBU JOHN, CFO	10
ASWIN SARMA M, Company Secretary	10

38. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

(Rs. in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020	
Financial Assets			
Non Current			
Current			
(i) Trade Receivables	6.52	-	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	2,526.99	87.29	Level II
(iii) Bank Balances other than (ii)	0.81	0.81	Level II
(iv) Loans	-	-	Level II
(v) Others	0.67	1.59	Level II
Total Financial Assets	2,534.99	89.70	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	500.00	-	Level II
(ii) Other financial liabilities	75.39	-	Level II
Current			
(i) Trade Payables	0.83	90.49	Level II
(ii) Other financial liabilities	1,440.74	195.14	Level II
Total Financial Liabilities	2,016.96	285.63	

Note:

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

Financial Instruments by category

(Rs. in Lakhs)

Particulars	31.03.2021			31.03.2020		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Trade receivables	-	-	6.52	-	-	0.00
Cash & Cash equivalents	-	-	2,526.99	-	-	87.29
Bank Balances	-	-	0.81	-	-	0.81
Other Financial Assets	-	-	0.67	-	-	1.59
Total Financial Assets	0.00	0.00	2,534.99	0.00	0.00	89.69
Financial liabilities						
Borrowings	-	-	500.00	-	-	5,965.00
Trade payables	-	-	0.83	-	-	90.49
Other financial liabilities	-	-	1,516.13	-	-	195.14
Total Financial Liabilities	0.00	0.00	2,016.96	0.00	0.00	6,250.63

39. Segment Reporting

Segment reporting is not applicable since the company has not yet started operation after takeover.

40. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021
Long term borrowings	500.00
Net Debt	500.00
Equity Share Capital	6500.00
Other equity	7153.21
Total Equity	13653.22
Gearing Ratio	3.66%

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

41. The COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is a continuing global pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19). The pandemic had an impact worldwide on the state of economy and commerce due to the severe social disruptions. It continues to be a matter of major concern for all the business organizations. The impacts of the COVID-19 pandemic continues to unfold while the countries world over are fighting to contain the pandemic. The vaccines gives the world a ray of hope but vaccinating the entire population is a real challenge. The Lockdowns announced by the Central and State Governments to contain the spread of Covid- 19 has affected the revival of the yard to a certain extent. Although, the Company continues to make effort to revive the facility and make it operational, the pandemic is a challenge in that direction. However, every effort is being made by TSL to revive the operational preparedness.

42. The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Tebma Shipyards Limited (TSL) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Cochin Shipyard Limited (CSL) submitted the Resolution Plan for acquisition of TSL to the Committee of Creditors (CoC) in October 2019. The Committee of Creditors of TSL, after deliberations, approved the said Resolution Plan and subsequently in December 2019, the same was filed with the NCLT, Chennai. The NCLT, Chennai on March 04, 2020, approved the Resolution Plan and CSL initiated the process for implementation of the Resolution Plan. However, due to the unprecedented outbreak of COVID-19 Pandemic and subsequent lockdown imposed by the Government Authorities, the implementation of the Resolution Plan got delayed which resulted in revising the last date of payment of bid amount to September 17, 2020

Accordingly, keeping in view the Order dated March 04 2020:

- i. On September 15, 2020 ("Effective Date"), Cochin Shipyard Limited ("CSL"), deposited Rs.6500.00 lakhs, for subscription to equity shares of the Company, payment of CIRP cost and employee related dues, and payment to financial creditors in terms of the approved Resolution Plan.
- ii. The reconstituted Board of Directors in its meeting held on October 21, 2020, approved allotment of 6,50,00,000 fully paid equity shares of Rs.10 each to Cochin Shipyard Ltd., aggregating to Rs.6500.00 lakhs representing 100% of the equity share capital of the Company.
- iii. Out of the amount received from CSL Rs 5865.00 lakhs was paid to financial creditors (including Dissenting Financial Creditors), Rs. 388.00 lakhs for CIRP expenses, Rs.195.00 lakhs to Operational creditors, employees and workmen and Rs.52.00 lakhs to Operational creditors other than Workmen and employees as full and final settlement and discharge of all Claims.
- iv. Pursuant to this order, all the liabilities have been extinguished and the extinguished Equity share capital - Rs.7736.15 lakhs, Preference Share capital - Rs.12500.00 lakhs, Securities premium Reserve Rs.12,194.71 lakhs and retained earnings Rs. 25,564.77 lakhs has been transferred to General reserve.
- v. Gain arising out of extinguishment of financial liabilities have been recognised as exceptional gain of Rs.30,615.46 Lakhs during the previous year 2019-20.
- vi. As per the approved Resolution plan, recoveries pertaining to certain excluded assets are shown as liabilities and claims receivable on account of expenses incurred towards excluded assets are shown as assets and included in Note 24 and Note 17 respectively.

Notes to the Financial Statements

For the year ended March 31, 2021

43. Figures in brackets denote negative figures.

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1 - 2
Explanation of transition to Ind AS	3
Notes to the Financial Statements	4 - 43

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary

M. No. A41969

Kochi, dated May 07, 2021

SHIBU JOHN

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director

DIN - 08444440

MADHU S NAIR

Chairman

DIN - 07376798

For M/s Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No.: 207231

UDIN: 21207231AAAAKH7119

Udupi, Date: 07 May 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Members of Tebma Shipyards Limited will be held at 11.20 hrs. on Wednesday, September 15, 2021 at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2021, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.

By the Order of the Board of Directors
For Tebma Shipyards Limited

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Kochi
September 07, 2021

Notes:

1. A member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A Proxy Form (MGT-11) is annexed to this Notice.
2. A person can act as a proxy on behalf of the members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.
3. Members, Proxies and Authorized Representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
4. The registers maintained under the Companies Act, 2013 (post CIRP) and all documents referred to in the Notice are available for inspection by members at the Meeting.
5. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this notice.
6. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the Meeting outside the local limits of the Registered Office at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
7. The brief details of the Director, who is seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

By the Order of the Board of Directors
For Tebma Shipyards Limited

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Kochi
September 07, 2021

Registered Office

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116
CIN: U27209TN1984PLC010994
e-mail: secretary.tsl@cochinshipyard.in

FORM NO. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Day, Date and Time : Wednesday, September 15, 2021 at 11.20 hrs.

Name of Member(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	

I/We, being the member(s) of Tebma Shipyards Limited holding _____ shares, hereby appoint:

1.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/her
2.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/her
3.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	


as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 37TH ANNUAL GENERAL MEETING of members of the Company, to be held on Wednesday the 15th day of September, 2021 at 11.20 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2021, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.		

Signed this day of..... 2021

Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)



Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Day, Date and Time : Wednesday, September 15, 2021 at 11.20 hrs.

Please Fill Attendance Slip and Hand it Over at the Entrance of the Meeting Venue


Name of the Shareholder(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	
No. of shares held	

I certify that I am the registered shareholder(s)/proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the 37TH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company on Wednesday the 15th day of September, 2021 at 11.20 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the shareholder or proxy

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING



CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors
Tebma Shipyards Limited
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116

I, _____, son of _____, resident of _____, holding _____ equity shares of Rs. 10 each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 15, 2021 outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015 at a shorter notice.

Place:

Date:

Signature:

Name:

DETAILS OF DIRECTOR SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Jose V J
DIN	08444440
Age & Date of Birth	54 & February 04, 1967
Qualifications	Shri Jose V J is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam.
Experience	Shri Jose V J is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has approximately 30 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Jose V J was appointed as one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Jose V J till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2020-21)	Nil
Date of first appointment on the Board	September 15, 2020
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2020-21	6/6
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Hooghly Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

